



इंडिया पोस्ट
पेमेंट्स बैंक

IndiaPost
Payments Bank

सशक्त सपने समृद्ध जीवन

सुलभ एवं समावेशी बैंकिंग परिकल्पना

वार्षिक रिपोर्ट 2023-24





प्रस्तावना

पिछले वर्ष की पहलों और सेवा पेशकशों पर विचार करते हुए, बैंक ने न केवल पर्याप्त प्रगति और नए उत्पाद व सेवाओं की शुरुआत की हैं, बल्कि साथ-साथ वित्तीय समावेशन के एकीकृत लक्ष्य की ओर पूर्ण समर्पण के साथ आगे बढ़ते हुए लोगों के जीवन को समृद्ध बनाया है।

आईपीपीबी का डिजिटल-फर्स्ट दृष्टिकोण अपनी अभिनव मोबाइल बैंकिंग सेवाओं और सुविधाजनक डोरस्टेप सुविधा के द्वारा प्रत्येक दिन अधिक लोगों को सुव्यवस्थित बैंकिंग सुविधाओं की पहुँच प्रदान करना संभव बनाता है। इसके परिणामस्वरूप पेमेंट्स बैंक के रूप में हमारी 5 साल की यात्रा में एक अविश्वसनीय मोड़ आया है - 8 करोड़ से अधिक ग्राहकों का अमूल्य विश्वास हासिल करने की उपलब्धि। यह उपलब्धि किसी भी बैंक के लिए वास्तव में आश्चर्यजनक है, विशेष रूप से अस्तित्व में आने के अपेक्षाकृत इतने कम समय को देखते हुए।

आईपीपीबी का मिशन भारत के आम लोगों को सबसे सुलभ, सस्ती और सुविधाजनक वित्तीय सेवाएँ प्रदान करना है, जो बैंकिंग सेवाओं से वंचित और कम बैंकिंग सेवाओं वाले लोगों के बीच की खाई को पाटता है। यह मिशन हमारे सभी प्रयासों के केंद्र में है, जो हमारे निरंतर नवाचार और हमारे ग्राहकों को अद्वितीय बैंकिंग अनुभव प्रदान करके जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से नई पहलों की शुरुआत के पीछे एक प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करता है। 2023-24 में शुरू की गई ऐसी ही एक पहल **अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना** है, जो देश के श्रमयोगियों को व्यापक दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए एक प्रमुख पहल है। इस योजना को 8 जुलाई 2023 को गुजरात के खेड़ा जिले के नाडियाड में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया था। इसे समाज के असंगठित क्षेत्र को न्यूनतम प्रीमियम पर कवरेज प्रदान करने के लिए सावधानीपूर्वक डिज़ाइन किया गया है, जो अब तक बड़े पैमाने पर प्रतिनिधित्व से वंचित रहे हैं।

आईपीपीबी द्वारा ऐसी कई अन्य योजनाएं और पहल की शुरुआत की गई हैं, जिनके माध्यम से बैंक हर वर्ग को डिजिटल बैंकिंग के एकीकृत छत के नीचे लाने में सक्षम रहा है। बैंकिंग और वित्त की निरंतर विकसित होती दुनिया में, आईपीपीबी ने समावेशन और नवाचार में अग्रणी के रूप में अपनी पहचान बनाई है, पूरे भारत में अपने ग्राहकों की व्यापक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गेम-चेंजिंग समाधान विकसित किए हैं। आईपीपीबी वर्ष के दौरान अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करके और कई विश्वसनीय तृतीय पक्ष भागीदारों के साथ रणनीतिक साझेदारी विकसित करके, एक ही प्रेरणा से निर्देशित: एक वित्तीय रूप से समावेशी समाज का निर्माण करना जो हर व्यक्ति को समृद्ध होने की अनुमति देता है। इसके तहत अपने प्रभाव और पहुँच को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने में सफल रहा है।

जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, आईपीपीबी रचनात्मक परिवर्तन, ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण को बढ़ावा देने और आसानी से सुलभ और रचनात्मक वित्तीय समाधानों के माध्यम से अपने ग्राहक आधार को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ है, और यह निरन्तर बढ़ता जा रहा है। हम बाधाओं को दूर करते रहेंगे, विभाजन को पाटते रहेंगे और अधिक समृद्ध और समावेशी भविष्य का मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे।



बैंक को परिभाषित करने वाली संख्याएँ



विषय-सूची

• अध्यक्ष का संदेश	5
• एमडी व सीईओ द्वारा संदेश	6
• निदेशक मंडल	7
• एक नजर में आईपीपीबी	8
▪ इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के बारे में	8
▪ विज़न और मिशन	9
▪ उत्पादों और सेवाओं का व्यापक दायरा	9
▪ ग्राहक अनुभाग	10
▪ पदचिह्न का विस्तार	11
• प्रमुख व्यावसायिक विशेषताएं	12
• प्रमुख उपलब्धियां	12
• विकास और परिवर्तन के पदचिह्न छोड़ना	13
• कार्यात्मक मुख्य विशेषताएं	14
▪ मार्केटिंग	15
▪ उत्पाद	16
▪ ग्राहक सेवा	17
▪ सूचना सुरक्षा	18
▪ सूचना प्रौद्योगिकी	19
▪ जोखिम प्रबंधन	20
▪ मानव संसाधन एवं वितरण	21
▪ अनुपालन	22
• पुरस्कार, मान्यता और प्रमुख कार्यक्रम	23
▪ पुरस्कार और मान्यता	23
▪ मुख्य कार्यक्रम	24
• प्रमुख मीडिया कवरेज	25
• कार्यात्मक मुख्य विशेषताएं	26
▪ निदेशक की रिपोर्ट	27
▪ स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट	38
▪ 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक खाते	47
▪ सीएजी लेखा परीक्षक रिपोर्ट	94
▪ सचिवीय लेखा परीक्षक रिपोर्ट	98



“अध्यक्ष का संदेश”

मुझे वित्त वर्ष 2023-2024 की इस वार्षिक रिपोर्ट को पढ़कर बहुत खुशी हो रही है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) और इंडिया पोस्ट के विशाल डाकघर नेटवर्क के बीच असाधारण तालमेल है। 1,89,000 से अधिक डाकियों और ग्रामीण डाक सेवकों द्वारा समर्थित डाकघरों के मजबूत नेटवर्क ने दूरदराज के स्थानों पर डिजिटल बैंकिंग समाधान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह समर्पित टीम न केवल सेवा वितरण की सुविधा प्रदान करती है, बल्कि आईपीपीबी के सुविधाजनक चैनलों के माध्यम से उपलब्ध पेशकशों की व्यापक श्रृंखला के बारे में आम लोगों में शिक्षित और जागरूकता भी बढ़ाती है।

बैंक के प्रौद्योगिकी-आधारित समाधान 1,61,536 बैंकिंग एक्सेस पॉइंट्स के माध्यम से उपलब्ध हैं और आईपीपीबी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के सुव्यवस्थित एकीकरण से संपूर्ण ग्राहक अनुभव और पारस्परिक प्रभाव पूरी तरह से बदल गई है। सहयोगात्मक प्रयासों से उल्लेखनीय परिणाम मिले हैं, जैसे कि डिजिटल वित्तीय लेनदेन में 275% की प्रभावशाली वृद्धि, जो पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 608 करोड़ लेनदेन के अविश्वसनीय उपलब्धियों हासिल हुई हैं। यह संख्या आईपीपीबी के समर्पण को दर्शाता है ताकि भारत के सबसे अलग-थलग क्षेत्रों में भी आवश्यक बैंकिंग सेवाओं तक आसान सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा, आईपीपीबी के सुव्यवस्थित चैनलों के माध्यम से डीओपी बचत योजनाओं में डिजिटल भुगतान पर लेनदेन का मूल्य 54% बढ़कर ₹9,072 करोड़ से ₹13,915 करोड़ हो गया है।

हम वित्तीय साक्षरता और समावेशन को आगे बढ़ाने के सरकार के लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध हैं। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि इस तालमेल के परिणामस्वरूप भारत में 8.8 करोड़ से अधिक ग्राहकों के लिए वित्तीय समावेशन स्थापित हुआ है और उनमें से 77% ग्रामीण इलाकों से हैं। जमाराशियों में पिछले साल की तुलना में 83% की वृद्धि हुई है, जो ₹6,292 करोड़ से बढ़कर ₹11,552 करोड़ हो गई है। यह शानदार वृद्धि हमारे विविध प्रकार के प्रस्तावों में ग्राहकों के भरोसे और विश्वास की भावना दर्शाती है।

इस बैंक को भरोसे और समर्थन की नींव पर खड़ा करने में आईपीपीबी टीम, हमारे व्यावसायिक सहयोगियों और प्रिय ग्राहकों के शानदार योगदान को स्वीकार करना आवश्यक है। साथ मिलकर, हम भारत में वित्तीय और बैंकिंग सेवाओं के परिदृश्य को नया आयाम दे रहे हैं।

वंदिता कौल
सचिव (डाक) एवं
अध्यक्ष, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक



“एमडी व सीईओ का संदेश”

यह मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि मैं इस वार्षिक रिपोर्ट वित्त वर्ष 2023-24 के माध्यम से आपको संबोधित कर रहा हूँ। मैं एक ऐसे बैंक का हिस्सा होने के लिए आभारी हूँ जिसने अपनी स्थापना के बाद से उल्लेखनीय प्रगति दिखाई है और अविश्वसनीय उपलब्धियाँ हासिल की हैं। बैंक कई प्रगति के साथ सोपान विकास के एक रोमांचक दौर का गवाह बन रहा है।

बैंक ने अपनी स्थापना के बाद से सिर्फ पाँच वर्षों में ही कई अद्भुत उपलब्धियाँ हासिल किया हैं, जो जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमारे निरंतर समर्पण को दर्शाता है। यह उपलब्धि वित्तीय समावेशन के लिए आईपीपीबी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है और हमारे ग्राहकों द्वारा हमारे बैंकिंग प्रथाओं में रखे गए भरोसे को प्रतिबिम्बित करती है। यह ग्राहकों के दरवाज़े तक सीधे सुविधाजनक और सुलभ समाधान प्रदान करने में हमारी डिजिटल बैंकिंग सेवाओं की सफलता को भी दर्शाता है।

हमारा वित्तीय डेटा मीट्रिक हमारे प्रभाव को दर्शाता है। पिछले साल, ग्राहक आधार में 33% की प्रभावशाली वृद्धि के साथ, अब 8 करोड़ से अधिक ग्राहक का आंकड़ा पार करना इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की प्रमुख प्रगति में से एक है। इसके अलावा, हमने कुल कासा जमा में 83% की अभूतपूर्व वृद्धि देखी, जो मार्च 2024 तक ₹6,292 करोड़ से बढ़कर ₹11,552 करोड़ हो गई, जिससे एक मजबूत और सुरक्षित डिजिटल वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के प्रति हमारी प्रतिबद्धता मजबूत हुई। उल्लेखनीय रूप से, हमारे 77% लाभार्थी ग्रामीण भारत से आते हैं, जो आम लोगों के लिए सबसे सुलभ और किफायती बैंक बनाने के आईपीपीबी के मिशन की पुष्टि करता है और हमें वित्तीय समावेशन के डिजिटल भारत की ओर ले जाता है।

हमने पिछले वर्ष की तुलना में डिजिटल वित्तीय लेन-देन में 275% की उल्लेखनीय वृद्धि, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) लाभार्थियों में 95% की वृद्धि, मोबाइल ऐप डाउनलोड में 51% की वृद्धि और डीओपी योजनाओं के लिए डिजिटल भुगतान में 53% की उल्लेखनीय वृद्धि देखी। ये सभी विशिष्ट घटक एक साथ मिलकर इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में अग्रणी बनाते हैं, जो देश के हर कोने में असाधारण डिजिटल समाधान प्रदान करता है। इसके अलावा, पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में हमारे राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ये संख्याएँ हमारे ठोस वित्तीय परिणामों और स्थिरता और प्रवर्धन को बढ़ावा देने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई रणनीतिक योजनाओं दोनों को प्रदर्शित करती हैं।

डाकिया का प्रभावशाली नेटवर्क हमारे लिए डिलीवरी का एक आवश्यक चैनल है जो न केवल ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करता है बल्कि विभिन्न प्रकार की सेवाओं के बारे में ग्राहकों को शिक्षित करने में भी मदद करता है। मोबाइल बैंकिंग प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से आईपीपीबी की डिजिटल बैंकिंग प्रथाओं, डोरस्टेप बैंकिंग की सुविधा, किफायती और सेवाओं की पहुँच ने इसे आम लोगों द्वारा सबसे पसंदीदा बैंक के रूप में स्थापित किया है।

अंत में, मैं सम्मानित हितधारकों, भागीदारों और बोर्ड के सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिन्होंने इस संगठन को अपना बहुमूल्य समर्थन प्रदान किया है। मैं अपने परिश्रमी कर्मचारियों, परिश्रमी डाकिया और ग्राहकों को हम पर उनके भरोसे के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं आईपीपीबी के साथ बैंकिंग सेवाओं में उत्कृष्टता के कई वर्षों, सफलता के नए आयाम गढ़ने और उत्कृष्टता के नये मानक स्थापित करने की आशा करता हूँ।

आर विश्वेश्वरन

प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक

निदेशक मंडल



श्रीमती वंदिता कौल
अध्यक्ष, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक



श्री आर विश्वेश्वरन
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी



श्री संजय प्रसाद
नामित निदेशक



श्री श्रीकांत नामदेव
नामित निदेशक



श्रीमती राजुल भट्ट
नामित निदेशक



डॉ. जतिन कुमार मोहंती
स्वतंत्र निदेशक



श्री वीणय गानू
स्वतंत्र निदेशक



श्री नवनीत कक्कड़
स्वतंत्र निदेशक



श्री कलियानन ए
स्वतंत्र निदेशक



श्रीमती जयश्री वृजलाल दोशी
स्वतंत्र निदेशक

कंपनी सचिव
सांविधिक लेखा परीक्षक
सचिवीय लेखा परीक्षक
मुख्य वित्तीय अधिकारी

: श्रीमती प्रियंका भटनागर
: ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर एंड कंपनी
: वी.ए.पी. एंड एसोसिएट्स
: श्री अनूप ई.एस.

पंजीकृत कार्यालय

: स्पीड पोस्ट सेंटर, भाई वीर सिंह मार्ग, मार्केट रोड, नई दिल्ली-110001

एक नजर में आईपीपीबी

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के बारे में

30 जनवरी 2017 को झारखंड के रांची और छत्तीसगढ़ के रायपुर में पायलट शाखाओं के रूप में स्थापित, और इसके बाद 1 सितंबर 2018 को देश भर में लॉन्च होने वाला, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक एक अग्रणी वित्तीय संस्थान है जिसने औपचारिक बैंकिंग की सूरत बदल दी है। बैंकिंग से वंचित लोगों को बैंकिंग प्रदान करने और डिजिटल अन्तर को पाटने के अपने मूल जनादेश के साथ, आईपीपीबी आवश्यक बैंकिंग सेवाओं को दूरस्थ कोनों तक पहुंचाने के अपने दृढ़ संकल्प में दृढ़ है। कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा डिजिटल इंडिया के परिकल्पित मार्ग पर चलते हुए, आईपीपीबी अपने डिजिटल चैनलों के माध्यम से सुलभ उत्पादों और सेवाओं की एक विविध श्रृंखला प्रदान करता है, जो ग्राहकों और गैर-ग्राहकों दोनों की जरूरतों को समान रूप से पूरा करता है।

अपनी स्थापना के बाद से, आईपीपीबी अपनी डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के साथ अग्रणी रहा है, तथा अपनी व्यापक उत्पाद श्रृंखला को अंतिम छोर तक पहुंचा रहा है, जिसमें 1 शाखा, आईपीपीबी के मेहनती कर्मचारियों द्वारा संचालित 649 बैंकिंग आउटलेट्स, तथा देश भर में 1,61,536 बैंकिंग एक्सेस प्वाइंट्स शामिल हैं।

डिजिटल साधनों और प्रथाओं द्वारा परिभाषित इस युग में, आईपीपीबी समकालीन प्रथाओं की उभरती जरूरतों के अनुरूप, एक क्लिक पर उपलब्ध सरल और सस्ती वित्तीय सेवाओं के अवधारणा को स्वीकार करता है। पूरे भारत में, ग्रामीण या शहरी, ग्राहकों के पास अब अपने बैंकिंग लेनदेन तक पहुंचने के लिए आईपीपीबी द्वारा डिजिटलीकृत समाधानों का लाभ उठाने की सामर्थ्य है। आईपीपीबी अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप और व्हाट्सएप बैंकिंग चैनलों के माध्यम से सुव्यवस्थित वित्तीय समाधान की सुविधा देता है, जिससे बैंकिंग को उंगलियों के इशारे पर सक्षम किया जाता है। एक कदम आगे बढ़ते हुए, आईपीपीबी ने एसएमएस बैंकिंग और मिस्ड कॉल बैंकिंग सुविधा को सक्षम किया है ताकि ग्राहक सीमित इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में एक साधारण एसएमएस या मिस्ड कॉल के साथ सहजता से लेनदेन कर सकें, शेष राशि की जाँच कर सकें और फंड ट्रांसफर कर सकें।

आईपीपीबी के उत्पाद पोर्टफोलियो में कई तरह की पेशकश शामिल हैं- बचत खाते, बीमा और ऋण रेफरल सेवाएँ, जो अपने ग्राहकों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करती हैं। आधार सक्षम भुगतान सेवाओं (आईपीएस) ने धन हस्तांतरण और लेन-देन को बदल दिया है, जिससे ग्राहक आधार-एटीएम मशीन के माध्यम से फिंगरप्रिंट इंप्रेशन प्रदान करके अपने आधार-लिंक खातों के साथ बुनियादी वित्तीय लेनदेन करने में सक्षम हो गए हैं। नकद जमा/निकासी सेवाएँ, आधार-सीडिंग, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डीएलसी) सुविधा, बच्चों को आधार के लिए नामांकित करने के लिए चाइल्ड एनरोलमेंट लाइट क्लाइट (सीईएलसी) सेवाएँ, बिल भुगतान और कई अन्य पेशकशों जैसी डोरस्टेप बैंकिंग सेवाओं की अतिरिक्त सुविधा लाभार्थियों को और सशक्त बनाती है।

आईपीपीबी मर्चेट सर्विसेज के लिए एक प्लेटफॉर्म भी प्रदान करता है, जिससे उन्हें आईपीपीबी के साथ 'डिजिटल दुकानदार' बनकर अपने व्यवसाय के संचालन को सुव्यवस्थित करने में मदद मिलती है और अपने बैंक खातों में सीधे फंड ट्रांसफर प्राप्त करने के लिए क्यूआर भुगतान सुविधा का उपयोग करते हैं। ये सभी सेवाएँ आईपीपीबी मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म के एक-क्लिक पर उपलब्ध हैं जो सभी के लिए बैंकिंग को आसान बनाती हैं। इसके अतिरिक्त, हमारे मेहनती डाक सेवक और क्षेत्र में काम करने वाले डाक कर्मचारी ग्राहक सेवा प्रावधान और ग्राहक शिक्षा में काफी मदद करते हैं। यह वे हैं जो आम जनता के लिए डोरस्टेप बैंकिंग को सक्षम करते हैं। वे हमारे आवश्यक सेवा प्रदाता हैं जिनके बिना हम इतने बड़े पैमाने पर प्रथाओं का संचालन नहीं कर पाएंगे। हमारा 8 करोड़ से अधिक ग्राहक आधार हमारी समतावादी प्रथाओं का प्रमाण है और देश के सभी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए हमारे पूरे समर्पण को दर्शाता है।

विजन और मिशन



आम आदमी के लिए सबसे सुलभ, किफायती और विश्वसनीय बैंक का निर्माण



बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच के लिए बाधाओं को दूर करके और लागत को कम करके वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाना

मूल्य



सुलभता



सामर्थ्य



बैंकिंग में आसानी



वित्तीय साक्षरता



डिजिटल इकोसिस्टम

उत्पादों और सेवाओं का व्यापक दायरा

देश में सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय, किफायती और ग्राहक-अनुकूल बैंक बनने के लक्ष्य के साथ, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) देश के हर कोने में डिजिटल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। आवश्यक सेवाओं को सीधे हमारे लाभार्थियों के दरवाजे तक पहुंचाकर और उन्हें बैंक शाखा में जाने की आवश्यकता को हटाकर, हमने बैंकिंग उद्योग को पूरी तरह से बदल दिया है। सब कुछ अब उनकी उंगलियों पर उपलब्ध है, जिसमें नकद निकासी, क्यूआर भुगतान और आधार लिंकेज और पंजीकरण शामिल हैं।

पिछले कुछ वर्षों में आईपीपीबी ने देश की ग्रामीण आबादी को लक्षित सेवाओं के अपने गुलदस्ते में जोड़ा है। बहुआयामी सेवाएं डाकघर ग्राहकों, गैर-ग्राहकों, व्यापारियों, जी2सी और यहां तक कि वॉक-इन ग्राहकों को पूरा करती हैं। हमारे उत्पाद और पेशकशों की विस्तृत श्रृंखला में बचत खाता, चालू खाता, मनी ट्रांसफर सेवाएं, वर्चुअल डेबिट कार्ड, पोसा लिंकेज, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी), बीमा और ऋण रेफरल सेवाएं, डोरस्टेप कैश डिपॉजिट / निकासी, बिल भुगतान आदि शामिल हैं।

बैंकिंग सेवाएँ



- बचत खाता
- चालू खाता
- निधि अंतरण
- बिल भुगतान
- रुपये वर्चुअल डेबिट कार्ड
- भीम - यूपीआई
- ग्रामीण डाकघर काउंटरों पर डिजिटल भुगतान
- स्वीप-इन/आउट सुविधा
- मर्चेन्ट बैंकिंग

सार्वभौमिक सेवाएँ



- प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण
- डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र
- आधार-मोबाइल नंबर अपडेट
- बाल आधार नामांकन
- आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (ईईपीएस)
- घरेलू धन हस्तांतरण (डीएमटी)
- डाकपे यूपीआई पीएसपी ऐप
- नकद से बिल भुगतान
- पीएमजेजेबीवाई

धन प्रबंधन सेवाएँ



- जीवन बीमा (आवधिक, वार्षिकी और बंदोबस्ती)
- सामान्य बीमा (मोटर, स्वास्थ्य, समूह दुर्घटना)
- म्यूचुअल फंड

डाक भुगतान सेवाएँ



- आईपीपीबी-पीओएसए लिंकेज
- डाकघर योजनाओं (पीएलआई/आरपीएलआई, एसएसए, पीपीएफ, आरडी और एलएआरडी) के लिए डिजिटल भुगतान

ऋण रेफरल सेवाएँ



- गृह ऋण
- वाहन ऋण
- व्यक्तिगत ऋण
- स्वर्ण ऋण
- केसीसी ऋण
- संपत्ति के विरुद्ध ऋण

ग्राहक खंड

आईपीपीबी के पास विविध बैंकिंग आवश्यकताओं के साथ विविध ग्राहक आधार है। अपनी गतिशील वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, आईपीपीबी अपने ग्राहकों को अनुकूलित पेशकश प्रदान करता है।

आईपीपीबी प्रीमियम बचत खाता, नियमित बचत खाता, मूल बचत खाता और डिजिटल बचत खाता चुनने की सुविधा के साथ बचत खाता खोलने की सुविधा प्रदान करता है। यह डाकघर बचत खाता (पोसा) लिंकिंग सुविधा भी प्रदान करता है, ताकि डाकघर में खाता रखने वाला ग्राहक अपने डाकघर खाते के लाभों को खोए बिना आईपीपीबी की अभिनव डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का उपयोग कर सके। इसके अलावा, आईपीपीबी सेवानिवृत्त **वरिष्ठ नागरिकों** को उनके घर पर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डीएलसी) सेवाएँ प्रदान करता है। यह पहल हमारी बुजुर्ग आबादी के लिए सुविधा और पहुँच सुनिश्चित करती है। इसके अलावा, अपने मोबाइल बैंकिंग प्लेटफ़ॉर्म और डोरस्टेप बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से, आईपीपीबी आधार-सीडिंग और चाइल्ड एनरोलमेंट लाइट क्लाउंट (सीईएलसी) सेवाओं की सुविधा प्रदान करता है। आधार को बैंक खातों से जोड़ने से अनेक लाभों के द्वार खुलते हैं तथा बैंकिंग लेनदेन आसान हो जाता है और सीईएलसी सेवाएं **माता-पिता** को अपने पांच वर्ष तक की आयु के बच्चों का आधार नामांकन शीघ्रता और सुविधाजनक तरीके से अपने घर पर ही कराने की सुविधा प्रदान करती हैं।

हमारी मर्चेट सेवाओं के माध्यम से, डिजिटल दुकान के रूप में, **छोटे व्यवसाय के मालिक** लेनदेन को सुव्यवस्थित करने और परिचालन प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए परेशानी मुक्त क्यूआर आधारित भुगतान समाधानों का लाभ उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, देश भर के **किसान** हमारी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) सेवाओं के माध्यम से लाभान्वित हो सकते हैं, आसानी से अपने आधार से जुड़े बैंक खातों में सीधे सरकारी सब्सिडी गारंटी के साथ पारदर्शी और समय पर वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। आईपीपीबी दीन दयाल स्पर्श योजना के लाभार्थियों के लिए छात्रवृत्ति संवितरण को सुव्यवस्थित करके **छात्रों** की मांग को पूरा करता है, ताकि वे अपनी शैक्षणिक आकांक्षाओं को आगे बढ़ा सकें, वित्तीय बाधाओं को उनकी प्रगति में बाधा न बनने पाये।

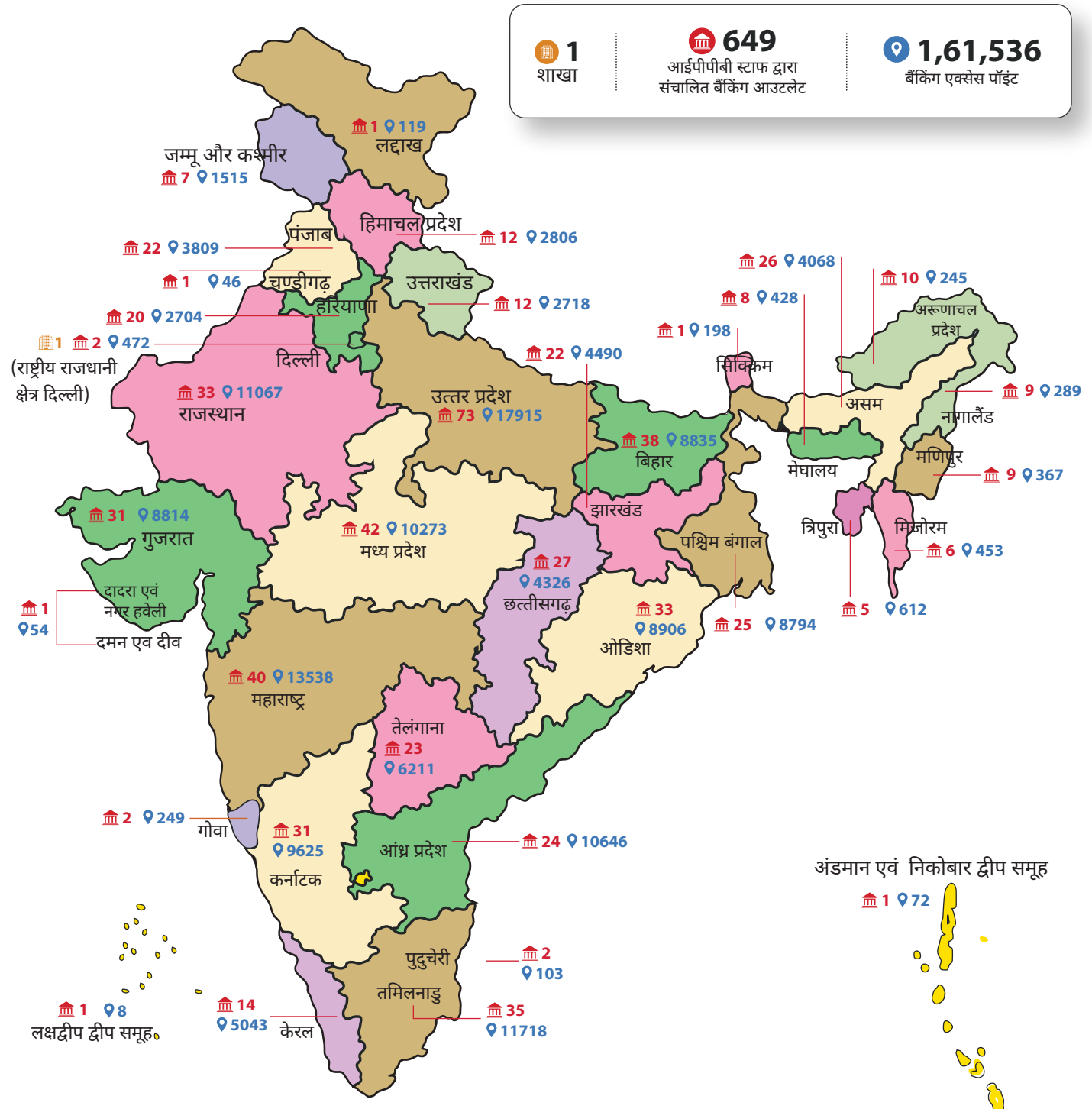
गैस, बिजली, डीटीएच, रिचार्ज और प्रीमियम भुगतान सहित हमारी ऑनलाइन फंड ट्रांसफर और बिल भुगतान सेवाओं के साथ, **होममेकर्स** घरेलू वित्त का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर सकते हैं, दैनिक खर्चों को संभालने के दौरान एक-क्लिक लेनदेन में आसानी और मन की शांति प्रदान करते हैं। आईपीपीबी हमारे मोबाइल बैंकिंग चैनल और डोरस्टेप सेवा सुविधा के माध्यम से नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एनईएफटी, रेमिटेंस और फंड ट्रांसफर और तत्काल भुगतान सेवाएं (आईएमपीएस) जैसी फंड ट्रांसफर सुविधाएं भी प्रदान करता है।

हम भारत में **बैंक सेवा से वंचित और कम बैंकिंग सुविधा** वाले लोगों को ऐसे स्थानांतरित करने में मदद करने के लिए आधार सक्षम भुगतान सेवाएं (ईपीएस) और घरेलू मनी ट्रांसफर (डीएमटी) सेवाएं प्रदान करते हैं, हमारे मिशन के हिस्से के रूप में किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना है। ईपीएस एक माइक्रो एटीएम की तरह काम करता है जो आप जहां भी हों, लेनदेन की सुविधा प्रदान करता है। **शहरी प्रवासी** इस सेवा से बहुत लाभान्वित हो सकते हैं, जिससे उनके लिए अपने परिवार का समर्थन करने के लिए नियमित और समय पर पैसा भेजना संभव हो जाता है। यह सभी सेवाओं को लेनदेन में तेजी लाने और ग्राहकों और गैर-ग्राहकों के लिए समान रूप से बैंकिंग में आसानी को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।



पदचिह्न का विस्तार

पारंपरिक और डिजिटल के अपने अनूठे मिश्रण के साथ पूरे देश में अपनी उपस्थिति का विस्तार करते हुए, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने वित्तीय और बैंकिंग परिदृश्य में समग्र रूप से क्रांति ला दी है। अखिल भारतीय उपस्थिति के साथ, आईपीपीबी वर्तमान में भौगोलिक बाधाओं को पार करते हुए 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 8 करोड़ से अधिक लाभार्थियों की वित्तीय ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। आईपीपीबी डिजिटल वित्त की लगातार बदलती दुनिया में अग्रणी है, जिसे 1 शाखा, 649 बैंकिंग आउटलेट और 1,61,536 से अधिक बैंकिंग एक्सेस पॉइंट के विशाल नेटवर्क के साथ इंडिया पोस्ट के मजबूत बुनियादी ढांचे का समर्थन प्राप्त है। आईपीपीबी देश के हर कोने में बैंकिंग सेवाओं की डिलीवरी में अग्रणी बना हुआ है, जिससे वित्तीय समावेशन और सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है।





इंडिया पोस्ट
पेमेंट्स बैंक

IndiaPost
Payments Bank

प्रमुख व्यवसायिक विशेषताएं

	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	वर्ष दर वर्ष वृद्धि % में
कुल ग्राहकों की संख्या (करोड़)	6.63	8.82	33%
कुल जमा (रूपये करोड़)	6,292	11,552	83%
डिजिटल वित्तीय भुगतान (रूपये करोड़)	3,20,579	6,51,759	103%
डिजिटल वित्तीय भुगतान (करोड़)	162	608	275%
ईपीएस लेनदेन (रूपये करोड़)	27,443	31,158	14%
कुल डीबीटी लाभार्थी (करोड़)	1.56	3.04	95%
डाकघर योजना में डिजिटल भुगतान (पीपीएफ/एसएसवाई/आरडी/एलएआरडी) (रूपये करोड़)	9,072	13,915	53%
मोबाइल ऐप डाउनलोड (करोड़)	1.99	3.01	51%
आईपीपीबी खाता पोसा के साथ लिंक (लाख)	33.85	35.36	4%

प्रमुख उपलब्धियां

फरवरी, 24

- व्यक्तिगत व्यवसाय संवाददाताओं के लिए एमएटीएम ऐप लॉन्च किया गया।
- कासा बैलेंस ₹12,000 करोड़ को पार कर गया (भुगतान बैंकिंग उद्योग में सबसे अधिक)।

नवंबर, 23

- प्रीमियम खाताधारकों की संख्या 1.5 करोड़ के पार हो गई। ईपीएस के कुल वितरण का आंकड़ा 30,000 करोड़ रुपये के पार हो गया।

जुलाई, 23

- अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना (एसएसवाई) का पायलट लॉन्च।
- आईपीपीबी ऋण सेतु ऐप का पायलट लॉन्च।
- कासा बैलेंस ₹7,000 करोड़ से अधिक है।

मई, 23

- महिंद्रा फाइनेंस वाहन ऋण रेफरल कार्यक्रम शुरू किया।

मार्च, 24

- बच्चों के आधार नामांकन के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ समझौता।
- मोबाइल बैंकिंग ऐप डाउनलोड की संख्या 3 करोड़ से अधिक हो गई।
- 21,000+ करोड़ रुपये का वार्षिक डीबीटी मूल्य संभाला।

दिसंबर, 23

- आईपीपीबी के ग्राहकों की संख्या 8 करोड़ को पार कर गई।

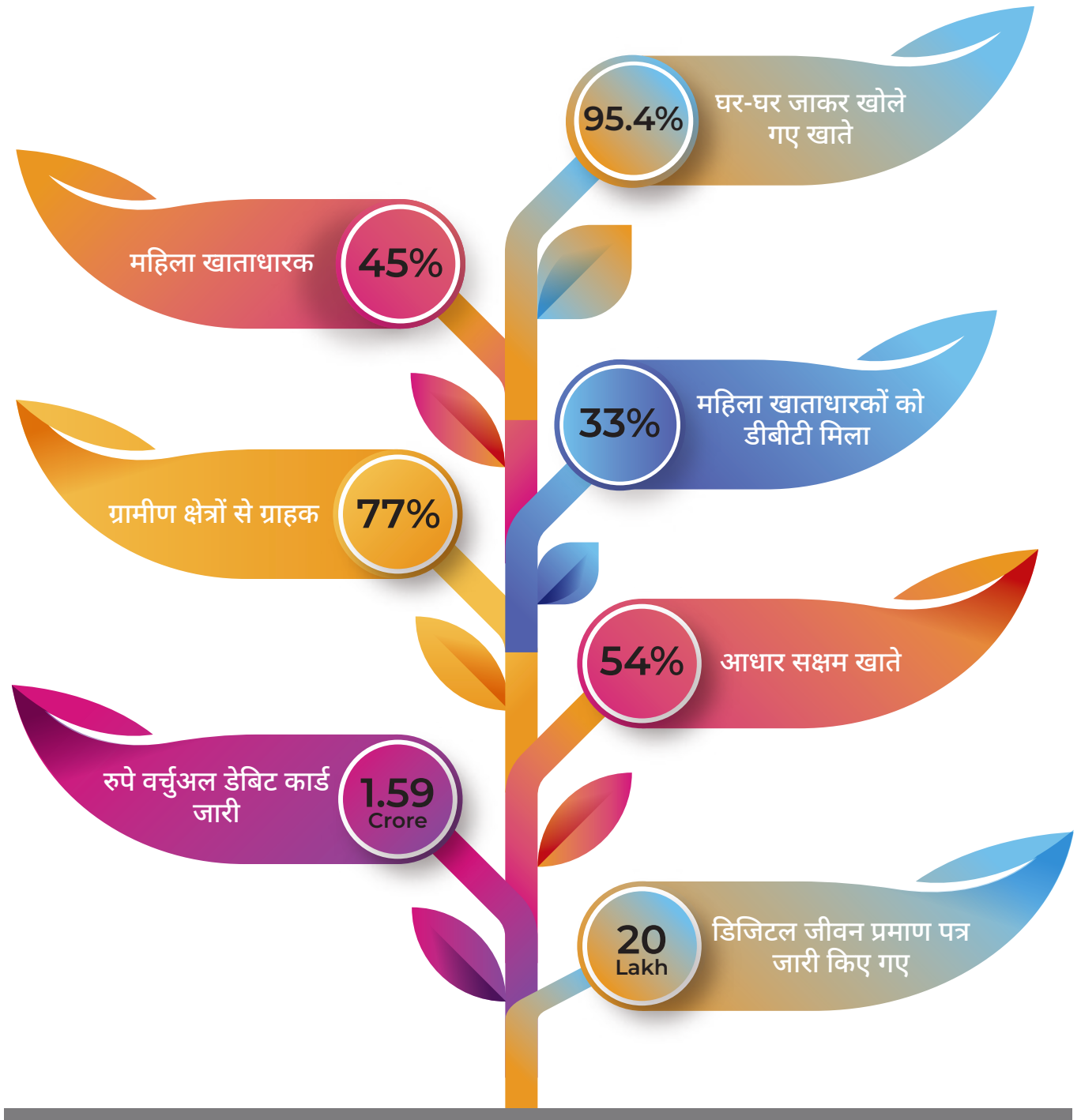
अगस्त, 23

- सीईएलसी आधार-मोबाइल अपडेट से 6 करोड़ लेनदेन हुए।

जून, 23

- आईपीपीबी ने 7 करोड़ ग्राहकों को पार कर लिया।
- आईपीपीबी के माध्यम से पीएलआई भुगतान 500 करोड़ रुपये से अधिक हो गया।

विकास और परिवर्तन के पदचिह्न छोड़ना



कार्यात्मक मुख्य विशेषताएं

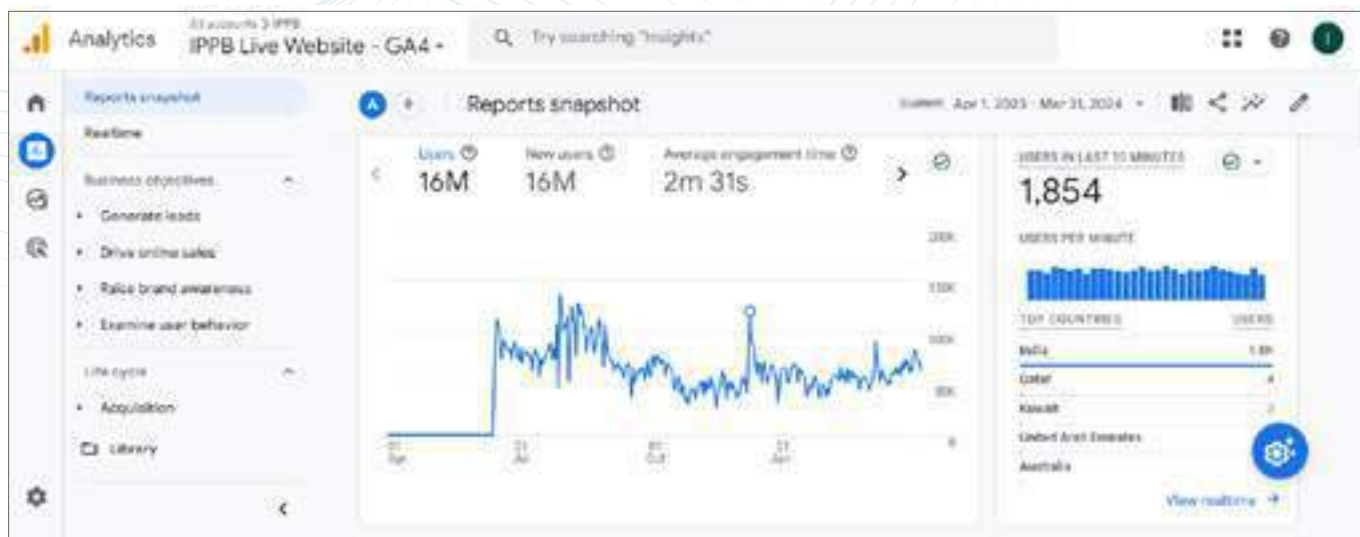


मार्केटिंग

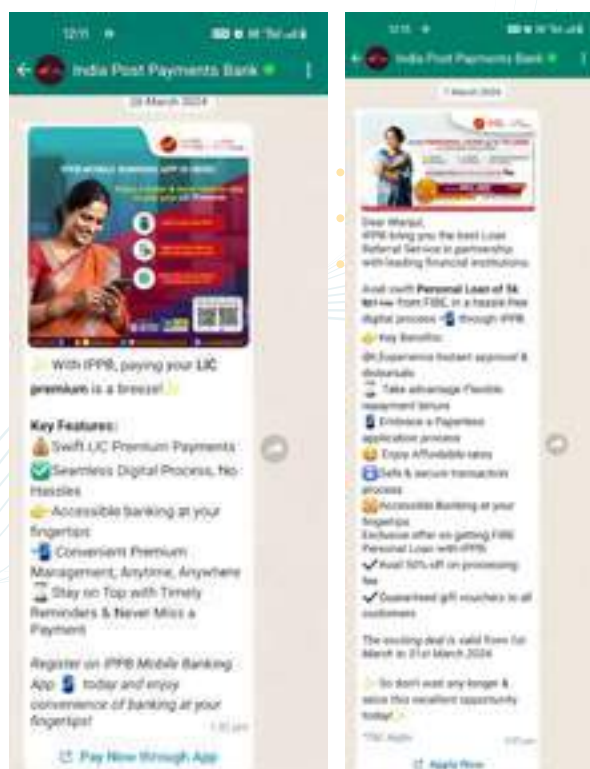
वित्तीय वर्ष 2023-24 मार्केटिंग विभाग के लिए असाधारण रूप से गतिशील साबित हुआ, जिसमें अभियानों, योजनाओं की शुरुआत और पहलों की भरमार थी। इन प्रयासों से ग्राहक जुड़ाव और भागीदारी को बढ़ावा देने में एक सुसंगत प्रवृत्ति सामने आई, जो विभाग के मजबूत प्रदर्शन और रणनीतिक प्रभावशीलता को दर्शाती है।

वित्तीय वर्ष की शुरुआत में आईपीपीबी ने गुजरात में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक किफायती बीमा योजना “अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना” का पायलट लॉन्च किया।

वित्तीय वर्ष के दौरान मार्केटिंग विभाग ने कई नई पहल की, जिसमें से वेबसाइट लीड जनरेशन आईपीपीबी और गैर-आईपीपीबी दोनों ग्राहकों के लिए एक बेहतरीन पहल थी, जिससे आईपीपीबी के साथ ग्राहक संपर्क शुरू हुआ और साथ ही बैंक के राजस्व में भी वृद्धि हुई। वेबसाइट डेटा एनालिटिक्स का लाभ उठाते हुए, विभाग ने सावधानीपूर्वक ट्रैक किया और संबंधित शाखाओं को लीड वितरित किया, जिससे ग्राहक जुड़ाव के लिए एक सुव्यवस्थित दृष्टिकोण सुनिश्चित हुआ।



मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने डिजिटलीकरण की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू कीं। विविध ऑडियंस सेगमेंट को लक्षित करने के लिए रणनीतिक व्हाट्सएप अभियानों के साथ-साथ, डिपार्टमेंट ने संभावित और मौजूदा दोनों तरह के ग्राहकों के साथ सफलतापूर्वक जुड़ाव किया। इस दृष्टिकोण ने न केवल लीड को पोषित किया बल्कि सहज रूपांतरण की सुविधा भी दी, जो डिजिटल क्षेत्र में अनुकूलन के लिए आईपीपीबी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।



विभाग ने अपने कुशल पेशेवरों के साथ त्वरित व्यक्तिगत ऋण, आधार सीडिंग, आईपीपीबी मोबाइल बैंकिंग ऐप के माध्यम से एलआईसी प्रीमियम भुगतान आदि पर विभिन्न डिजिटल मीडिया अभियान चलाए और अपने ग्राहकों को एसएमएस, ईमेल मार्केटिंग, व्हाट्सएप अभियान के रूप में सूचनात्मक सामग्री दी। विभाग ने निवेशकों को धोखाधड़ी योजनाओं के बारे में जागरूक करने के साथ-साथ विभिन्न आईपीपीबी उत्पादों और सेवाओं पर आकर्षक और सूचनात्मक क्रिएटिव प्रदान करके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी। मार्केटिंग टीम ने क्रिएटिव के नियमित अपडेट सुनिश्चित किए, महत्वपूर्ण कैलेंडर इवेंट और उत्सवों के साथ संरेखित किया जिसने ब्रांड दृश्यता और जुड़ाव को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।



भविष्य की ओर देखते हुए, विपणन विभाग उभरते अवसरों का लाभ उठाने के लिए तत्पर है, तथा अपनी रणनीतियों को निरंतर पुनर्परिभाषित और नया रूप दे रहा है, ताकि वह समय के साथ आगे बना रहे और वित्तीय क्षेत्र में सबसे आसानी से सुलभ और विश्वसनीय भुगतान बैंकों में से एक के रूप में अपनी विरासत को बनाए रखे।

उत्पाद

व्यक्तिगत व्यवसाय संवाददाताओं के लिए नई सेवाएँ

व्यक्तिगत व्यवसाय संवाददाताओं (आईबीसी) को नागरिकों को बैंक के विभिन्न उत्पाद और सेवाएँ प्रदान करने के लिए एक अतिरिक्त व्यवसाय चैनल के रूप में पेश किया गया। बैंक के एजेंट ऐप का उपयोग करके सेवाओं की नई श्रृंखला शुरू की गई जैसे खाता खोलना, खाता अपग्रेडेशन, आईपीएस, डीएमटी, बिल भुगतान, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजीबीवाई), जीवन बीमा और सामान्य बीमा आदि।



अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) सेवाएँ

धन हस्तांतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) भारत के बाहर से भारत में लाभार्थियों को व्यक्तिगत धन हस्तांतरित करने का एक त्वरित और आसान तरीका है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने फरवरी 2024 में रिया मनी ट्रांसफर के साथ मिलकर 23,000 से अधिक एक्सेस पॉइंट पर एमटीएसएस सेवाएँ शुरू की हैं। लाभार्थी अब अपने परिवार और दोस्तों द्वारा भेजे गए एमटीएसएस पे-आउट के लिए नामित डाकघरों में जा सकते हैं।



ग्राहक सेवा

बैंक लगातार उद्योग के मानक स्थापित करने और उत्पादों, प्रक्रियाओं और सेवा वितरण में अग्रणी नवाचारों का प्रयास करता है जो अपने ग्राहकों को निर्बाध अनुभव प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं। चैनलों में ग्राहक इंटरैक्शन की लगातार निगरानी की जाती है। घर से बैंकिंग की आसानी सुनिश्चित करने के लिए चैनल क्षमताओं (कार्यक्षमता और उपयोगकर्ता अनुभव) को बढ़ाया गया जो समय की मांग बन गई है।

बैंक ने सुनिश्चित किया कि ग्राहकों द्वारा अक्सर उपयोग की जाने वाली कार्यक्षमताएँ डिजिटल चैनलों और संपर्क केंद्र के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएँ। 24*7 संपर्क केंद्र में ग्राहकों से उनकी पसंदीदा भाषा में जुड़ने की क्षमता है। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा, संपर्क केंद्र ग्यारह अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में कार्य करने में सक्षम है। संपर्क केंद्र ने वर्ष के दौरान 75 लाख से अधिक ग्राहक कॉल संभाले। विभिन्न खंडों में ग्राहक संतुष्टि के स्तर का आकलन करने के लिए, संपर्क केंद्र द्वारा विभिन्न सर्वेक्षण किए जाते हैं।

बैंक का ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करता है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान लगभग 95.05% शिकायतों का समाधान पूर्व-निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया गया। बैंक ने न केवल शिकायत निवारण के मात्रात्मक प्रदर्शन संकेतकों में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया, बल्कि ग्राहक संतुष्टि में सुधार के लिए समाधान की गुणवत्ता में सुधार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया। शाखाओं के नेटवर्क में सेवा स्तरों की निगरानी सेवा ऑडिट और कार्यशालाओं के माध्यम से की जाती है।

महाप्रबंधक-संचालन को बैंक में ग्राहकों की शिकायतों के लिए प्रधान नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। इसके अलावा, प्रत्येक सर्कल के लिए नामित नोडल अधिकारी हैं। इसके अलावा, संबंधित नोडल अधिकारियों के नाम उनके संपर्क नंबर के साथ बैंक की सभी शाखाओं में प्रदर्शित किए जाते हैं। बैंक ने एक आंतरिक लोकपाल नियुक्त किया है जो बैंकिंग लोकपाल से संपर्क करने से पहले ग्राहकों को शिकायत निवारण के लिए उपलब्ध कराया गया एक मंच है। सभी शिकायतें, जिन्हें बैंक द्वारा खारिज कर दिया गया है या आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है, व्यवस्थित रूप से समीक्षा के लिए आंतरिक लोकपाल को भेज दी जाती हैं। इससे बैंक की प्रणालियों में ग्राहकों का विश्वास बढ़ता है और शिकायत निवारण की प्रक्रिया में तेजी आती है, जिससे यह अधिक पारदर्शी हो जाती है। विभिन्न उत्पादों, सेवाओं और नीतियों में पारदर्शिता बनाए रखते हुए निष्पक्ष बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए नागरिक चार्टर, शिकायत निवारण नीति और बैंकिंग लोकपाल योजना बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

बोर्ड स्तर पर, ग्राहक सेवा बोर्ड की उपसमिति ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार के उद्देश्य से नीतियों के निर्माण और अनुपालन के आकलन से संबंधित मुद्दों पर विचार करती है। उपसमिति ग्राहकों की आवाज़ के माध्यम से ग्राहकों से प्राप्त फीडबैक का विश्लेषण भी करती है और ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न मापदंडों पर बैंक की तुलना अपने समकक्षों से करती है।

इस वर्ष प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या (1 अप्रैल 2024 तक लंबित शिकायतें) 1,293 है। 31 मार्च 2024 तक शिकायतकर्ता की संतुष्टि तक 37,354 शिकायतों का समाधान किया गया।

वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान प्राप्त शिकायतें

क्रमांक	विवरण	चालू वर्ष वित्त वर्ष 2023-24	पिछला वर्ष वित्त वर्ष 2022-23
बैंक को अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें			
1	वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	822	271
2	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	37,825	16,780
3	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	37,354	16,229
3.1	जिनमें से बैंक द्वारा अस्वीकृत शिकायतों की संख्या	3,329	422
4	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	1,293	822
बैंक को ओबीओ से प्राप्त विचारणीय शिकायतें			
5	ओबीओ से बैंक को प्राप्त होने वाली शिकायतों की संख्या	303	205
5.1	5 में से, बीओ द्वारा बैंक के पक्ष में हल की गई शिकायतों की संख्या	274	200
5.2	5 में से, बीओ द्वारा जारी किए गए सुलह/मध्यस्थता/सलाह के माध्यम से हल की गई शिकायतों की संख्या	29	5
5.3	5 में से, बैंक के खिलाफ बीओ द्वारा पुरस्कार पारित करने के बाद हल की गई शिकायतों की संख्या	शून्य	शून्य
6	निर्धारित समय के भीतर लागू नहीं किए गए पुरस्कारों की संख्या (अपील किए गए को छोड़कर)	शून्य	शून्य

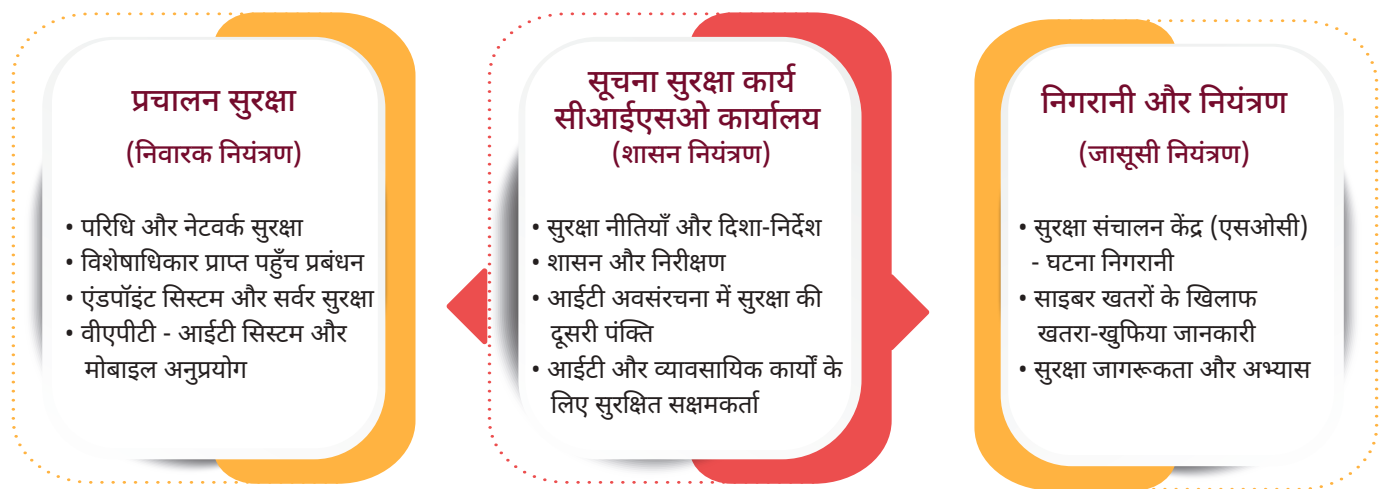


सूचना सुरक्षा

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में सूचना सुरक्षा का मिशन एक सूचना सुरक्षा कार्यक्रम को डिजाइन, लागू और बनाए रखना है जो बैंक की प्रणालियों, सेवाओं और डेटा को अनधिकृत उपयोग, प्रकटीकरण, संशोधन, क्षति और हानि से बचाता है। सूचना सुरक्षा विभाग बैंक के विभिन्न व्यावसायिक कार्यों में संलग्न होने, एक उपयुक्त सूचना सुरक्षा शासन संरचना स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है जो नई सूचना सुरक्षा पहलों के लिए सहयोग और समर्थन को सक्षम बनाता है।

सुरक्षा की दूसरी पंक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका के साथ, आईपीपीबी में तैनात सुरक्षा नियंत्रण का उद्देश्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की रक्षा करना और साइबर खतरों को रोकने और उनका जवाब देने, कमजोरियों को कम करने और विभिन्न सुरक्षा/साइबर घटनाओं से होने वाले नुकसान को न्यूनतम करने के लिए क्षमताओं का निर्माण करना है।

आईपीपीबी की संगठनात्मक संरचना में एक मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) की भूमिका बनाई गई है, जो सुरक्षा संरचना/बुनियादी ढांचे पर निगरानी रखने और सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया गतिविधियों के समन्वय के लिए बनाई गई है।



आईपीपीबी में, गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता की तिकड़ी बैंक द्वारा कार्यान्वित सूचना सुरक्षा ढांचे के केंद्र में है। ग्राहकों की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए, बैंक साइबर सुरक्षा समाधानों को लागू करने में 'डिफेंस-इन-डेप्थ' दृष्टिकोण का पालन करता है। यह दृष्टिकोण बैंक को उपकरणों और तकनीकों के संयोजन के साथ बहु-स्तरीय रक्षा तंत्र का उपयोग करके अपने डेटा की सुरक्षा करने में सक्षम बनाता है जो एक दूसरे के पूरक और संवर्द्धन करते हैं।

अपने बहुस्तरीय सुरक्षा तंत्र के साथ, बैंक यह सुनिश्चित करता है कि उसका आईटी बुनियादी ढांचा सदैव सुरक्षित रहे तथा विभिन्न स्तरों पर 24x7 निगरानी की जाए:

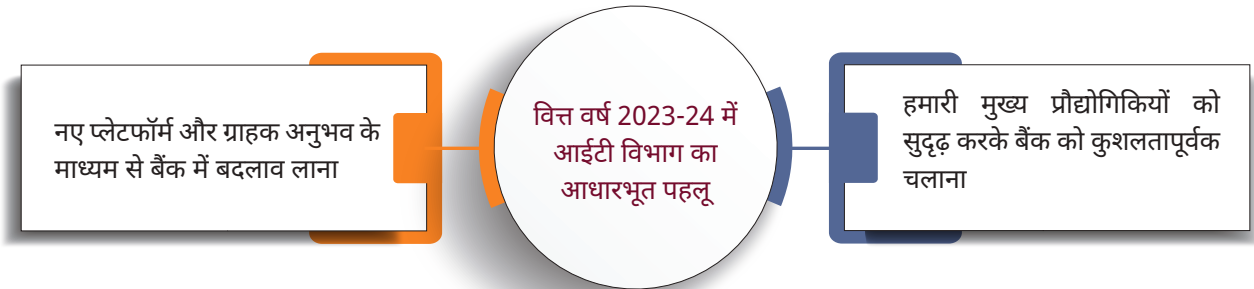
- नेटवर्क सुरक्षा उपकरणों के माध्यम से परिधि और आंतरिक नेटवर्क सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है।
- पहचान और पहुँच प्रबंधन विशेषाधिकार प्राप्त पहुँच प्रबंधन समाधान के माध्यम से किया जाता है।
- एंड-पॉइंट सिस्टम और सर्वर एंटी-वायरस और होस्ट रोकथाम के साथ सुरक्षित हैं।
- आईटी सिस्टम और मोबाइल एप्लिकेशन पर तिमाही आधार पर भेद्यता मूल्यांकन अभ्यास किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भेद्यता कम हो गई है और जोखिम प्रबंधित हो गए हैं।
- 24x7-365 दिनों के नेटवर्क, सर्वर और सिस्टम मॉनिटरिंग के साथ चौबीसों घंटे साइबर खतरों की निगरानी, रोकथाम, पता लगाने, जांच करने और जवाब देने के लिए सुरक्षा संचालन केंद्र (एसओसी) की स्थापना की गई।
- ब्रांड दुरुपयोग, एंटी-फिशिंग, एंटी-मैलवेयर और डार्क वेब स्कैनिंग के लिए खतरा-खुफिया उपकरण बैंक के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले बदमाशों की सक्रिय रूप से रिपोर्ट करने और उन पर कार्रवाई करने के लिए।
- जागरूकता ईमेल, पोस्टर, प्रश्नोत्तरी और ब्लक एसएमएस भेजना।

आईपीपीबी नवंबर 2020 से आईडीआरबीटी द्वारा साइबर ड्रिल गतिविधि में नियमित भागीदार है, जो साइबर हमलों की बैंक द्वारा पहचान और प्रतिक्रिया तंत्र का मूल्यांकन करने के लिए आयोजित किया जाता है।

इसके अलावा, बैंक अपने सुरक्षा दृष्टिकोण की जांच करने और उसे मजबूत करने में मदद करने के लिए बाहरी लेखा परीक्षकों और नियामक परीक्षाओं द्वारा अपनी सुरक्षा प्रथाओं का कई बार मूल्यांकन करता है।

सूचना प्रौद्योगिकी

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक प्रौद्योगिकी परिवर्तन अभ्यास के बीच में है जो भविष्य के बैंक के निर्माण के साथ-साथ बैंक चलाने पर भी ध्यान केंद्रित करता है। हमारे लिए, प्रौद्योगिकी उन्नयन और डिजिटल परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करना विकास प्राप्त करने के साथ-साथ ग्राहक सेवा में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए केंद्रीय है। हम दो मूलभूत पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। पहला, नए प्लेटफॉर्म के माध्यम से बैंक को बदलना और सर्वश्रेष्ठ-इन-क्लास उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करके ग्राहक अनुभव को समृद्ध करना। दूसरा, बड़े पैमाने पर बेहतर प्रदर्शन और लचीलेपन के साथ हमारी मुख्य तकनीकों को सुदृढ़ करके बैंक को कुशलतापूर्वक चलाना। हमारी डिजिटल परिवर्तन यात्रा संगठन के भीतर दक्षताओं के निर्माण द्वारा संचालित हो रही है।

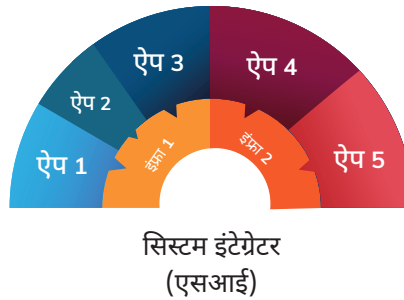


सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उठाए गए कुछ अग्रणी कदम नीचे सूचीबद्ध हैं:

सिस्टम इंटीग्रेटर (एसआई) दृष्टिकोण को मैनेज सर्विस प्रोवाइडर (एमएसपी) दृष्टिकोण में बदलना

बैंकिंग उद्योग के पारंपरिक तरीके को एसआई दृष्टिकोण के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी के प्रबंधन में बदलकर, प्रौद्योगिकी विभाग ने पथ-प्रदर्शक कदम उठाया है। विभाग के पास सीमित संसाधनों की उपलब्धता के बावजूद यह परिवर्तन सफल रहा।

इस परिवर्तन से न केवल बैंक को आईटी अवसंरचना के प्रबंधन पर बड़े निवेश को बचाने में मदद मिली, बल्कि इसने क्षेत्र में सेवा वितरण की गुणवत्ता को भी बढ़ाया।



सिस्टम इंटीग्रेटर (एसआई) दृष्टिकोण



प्रबंधित सेवा प्रदाता (एमएसपी) दृष्टिकोण

डीआर (आपदा पुनर्प्राप्ति) ड्रिल का आयोजन

आईटी डिजास्टर रिकवरी (डीआर) ड्रिल का महत्व अतिरिक्त नहीं किया जा सकता है। ये ड्रिल यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं कि बैंक आपात स्थितियों का सामना करने के लिए अच्छी तरह से तैयार है और संकटों को प्रभावी ढंग से संभालता है। चाहे वह प्राकृतिक आपदा हो जो बिजली और कंप्यूटर सिस्टम को बाधित करती है या रैनसमवेयर जैसा साइबर अपराध, एक अच्छी तरह से अभ्यास की गई डीआर योजना के साथ तैयार रहना महत्वपूर्ण है।

इस वर्ष, हमने लगातार दो सफल डी.आर. अभ्यास आयोजित किए हैं, जो अप्रत्याशित नकारात्मक परिस्थितियों के प्रति आपकी तत्परता और तैयारी को प्रदर्शित करते हैं।

नेटवर्क और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार

बैंक की आईटी टीम लगातार बढ़ते लेनदेन और एप्लिकेशन परिदृश्य का समर्थन करने के लिए नेटवर्क और कंप्यूटर की क्षमता को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। बैंड-चौड़ाई और कंप्यूटर में समय-समय पर कई तरह के सुधार किए गए हैं। इसके अलावा, एप्लिकेशन तक पहुँचने वाले स्थानों की गंभीरता को देखते हुए, अतिरिक्त लिंक का भी प्रावधान किया जा रहा है। इसके अलावा, सुरक्षा पैच के साथ बैकएंड सॉफ्टवेयर का प्रबंधन और उन्नयन समय-समय पर किया जा रहा है। नेटवर्क डिवाइस एक्सेस कंट्रोल के लिए विशेष एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म लागू किया गया है।

आईटी अधिकारियों को शामिल करके बैंक प्रौद्योगिकी टीम में वृद्धि करना

हमारे प्रदर्शन को मजबूत करने के लिए और अधिक अधिकारियों को शामिल करके आईटी टीम का विस्तार किया गया है। उनका उद्योग अनुभव हमारी वर्तमान प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने और निरंतर सेवा वितरण सुनिश्चित करने में मदद करेगा। हमारा सचेत प्रयास छोटे पैमाने पर लॉन्च करना, ग्राहकों की प्रतिक्रिया सुनना, पूरी तरह से स्केल करने से पहले मौखिक रूप से स्वीकृति बनाना है। समानांतर रूप से, बेहतर लचीलापन, पैमाने और चपलता के लिए हमारी मुख्य तकनीक को मजबूत किया जा रहा है।



जोखिम प्रबंधन

बैंक ने जोखिम की पहचान, माप, निगरानी और प्रबंधन करने तथा बैंक की समग्र जोखिम क्षमता/सहनशीलता स्तर के अनुरूप नियंत्रण प्रणालियाँ स्थापित करने के लिए विभिन्न जोखिम प्रबंधन नीतियाँ और रणनीतियाँ तैयार की हैं। ऐसे जोखिमों से निपटने के लिए बैंक के निदेशक मंडल द्वारा तैयार और स्वीकृत की गई प्रमुख नीतियाँ हैं ट्रेजरी निवेश नीति, परिसंपत्ति देयता प्रबंधन नीति, बाजार जोखिम प्रबंधन नीति, परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति, आउटसोर्सिंग नीति, व्यवसाय निरंतरता नीति, आईसीएएपी नीति, तनाव परीक्षण नीति, धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति, सूचना सुरक्षा नीति और साइबर सुरक्षा नीति आदि।

कुशल जोखिम प्रबंधन के लिए आपके बैंक के पास जोखिम प्रबंधन के लिए एक बहुस्तरीय ढांचा है जिसमें मूलतः निम्नलिखित तत्व शामिल हैं:

परिचालन जोखिम प्रबंधन

बैंक ने परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति के साथ-साथ परिचालन जोखिम को प्रभावी तरीके से प्रबंधित करने के लिए सहायक ढांचा तैयार किया है जैसे क) परिचालन जोखिम हानि घटना की पहचान, रिपोर्टिंग, लेखांकन और समापन के लिए हानि डेटा प्रबंधन (एलडीएम) ढांचा जिससे हानि को मापा जा सके और सुधारात्मक कार्यों के माध्यम से इसे नियंत्रित किया जा सके ख) नए/मौजूदा उत्पाद/प्रक्रिया में प्रमुख जोखिम मुद्दों की पहचान और समाधान के लिए उत्पाद और परिवर्तन अनुमोदन ढांचा ग) उत्पादों/प्रक्रिया और परीक्षण नियंत्रण में जोखिमों का आकलन करने के लिए जोखिम और नियंत्रण स्व-मूल्यांकन (आरसीएसए) और घ) जोखिम मुद्दों (केआरआई) की निगरानी के लिए प्रमुख जोखिम संकेतक (केआरआई)। इसके अलावा, परिचालन जोखिम मुद्दों की पहचान करने, यदि कोई हो, और जहां आवश्यक हो, उपयुक्त नियंत्रण सुझाने के लिए बैंक के उत्पादों और प्रक्रियाओं पर विषयगत अध्ययन भी

बाजार जोखिम और परिसंपत्ति देयता प्रबंधन

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित बाजार जोखिम प्रबंधन नीति, एएलएम और ट्रेजरी निवेश नीति लागू की है जो भुगतान बैंकों और कार्यकारी स्तर की समितियों, अर्थात् निवेश समिति और परिसंपत्ति-देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) को नियंत्रित करने वाले आरबीआई विनियमों और परिचालन दिशानिर्देशों के अनुरूप है, जो आरएमसीबी को दिन-प्रतिदिन के मामलों, संबंधित मुद्दों/चिंताओं, यदि कोई हो, से व्यापक तरीके से निपटने में सहायता करती है। आपके बैंक की ट्रेजरी निवेश, बाजार जोखिम और एएलएम नीति में निवेश/जोखिम प्रबंधन प्रथाएं, प्रक्रियाएं, विवेकपूर्ण जोखिम सीमाएं, समीक्षा तंत्र और रिपोर्टिंग प्रणाली आदि शामिल हैं। इन नीतियों की वित्तीय और बाजार स्थितियों में बदलाव के अनुरूप समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

ट्रेडिंग बुक में बाजार जोखिम की निगरानी और प्रबंधन बाजार जोखिम प्रबंधन नीति में परिभाषित उचित नियंत्रण तंत्र के अनुसार किया जाता है। बाजार की स्थिति, फंडिंग पैटर्न, अवधि, प्रतिपक्ष सीमा और विभिन्न अन्य संवेदनशील मापदंडों की निगरानी बैंक द्वारा नियमित आधार पर की जाती है।

बैंक नियमित आधार पर संरचनात्मक तरलता विवरणों और स्टॉक अनुपातों के माध्यम से बैलेंस शीट की सभी मदों के लिए तरलता जोखिम को मापता और मॉनिटर करता है। बैंक ब्याज दर संवेदनशीलता अंतर रिपोर्ट के माध्यम से अपने ब्याज दर जोखिम को मापता और मॉनिटर करता है।

धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन

बैंक रोज़मर्रा की बैंकिंग में उच्चतम नैतिक और पेशेवर मानकों को बनाए रखने के लिए समर्पित है। धोखाधड़ी पर आरबीआई के दिशा-निर्देशों को लागू करने के लिए, आईपीपीबी ने एक धोखाधड़ी जोखिम नीति बनाई है। इस नीति का उद्देश्य एक ऐसा ढांचा प्रदान करना है जो बैंक को धोखाधड़ी की जल्द पहचान करने, उन्हें उचित अधिकारियों को रिपोर्ट करने और कर्मचारियों की जवाबदेही पर नज़र रखने और कुशल धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन करने जैसी त्वरित और सुधारात्मक कार्रवाई करने की अनुमति देगा।

बैंक ने अपने कर्मचारियों को साप्ताहिक धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन श्रृंखला भेजकर धोखाधड़ी की रोकथाम के प्रयासों को आगे बढ़ाया है, इस विश्वास के साथ कि रोकथाम इलाज से बेहतर है। बैंक इसके अतिरिक्त अपने ग्राहकों और व्यापक जनता को धोखाधड़ी जोखिम जागरूकता के बारे में जानकारी सोशल मीडिया पर होस्ट करके और ग्राहकों को भेजे जाने वाले ई-स्टेटमेंट में शामिल करके प्रसारित करता रहता है।

मानव संसाधन

शुरू की गई पहलें

1. पदोन्नत अधिकारियों के लिए कौशल अंतर को पाटने के उद्देश्य से "नेतृत्व उत्कृष्टता प्रत्यायन और विकास (एलईएडी)" कार्यक्रम शुरू किया गया।
2. कॉर्पोरेट कार्यालय में कर्मचारियों के लिए प्रभावी लिखित संचार पर तीन प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित की गई। ऐसी कार्यशालाओं को ऑनलाइन मोड में सर्किल, क्षेत्रीय कार्यालयों और उससे आगे तक विस्तारित करने की योजना है।
3. **बिक्री और परिचालन उत्कृष्टता (आरआईएसई) योजना में पहल की मान्यता का शुभारंभ:** शाखा लक्ष्यों को प्राप्त करने में कर्मचारी के प्रयास को मान्यता देने के लिए, तिमाही आधार पर औसत समेकित (बिक्री और परिचालन) के आरए के आधार पर पूरे भारत में शीर्ष 5 शाखाओं को मान्यता देने के लिए एक नई योजना शुरू की गई।
4. अवकाश ट्रेकिंग और सेवा अवधि गणना में सुधार के लिए मानव संसाधन डिजिटलीकरण।
5. मुख्य प्रबंधक के लिए "नैतिकता और कॉर्पोरेट प्रशासन" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम ताकि निम्नलिखित को विकसित किया जा सके:
 - जिम्मेदार और नैतिक व्यवहार के उचित मानदंडों की सराहना।
 - संगठनात्मक संस्कृति पर नैतिक चूक के प्रभावों।
 - कॉर्पोरेट प्रशासन पर विचार-विमर्श।
 - अच्छे, अनुकूल और पेशेवर संबंधों और कार्य वातावरण को प्रोत्साहित करना।
 - कर्मचारियों के बीच ईमानदारी को बढ़ावा देना तथा निवेशकों और उपभोक्ताओं जैसे प्रमुख हितधारकों का विश्वास हासिल करना।
 - संगठन और संस्था के प्रबंधन और नियंत्रण में सहायता के लिए नियम और सिद्धांत स्थापित करना।
6. आईपीपीबी अधिकारियों और उनके आश्रितों के लिए एक कल्याण कार्यक्रम जिसमें आईपीपीबी कॉर्पोरेट कार्यालय और सीपीसी कार्यालयों में जनरल फिजिशियन और मनोवैज्ञानिक के नियमित साप्ताहिक दौरे के साथ-साथ टेली-परामर्श सेवाएँ भी शामिल हैं। अन्य कल्याण

वितरण

विभाग का लक्ष्य एक्सेस प्वाइंट्स की शुरुआत, एक्सेस प्वाइंट की तैयारी, व्यक्तिगत/कॉर्पोरेट व्यापार संवाददाताओं की नियुक्ति, बीसी का प्रशिक्षण और प्रमाणन, डिवाइस की तैयारी, प्रोत्साहन भुगतान, वित्तीय साक्षरता शिविरों का आयोजन, इंटरनेट कार्यक्रम और अन्य वितरण संबंधी गतिविधियों के माध्यम से बिक्री उत्पादकता को बढ़ाना है।

ग्राहकों को प्रभावी बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए वर्तमान में 1,61,000 से अधिक डीओपी एक्सेस पॉइंट सक्रिय हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान, ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए अंतिम उपयोगकर्ताओं को नए अत्याधुनिक उपकरण प्रदान किए गए।

एफएलसी कैम्प

ग्रामीण भारत में वित्तीय समावेशन के भारत सरकार के उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए, देश भर में वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किए गए।

- वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान नाबार्ड के सहयोग से 23 राज्यों में 3,900 शिविर आयोजित किए गए।
- निवेशक दीदी पहल ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 19 राज्यों को कवर करते हुए अतिरिक्त 1,120 आईपीएफए शिविर आयोजित किए।

मोबाइल बिजनेस कॉरिस्पॉन्डेंट कार्यक्रम के अंतर्गत 23,318 नए एक्सेस प्वाइंट शुरू किए गए

- **व्यक्तिगत बीसी:** वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कुल 1763 आईबीसी को शामिल किया गया। आईबीसी को आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (ईपीएस), घरेलू धन हस्तांतरण (डीएमटी) और कार्ड+पिन डिवाइस का उपयोग करके मौद्रिक लेनदेन करने के साथ-साथ खाता खोलने और बीमा उत्पाद सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम बनाया गया।
- **प्रशिक्षण एवं विकास:** बैंक कर्मचारियों और अंतिम उपयोगकर्ताओं को विभिन्न शिक्षण मॉड्यूल पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। मुख्य बिंदु: वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 1,03,673 आईआईबीएफ प्रमाणन।
- **इंटरनेट:** बैंक द्वारा इंटरनेट कार्यक्रम को छात्रों और शैक्षणिक संस्थानों दोनों द्वारा सराहना मिली। बैंक ने 23 राज्यों के लगभग 1,100 से अधिक छात्रों को इंटरनेट का अवसर प्रदान किया। छात्रों को प्रशिक्षित किया गया और उन्हें बैंक के विभिन्न क्षेत्रों- संचालन, विपणन, बिक्री और ग्राहक सेवा पर काम करने का अवसर दिया गया, जिससे उन्हें उद्योग-मानक प्रथाओं से परिचित कराया जा सके।



अनुपालन

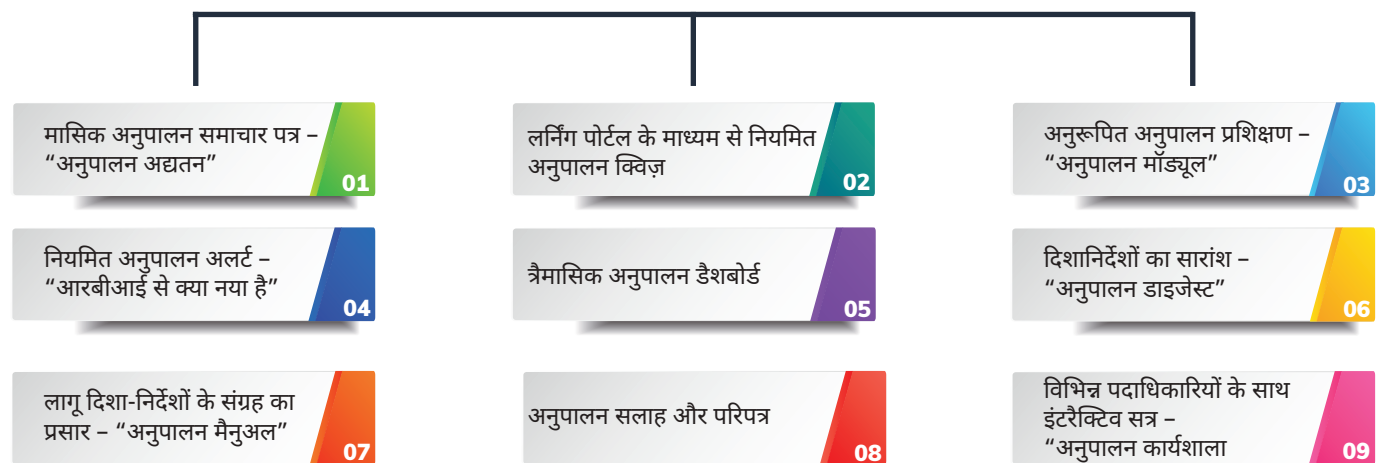
आईपीपीबी के पास आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार एक अच्छी तरह से स्थापित अनुपालन विभाग है, जिसका कार्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक कार्यस्थल पर अनुपालन संस्कृति विकसित करे और उसे लागू करे तथा नियामक हिंसा के प्रारंभिक चेतावनी संकेतों के माध्यम से बैंक की प्रतिष्ठा की सुरक्षा के लिए अनुपालन जोखिम का प्रबंधन करे।

अनुपालन विभाग ने बैंक के लिए केवाईसी/एएमएल/सीएफटी नीति तैयार की है जिसमें ग्राहक स्वीकृति, जोखिम प्रबंधन, ग्राहक पहचान प्रक्रिया और लेनदेन की निगरानी के प्रमुख तत्व शामिल हैं।

प्रभावी अनुपालन के लिए, बैंक के पास अनुपालन प्रबंधन के लिए बहुस्तरीय ढांचा है जिसमें निम्नलिखित तत्व शामिल हैं:

विनियामक और आंतरिक नियंत्रण	विनियामक रिपोर्टिंग	एएमएल - सीएफटी	प्रबंधन सूचना प्रणाली और गुणवत्ता नियंत्रण
इस प्रभाग ने निम्नलिखित उपलब्धियां हासिल कीं: - विशेष रूप से तैयार किए गए अनुपालन मॉड्यूल के माध्यम से सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना। - भुगतान बैंक के विभिन्न पहलुओं को कवर करते हुए 8 प्रश्नोत्तरी शृंखला आयोजित की गई। - बैंक में सभी कार्यों का अनुपालन परीक्षण समय पर किया जाना। - बैंक ने दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी के लिए तकनीकी समाधान लागू किया है। - क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के लिए अनुपालन कार्यशाला आयोजित की गई।	इस प्रभाग ने निम्नलिखित उपलब्धियां हासिल कीं: - मैन्युअल हस्तक्षेप के बिना रिपोर्टिंग को सुव्यवस्थित करने के लिए विभिन्न रिपोर्टों का स्वचालन। - संगठन को अवगत कराने के लिए विभिन्न डैशबोर्ड प्रकाशित किए गए।	इस प्रभाग ने निम्नलिखित उपलब्धियां हासिल कीं: - क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के लिए एएमएल-सीएफटी प्रशिक्षण आयोजित किया गया। - अलर्ट निगरानी में कोई लंबित मामला नहीं - फिननेट 2.0 का सफल कार्यान्वयन। - एफआईयू-आईएनडी ने गुणवत्तापूर्ण एसटीआर दाखिल करने के लिए आईपीपीबी की सराहना की।	इस प्रभाग ने निम्नलिखित उपलब्धियां हासिल कीं: - विभिन्न आउटसोर्स अनुबंधों की सुव्यवस्थित ट्रैकिंग और विभिन्न नियामक प्रणालियों के कार्यान्वयन की प्रगति। - बैंक के विभिन्न विभागों से महत्वपूर्ण डेटा का नियमित संग्रह और रखरखाव।

अनुपालन संस्कृति



पुरस्कार, मान्यता और प्रमुख कार्यक्रम

पुरस्कार और मान्यता



इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को 27 मई, 2023 को मुंबई में सिनेक्स ग्रुप द्वारा आयोजित इंडिया बैंकिंग समिट एंड अवार्ड्स 2023 के दौरान प्रतिष्ठित 'पेमेंट बैंक ऑफ द ईयर' पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अपने अभिनव डिजिटाइज्ड भुगतान समाधानों और अद्वितीय डोरस्टेप बैंकिंग सेवाओं के लिए पहचाने जाने वाले इस बैंक ने एक वैश्विक मानक स्थापित किया है और 1 सितंबर 2018 को अपने लॉन्च के बाद से उपभोक्ताओं के लिए परेशानी मुक्त वित्तीय लेनदेन की सुविधा प्रदान कर रहा है।



आईपीपीबी को 10 जून, 2023 को गोवा में आयोजित एक कार्यक्रम में 'उत्कृष्ट भुगतान समाधान प्रदाता' के लिए प्रतिष्ठित जूरी चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान ग्राहक-केंद्रित बैंकिंग समाधान प्रदान करने, अंतिम छोर तक पहुंच और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए आईपीपीबी की दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।



आईपीपीबी ने बीएफएसआई सीएक्सओ अवार्ड्स के 10वें संस्करण में भाग लिया और 'पेमेंट्स बैंक में नेतृत्व उत्कृष्टता' की श्रेणी में इलेट्स बीएफएसआई सीएक्सओ अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान हमें 10 फरवरी, 2024 को तिरुवनंतपुरम, केरल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रदान किया गया।

आईपीपीबी को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ ग्राहक केंद्रित प्रोजेक्ट के लिए दूसरे वार्षिक सीएक्सओ उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसे 23 जून, 2023 को बेंगलुरु में आयोजित एक कार्यक्रम में क्वांटिक ग्रुप द्वारा प्रदान किया गया।



प्रमुख कार्यक्रम



ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का चौथा संस्करण

आईपीपीबी ने 5 से 7 सितंबर 2023 तक जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के चौथे संस्करण में भाग लिया। एनपीसीआई, पीसीआई और फिनटेक कन्वर्जेस काउंसिल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सेमी-प्रीमियम बूथ पर रचनात्मक रूप से डिज़ाइन किए गए डिस्ले के माध्यम से आईपीपीबी के उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन किया गया। आईपीपीबी के एमडी और सीईओ भी इस कार्यक्रम में एक विशिष्ट वक्ता थे।

अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना

अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट लॉन्च 8 जुलाई 2023 को गुजरात के नाडियाड में हुआ, जिसका उद्घाटन गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल और माननीय केंद्रीय मंत्री श्री देवुसिंह चौहान ने किया। इस पहल का उद्देश्य गैर-मान्यता प्राप्त क्षेत्र के श्रमिकों को दुर्घटना कवरेज की वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है, जिससे देश भर में उनके आर्थिक कल्याण की नींव रखी जा सके।



आईपीपीबी दिवस

1 सितंबर, 2023 को, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने अपना 5वां राष्ट्रीय लॉन्च दिवस मनाया, जिसे अब आईपीपीबी दिवस के रूप में जाना जाता है, यह भारत सरकार के आधिकारिक कैलेंडर पर मान्यता प्राप्त एक महत्वपूर्ण अवसर है। आईपीपीबी के दिल्ली कॉर्पोरेट कार्यालय और देश भर की शाखाओं में समारोह आयोजित किए गए। शाखाओं ने क्षेत्रीय और सर्किल डीओपी, एसएसपी, पीएमजी और वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया, केक काटने, दीप प्रज्ज्वलन और प्रचार गतिविधियों जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया।

सोशल मीडिया चैंपियन प्रतियोगिता का अभिनंदन

फील्ड स्टोरीज फॉर सोशल मीडिया चैंपियन प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित करने के लिए हमारे कॉर्पोरेट कार्यालय में एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। आस-पास के स्थानों से विजेताओं को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रशंसा प्रमाण पत्र दिए गए, जबकि स्टार स्टोरी विजेता को प्रशंसा के प्रतीक के रूप में 3000/- रुपये का उपहार वाउचर दिया गया। अन्य विजेताओं के लिए प्रमाण पत्र और उपहार वाउचर उनके संबंधित स्थानों पर भेज दिए गए।



रुपे पीवीएल

विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करने के लिए आईपीपीबी के प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों को रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग में आमंत्रित किया गया था।

प्रमुख मीडिया कवरेज



<https://www.fortuneindia.com/macro/india-post-aadhaar-atm-heres-how-to-get-cash-delivered-at-home/116383>



https://www.business-standard.com/companies/news/india-post-payments-bank-plans-to-double-income-in-fy24-md-venkatramu-123082300924_1.html



<https://www.financialexpress.com/business/sme-sidbi-enters-in-partnership-with-indian-post-payments-bank-to-support-rural-and-informal-micro-enterprises-3270501/>



<https://psuwatch.com/newsupdates/ippb-enters-into-mou-with-hzl-to-offer-financial-inclusion-services>



<https://economictimes.indiatimes.com/wealth/save/how-pensioner-can-generate-digital-life-certificate-from-india-post-payments-bank-what-are-the-fees/articleshow/104417748.cms?from=mdr>



<https://hindi.news18.com/news/business/whatsapp-banking-here-is-how-india-post-payments-bank-ippb-customers-can-check-balance-and-other-banking-service-7025931.html>

वैधानिक रिपोर्ट और वित्तीय विवरण

सेवा में,
सदस्यगण,

आपके निदेशकों को, कंपनी की आठवीं वार्षिक रिपोर्ट ("आईपीबी") के साथ-साथ 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों सहित लेखा परीक्षक रिपोर्ट और उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय परिणाम
समीक्षाधीन वर्ष के लिए कंपनी का वित्तीय निष्पादन तथा पिछले वर्ष के आंकड़े नीचे दिए गए हैं:

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
कुल जमा	11552.19	6292.36
कुल परिसंपत्ति/देयताएं	13662.76	7620.72
कुल आय	1265.29	766.15
कुल व्यय	1231.05	745.99
वर्ष के लिए निवल लाभ /निवल हानि	34.23	20.16
निवल मूल्य	959.57	506.11
भारत सरकार की शेयरधारिता (%)	100	100
पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) (%)	54.86	56.96
टियर 1 पूंजी अनुपात (%)	54.64	56.7
प्रति शेयर आय – मूल/डायल्यूटिड (रूपये में)	0.18	0.13

प्रदर्शन की मुख्य विशेषताएं और अवलोकन

इस अवधि के दौरान कंपनी ने 1265.29 करोड़ रुपये का कुल राजस्व और 1231.05 करोड़ रुपये का कुल व्यय दर्ज किया है। वर्ष के दौरान कुल निवल लाभ 34.23 करोड़ रुपये रहा। पिछले वर्ष कंपनी ने 20.16 करोड़ रुपये का लाभ कमाया था।

सार्वजनिक जमा

बैंकिंग कंपनी होने के नाते, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 और 74 के साथ पठित कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(5)(v) और (VI) के अनुसार आवश्यक प्रकटीकरण आपकी कंपनी पर लागू नहीं होता है।

लाभांश

कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित नहीं किया था।

निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

निदेशकगण सदस्यों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि समीक्षाधीन वर्ष के लिए वित्तीय विवरण पूरी तरह से कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुरूप हैं।

निदेशकगण पुष्टि करते हैं कि:

- वार्षिक लेखे लागू लेखांकन मानकों के अनुरूप तैयार किए गए हैं;
- सुसंगत आधार पर चयनित और लागू की गई लेखांकन नीतियां कंपनी के मामलों और वित्तीय वर्ष के लाभ का सही और निष्पक्ष विवरण देती हैं;
- इस बात का पर्याप्त ध्यान रखा गया है कि कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं की रोकथाम और पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड बनाए रखे गए हैं;
- वार्षिक लेखे चालू व्यवसाय के आधार पर तैयार किये गये हैं;
- सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई प्रणालियाँ पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से कार्य कर रही थीं।

वैधानिक लेखा परीक्षक

आपकी कंपनी, मेसर्स ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (एफआरएन - 000038एन) के सांविधिक लेखा परीक्षकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अनुसार भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (भारत के सी एंड एजी) द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आपकी कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया था। सांविधिक लेखा परीक्षकों ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है। लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में कोई विशिष्टता, संदेह या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है और लेखा परीक्षक रिपोर्ट में उठाए गए बिंदु स्व-व्याख्यात्मक हैं।

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और परिशिष्ट रिपोर्ट और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत 31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां बोर्ड की रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

सचिवीय लेखा परीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 और कंपनी (प्रबंधकीय कर्मियों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने मेसर्स वीएपी एंड एसोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरी, नई दिल्ली को कंपनी का सचिवीय लेखा परीक्षा करने हेतु नियुक्त किया है। 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए, प्रबंधन के उत्तर के साथ, सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट इसके साथ संलग्न है।

सचिवीय मानकों का अनुपालन

बैंक समय-समय पर अधिसूचित सभी लागू सचिवीय मानकों का अनुपालन करता है।

व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक के कारोबार की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय

कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के साथ पठित, ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय से संबंधित प्रासंगिक आंकड़े निर्धारित प्रारूप में दिए गए हैं और इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति को 19 जनवरी, 2017 को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। सीएसआर प्रावधान अभी भी कंपनी पर लागू नहीं हैं।

निदेशक मंडल

बैंक के निदेशक मंडल का आधार व्यापक है और इसका संविधान कंपनी अधिनियम 2013 और बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के प्रावधानों द्वारा शासित है। बोर्ड सीधे तौर पर कार्य करता है और साथ ही बैंक के महत्वपूर्ण कार्यात्मक क्षेत्रों में केंद्रित शासन प्रदान करने के लिए गठित विभिन्न बोर्ड समितियों के माध्यम से कार्य करता है।

निर्देशकों के बीच आपसी संबंध

आपके बैंक के बोर्ड का कोई भी निदेशक किसी भी तरह से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी अन्य निदेशक से संबंधित नहीं है।

बोर्ड मीटिंग के लिए कोरम

बोर्ड की बैठकों के लिए कोरम कुल सदस्यों की एक-तिहाई संख्या या दो निदेशकों (जो भी अधिक हो) से होगा, बशर्ते कि कम से कम एक निदेशक केन्द्र सरकार द्वारा नामित किया गया हो।

31 मार्च 2024 तक कंपनी के निदेशक मंडल की स्थिति :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	प्रभावी अधिभोग की अवधि
1	विनीत पांडे	अध्यक्ष एवं निदेशक	09-06-2021
2	पवन कुमार सिंह	नामित निदेशक	15-12-2021
3	आर. विश्वेश्वरन	एमडी एवं सीईओ	27-03-2024
4	संजय प्रसाद	नामांकित निदेशक	05-12-2018
5	डॉ जतिन कुमार मोहंती	स्वतंत्र निदेशक	11-09-2022
6	जयश्री ब्रजलाल दोशी	स्वतंत्र निदेशक	28-09-2022
7	कलियानन ए.	स्वतंत्र निदेशक	11-09-2022
8	वीनय गानू	स्वतंत्र निदेशक	11-09-2022
9	नवनीत कक्कड़	स्वतंत्र निदेशक	11-09-2022
10	श्रीकांत नामदेव	नामांकित निदेशक	18-01-2023

निम्नलिखित व्यक्तियों को वर्ष के दौरान/ अंतिम वार्षिक आम बैठक की तारीख से लेकर रिपोर्टाधीन तिथि तक निदेशक/ मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) के रूप में नियुक्त किया गया:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	प्रभावी अधिभोग की अवधि
1	वी. ईश्वरन	एमडी एवं सीईओ (अंतरिम)	28-10-2023
2	आर. विश्वेश्वरन	एमडी एवं सीईओ	27-03-2024
3	वंदिता कौल	निदेशक एवं अध्यक्ष	01-06-2024
4	राजुल भट्ट	नामित निदेशक	24-07-2024

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान/अंतिम वार्षिक आम बैठक की तारीख से अब तक निम्नलिखित व्यक्ति निदेशक/केएमपी नहीं रहे:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	नियुक्ति की तारीख	इस्तीफे की तारीख
1	जे. वेंकटरामू	एमडी एवं सीईओ	29-10-2020	28-10-2023
2	वी. ईश्वरन	एमडी एवं सीईओ (अंतरिम)	28-10-2023	27-03-2024
3	विनीत पांडे	निदेशक एवं अध्यक्ष	09-06-2021	30-05-2024
4	पवन कुमार सिंह	नामित निदेशक	15-12-2021	12-07-2024

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित व्यक्तियों को केएमपी के रूप में नामित किया गया:

क्र. सं.	व्यक्ति का नाम	पदनाम	प्रभावी अधिभोग की अवधि
1	वी. ईश्वरन	एमडी एवं सीईओ (अंतरिम)	28-10-2023
2	आर. विश्वेश्वरन	एमडी एवं सीईओ	27-03-2024
3	अनूप ईएस	मुख्य वित्तीय अधिकारी	01-04-2022
4	प्रियंका भटनागर	कंपनी सचिव	16-01-2017

बोर्ड मीटिंग

वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल की बारह (12) बार बैठक हुई: -

55 वीं बोर्ड बैठक 03 मई, 2023 को आयोजित की गई	56 वीं बोर्ड बैठक 23 जून, 2023 को आयोजित की गई	57 वीं बोर्ड बैठक 05 अगस्त, 2023 को आयोजित की गई	58 वीं बोर्ड बैठक 15 सितंबर, 2023 को आयोजित की गई	59 वीं बोर्ड बैठक 17 अक्टूबर, 2023 को आयोजित की गई	60 वीं बोर्ड बैठक 08 नवंबर, 23 को आयोजित की गई
25 नवम्बर, 2023 को 61 वीं बोर्ड बैठक आयोजित की गई	62 वीं बोर्ड बैठक 1 दिसंबर, 2023 को आयोजित की गई	63 वीं बोर्ड बैठक 10 जनवरी, 2024 को आयोजित की गई	64 वीं बोर्ड बैठक 19 फरवरी, 2024 को आयोजित की गई	65 वीं बोर्ड बैठक 19 फरवरी, 2024 को आयोजित की गई	30 मार्च, 2024 को 66 वीं बोर्ड बैठक आयोजित

बोर्ड बैठक में निदेशक की उपस्थिति

निदेशक का नाम	आपके बैंक की बोर्ड बैठकों में उपस्थिति (आयोजित कुल बैठकों की संख्या - 12)
विनीत पांडे	12 में से 12
संजय प्रसाद	12 में से 01
आर. विश्वेश्वरन	12 में से 01 (27 मार्च, 2024 को कार्यग्रहण किया)
पवन कुमार सिंह	12 में से 12
जे वेंकटरामू	05 में से 04 (17 अक्टूबर, 2023 को आयोजित 59वीं बोर्ड बैठक तक) 28 अक्टूबर, 2023 को अपना कार्यकाल पूरा किया।
श्रीकांत नामदेव	12 में से 11
नवनीत कक्कड़	12 में से 12
कलियानन ए.	12 में से 12
वीनय गानू	12 में से 12
जयश्री ब्रजलाल दोशी	12 में से 12
डॉ. जतिन कुमार मोहंती	12 में से 11

समितियों

बैंक के निदेशक मंडल ने कॉर्पोरेट प्रशासन और जोखिम प्रबंधन पर भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी/भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार रणनीतिक महत्व के विभिन्न क्षेत्रों पर विचार करने के लिए निदेशकों और/या अधिकारियों की विभिन्न उप-समितियों का गठन किया है। महत्वपूर्ण समितियाँ इस प्रकार हैं:

1. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)
2. बोर्ड की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति
3. बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति
4. बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति
5. बोर्ड की मानव संसाधन संचालन समिति (पूर्व में भर्ती सलाहकार समिति के नाम से जानी जाती थी)
6. बोर्ड की आईटी रणनीति समिति
7. बोर्ड की विपणन एवं व्यवसाय रणनीति समिति
8. 10 मिलियन (1 करोड़ रुपये) और उससे अधिक की सभी धोखाधड़ी की निगरानी और समीक्षा के लिए विशेष समिति

लेखा परीक्षा समिति

कंपनी की लेखा परीक्षा समिति का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है। समिति में छह सदस्य हैं, जिसके अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक श्री नवनीत कक्कड़ हैं। लेखा परीक्षा समिति बैंक के लेखांकन, लेखा परीक्षा और रिपोर्टिंग प्रथाओं की गुणवत्ता और अखंडता की देखरेख करने और कानूनी और अन्य नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन की जिम्मेदारी में बोर्ड की सहायता करती है। समिति का उद्देश्य कंपनी की लेखा और वित्तीय प्रक्रिया की देखरेख करना और बैंक के तिमाही और वार्षिक वित्तीय खातों की समीक्षा करना है। वर्ष 2023-24 के दौरान सात (07) लेखा परीक्षा समिति की बैठकें आयोजित की गईं।

32 वीं लेखा परीक्षा समिति की बैठक 03 अप्रैल, 2023 को आयोजित की गई	33 वीं लेखा परीक्षा समिति की बैठक 22 जून, 2023 को आयोजित की गई	34 वीं लेखा परीक्षा समिति की बैठक 04 जुलाई, 2023 को आयोजित की गई	35 वीं लेखा परीक्षा समिति की बैठक 05 अगस्त, 2023 को आयोजित की गई
36 वीं लेखा परीक्षा समिति की बैठक 30 नवंबर, 2023 को आयोजित की गई	37 वीं लेखा परीक्षा समिति की बैठक 27 दिसंबर, 2023 को आयोजित की गई	38 वीं लेखा परीक्षा समिति की बैठक 14 मार्च, 2024 को आयोजित की गई	

लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार हैं। कार्यों की सूची में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

1. कंपनी के लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक के लिए सिफारिशें;
2. लेखापरीक्षक की स्वतंत्रता और प्रदर्शन, तथा लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी करना;
3. वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की जांच;
4. संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के लेन-देन का अनुमोदन या कोई बाद का संशोधन;
5. अंतर-कॉर्पोरेट ऋण और निवेश की जांच;
6. कंपनी के उपक्रमों या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन, जहां भी आवश्यक समझा जाए;
7. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन;
8. सार्वजनिक प्रस्तावों और संबंधित मामलों के माध्यम से जुटाई गई धनराशि के अंतिम उपयोग की निगरानी करना।
9. बोर्ड द्वारा समय-समय पर सौंपी गई कोई अन्य जिम्मेदारी।

निगरानी तंत्र

कंपनी ने व्हिसल ब्लोअर नीति के रूप में एक सतर्कता तंत्र स्थापित किया है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को शिकायत दर्ज करने और की गई किसी भी कार्रवाई पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए अवसर प्रदान करना है और कर्मचारियों को आश्वस्त करना है कि उन्हें उत्पीड़न से बचाया जाएगा और उनके द्वारा सद्भावनापूर्वक किए गए किसी भी व्हिसल ब्लोइंग के लिए सुरक्षा प्रदान की जाएगी। नीति का उद्देश्य कंपनी के कर्मचारियों को किसी समस्या को अनदेखा करने या उसे बाहरी रूप से संभालने के बजाय संगठन के भीतर गंभीर चिंताओं को उठाने के लिए प्रोत्साहित करना और सक्षम बनाना है।

कंपनी पारदर्शिता, ईमानदारी और जवाबदेही के उच्चतम संभव मानक के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपाय शामिल हैं जो सद्भावनापूर्वक किसी भी चिंता को उठाकर सतर्कता तंत्र का उपयोग करता है। अगर व्हिसल ब्लोअर चाहे तो कंपनी उसकी पहचान की सुरक्षा करती है। हालांकि, व्हिसल ब्लोअर को शिकायत की जाँच के लिए आवश्यक किसी भी अनुशासनात्मक सुनवाई या कार्यवाही में भाग लेने की आवश्यकता होती है। तंत्र एक विस्तृत शिकायत और जाँच प्रक्रिया प्रदान करता है।

यदि परिस्थितियाँ ऐसी हों, तो कर्मचारी सीधे ऑडिट कमेटी के अध्यक्ष से शिकायत कर सकता है। कंपनी अपने कर्मचारियों को प्रबंध निदेशक तक सीधी पहुँच के लिए एक मंच भी प्रदान करती है। उल्लंघन की रिपोर्ट करने वालों की गोपनीयता बनाए रखी जाती है और उन्हें किसी भी भेदभावपूर्ण व्यवहार के अधीन नहीं किया जाता है।

जोखिम प्रबंधन समिति

कंपनी की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन 28 जून, 2017 को किया गया था। समिति में छह सदस्य हैं, जिसके अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक श्री वीनय गानू हैं। कंपनी ने एक जोखिम प्रबंधन नीति लागू की है, जिसका उद्देश्य जोखिम और लाभ के बीच संतुलन बनाना है। इसमें कंपनी के व्यवसाय में जोखिमों की पहचान, माप और प्रबंधन शामिल है। नीति के अनुसार निरंतर आधार पर निगरानी और सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। समिति के पास बैंक के संपूर्ण जोखिम का प्रबंधन करने, बाजार और परिचालन जोखिमों सहित उपयुक्त जोखिम प्रबंधन नीति तैयार करने, जोखिम एकीकरण, सर्वोत्तम जोखिम प्रबंधन प्रथाओं के कार्यान्वयन,

विभिन्न जोखिम सीमाओं को स्थापित करने और बैंक की साइबर सुरक्षा की समीक्षा करने की समग्र जिम्मेदारी है। कंपनी ने जोखिम प्रबंधन नीति को विधिवत लागू किया है। वर्ष 2023-24 के दौरान चार (04) जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकें आयोजित की गईं।

17वीं जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक 23 जून, 2023 को आयोजित की गई	18वीं जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक 22 सितंबर, 2023 को आयोजित की गई	19वीं जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक 27 दिसंबर, 2023 को आयोजित की गई	20वीं जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक 15 मार्च, 2024 को आयोजित की गई
--	---	---	--

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

कंपनी की नामांकन पारिश्रमिक समिति का गठन 28 जून, 2017 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार किया गया था। समिति में अध्यक्ष के रूप में स्वतंत्र निदेशक सुश्री जयश्री ब्रजलाल दोशी के साथ पांच सदस्य शामिल हैं। "समिति का गठन बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत निदेशकों के रूप में चुने जाने वाले व्यक्तियों की "उपयुक्त और उचित मानदंड" स्थिति निर्धारित करने हेतु उचित परिश्रम करने के लिए समिति का गठन किया गया है। इसके अलावा, भारत सरकार ने 30.08.2019 की विस्तृत अधिसूचना को आरबीआई मास्टर निर्देश दिनांक 02.08.2019 द्वारा निर्दिष्ट संरचना के साथ नामांकन और पारिश्रमिक समिति दोनों के कार्यों को पूरा करने के लिए एक एकल नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन करने का निर्देश दिया। वर्ष 2023-24 के दौरान पांच (05) समिति की बैठक आयोजित की गई थी।

06 वीं नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठक 24 अप्रैल, 2023 को आयोजित की गई	07 वीं नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठक 17 अक्टूबर, 2023 को आयोजित की गई	08 वीं नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठक 26 दिसंबर, 2023 को आयोजित की गई	09 वीं नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठक 28 दिसंबर, 2023 को आयोजित की गई	10 वीं नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठक 19 फरवरी, 2024 को आयोजित की गई
---	--	---	---	--

ग्राहक सेवा समिति

बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में निरंतर आधार पर सुधार लाने के लिए कंपनी की ग्राहक सेवा समिति का गठन 28 जून, 2017 को किया गया था। समिति के पांच सदस्य हैं जिनमें डॉ. जतिन कुमार मोहंती, स्वतंत्र निदेशक अध्यक्ष हैं और एक विशेष आमंत्रित व्यक्ति के रूप में अग्रणी ग्राहक सेवा अधिकारी हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान दो (02) समिति की बैठकें आयोजित की गईं।

10 वीं ग्राहक सेवा समिति की बैठक 22 सितंबर, 2023 को आयोजित की गई	11 वीं ग्राहक सेवा समिति की बैठक 16 मार्च, 2024 को आयोजित की गई
--	---

मानव संसाधन संचालन समिति (पूर्व में भर्ती सलाहकार समिति के नाम से जानी जाती थी)

मानव संसाधन संचालन कंपनी की समिति का गठन 01 दिसंबर, 2017 को किया गया था। समिति में तीन सदस्य हैं, जिनमें स्वतंत्र निदेशक सुश्री जयश्री ब्रजलाल दोशी अध्यक्ष हैं। और मुख्य मानव संसाधन अधिकारी को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। वर्ष 2023-24 के दौरान सात (07) मानव संसाधन संचालन समिति की बैठकें आयोजित की गईं।

22 वीं मानव संसाधन संचालन समिति की बैठक 25 अप्रैल, 2023 को आयोजित की गई	23 वीं मानव संसाधन संचालन समिति की बैठक 2 मई, 2023 को आयोजित की गई	24 वीं मानव संसाधन संचालन समिति की बैठक 25 अगस्त, 2023 को आयोजित की गई	25 वीं मानव संसाधन संचालन समिति की बैठक 13 अक्टूबर, 2023 को आयोजित की गई
26 वीं मानव संसाधन संचालन समिति की बैठक 29 नवंबर, 2023 को आयोजित की गई	27 वीं मानव संसाधन संचालन समिति की बैठक 26 दिसंबर, 2023 को आयोजित की जाएगी	28 वीं मानव संसाधन संचालन समिति की बैठक 12 मार्च, 2024 को आयोजित की गई	

आईटी रणनीति समिति

बोर्ड की आईटी रणनीति समिति (पूर्व में आईटी संचालन समिति) का गठन 05 दिसंबर, 2018 को किया गया था। समिति में छह सदस्य हैं, जिसके अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक श्री कलियानन ए. हैं। सीटीओ समिति में स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं। बोर्ड की आईटी रणनीति समिति के व्यापक कार्य इस प्रकार हैं:

- 1. आईटी रणनीति और नीति को मंजूरी देना तथा यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने प्रभावी रणनीतिक नियोजन प्रक्रिया लागू कर दी है।
- 2. यह सुनिश्चित करने के लिए कि आईपीपीबी प्रौद्योगिकी संगठन संरचना व्यवसाय मॉडल का पूरक है, प्रतिभा सोर्सिंग पर समर्थन और निर्देश प्रदान करना।
- 3. सर्वोत्तम अभ्यास प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन पर केंद्रित प्रणाली वास्तुकला के निर्माण में प्रबंधन का मार्गदर्शन करना।
- 4. जोखिम और लाभ के बीच संतुलन सुनिश्चित करने के साथ-साथ नई प्रौद्योगिकी विकल्पों और लागत संबंधी विचारों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित व्यावसायिक मापदंडों पर प्रौद्योगिकी में निवेश को मंजूरी देना:
 - क. नई राजस्व लाइनें
 - ख. ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाना
 - ग. विनियामक अनुपालन
 - घ. प्रक्रिया दक्षता का निर्माण

वर्ष 2023-24 के दौरान, छह (06) आईटी रणनीति समिति की बैठकें आयोजित की गईं।

17 वीं आईटी रणनीति समिति की बैठक 10 अप्रैल, 2023 को आयोजित की गई	18 वीं आईटी रणनीति समिति की बैठक 24 अप्रैल, 2023 को आयोजित की गई	19 वीं आईटी रणनीति समिति की बैठक 22 जून, 2023 को आयोजित की गई	20 वीं आईटी रणनीति समिति की बैठक 04 अगस्त, 2023 को आयोजित की गई	21 वीं आईटी रणनीति समिति की बैठक 1 दिसंबर, 2023 को आयोजित की गई
22 वीं आईटी रणनीति समिति की बैठक 13 मार्च, 2024 को आयोजित की गई				

विपणन एवं व्यवसाय रणनीति समिति

विपणन एवं व्यवसाय रणनीति समिति का गठन 23 फरवरी, 2023 को किया गया। समिति में पांच सदस्य हैं, जिसके अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक डॉ. जतिन कुमार मोहंती हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान विपणन एवं व्यवसाय रणनीति समिति की दो बैठकें आयोजित की गईं।

प्रथम विपणन एवं व्यवसाय रणनीति समिति की बैठक 24 अगस्त, 2023 को आयोजित की गई	15 मार्च, 2024 को द्वितीय विपणन एवं व्यवसाय रणनीति समिति की बैठक आयोजित की गई
---	---

10 मिलियन (1 करोड़ रुपये) और उससे अधिक की धोखाधड़ी की निगरानी और समीक्षा के लिए विशेष समिति

10 मिलियन (1 करोड़ रुपये) और उससे अधिक की धोखाधड़ी की निगरानी और समीक्षा के लिए विशेष समिति का गठन 25 नवंबर, 2023 को किया गया था। समिति में श्री वीनय गानू के साथ पांच सदस्य हैं। स्वतंत्र निदेशक वीनय गानू को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 10 मिलियन (1 करोड़ रुपये) और उससे अधिक की धोखाधड़ी की निगरानी और समीक्षा के लिए विशेष समिति की एक बैठक आयोजित की गई।

10 मिलियन (1 करोड़ रुपये) और उससे अधिक की सभी धोखाधड़ी की निगरानी और समीक्षा के लिए पहली विशेष समिति की बैठक 16 मार्च, 2024 को आयोजित की गई

स्वतंत्र निदेशकों की घोषणा

कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) के अनुसार प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक से आवश्यक घोषणा प्राप्त हुई है कि वह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 की उप-धारा (6) में निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करता है और बोर्ड की राय में वे अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।

कर्मचारियों के पारिश्रमिक के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के साथ कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2) के अंतर्गत सूचना

आईपीपीबी एक सरकारी कंपनी है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधान और संबंधित नियम कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 05.06.2015 के राजपत्र अधिसूचना के मद्देनजर लागू नहीं होंगे। कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति की शर्तें और नियम भारत सरकार द्वारा तय किए जाते हैं। आईपीपीबी के कंपनी सचिव, केएमपी की नियुक्ति के वेतन, नियम और शर्तें कंपनी द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(पी) के तहत बोर्ड द्वारा अपने स्वयं के प्रदर्शन और अपनी समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों के प्रदर्शन के औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन के संबंध में वक्तव्य

आईपीपीबी एक सरकारी कंपनी है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(पी) और प्रासंगिक नियम के प्रावधान भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 05.06.2015 के राजपत्र अधिसूचना के मद्देनजर लागू नहीं होंगे।

संबंधित पक्ष लेन-देन

वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किए गए कोई संबंधित पार्टी अनुबंध, व्यवस्था या लेनदेन नहीं हैं और इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप-धारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरणों का फॉर्म एओसी 2 में कोई प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

होल्टिंग और सहायक कंपनी

इसमें कोई होल्टिंग या सहायक कंपनी नहीं है।

कंपनी की अधिकृत और भुगतान की गई शेयर पूंजी में परिवर्तन

(I) अधिकृत पूंजी: 10/- रुपये प्रति शेयर के 2,35,50,00,000 इक्विटी शेयर।

(II) चुकता पूंजी : 10/- रुपये प्रति शेयर के 2,10,50,00,000 इक्विटी शेयर।

इक्विटी शेयरों का राइट इश्यू

कंपनी ने शेयरधारकों की मौजूदा शेयरधारिता के अनुपात में मौजूदा इक्विटी शेयरधारक, डाक विभाग के सचिव के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को 45,00,00,000 इक्विटी शेयरों का राइट इश्यू जारी किया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत दिए गए ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक कोई ऋण, गारंटी या निवेश नहीं किया गया था, इसलिए उक्त प्रावधान लागू नहीं होता।

कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धता

इस रिपोर्ट की अवधि के दौरान कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन या प्रतिबद्धताएं नहीं हुई हैं।

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005. नागरिकों को सूचना प्राप्त करने में सहायता और सुविधा प्रदान करने के लिए आईपीपीबी की वेबसाइट पर विस्तृत दिशा-निर्देश डाले गए हैं, जिनमें आरटीआई अधिनियम, 2005 की प्रक्रिया बताई गई है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

आपकी कंपनी ने सूचना तक पहुँच सुनिश्चित करने और अधिनियम के तहत प्रथम अपील दायर करने के अधिकार के तहत प्राप्त अनुरोधों से निपटने के लिए पूरे संगठन में एक विस्तृत तंत्र स्थापित किया है। अधिनियम की धारा 4(1)(बी) के अनुरूप आईपीपीबी की वेबसाइट पर सक्रिय खुलासे किए गए हैं, जिसमें विभिन्न श्रेणियों की जानकारी प्रसारित की गई है ताकि नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से अधिनियम का सहारा लेने की न्यूनतम आवश्यकता हो।

राजभाषा

आपकी कंपनी राजभाषा (राजभाषा हिंदी) के प्रसार और संवर्धन के लिए निरंतर प्रयास करती है। भारत सरकार की राजभाषा नीति/अधिनियम/नियम/आदेशों के अनुसरण में सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने की दिशा में प्रयास जारी हैं। इस संबंध में वर्ष के दौरान उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में से एक हिंदी पखवाड़ा था, जिसका उद्देश्य दैनिक सरकारी पत्राचार में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाना था, जिसमें लिखित रूप में सरल और बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया गया। कंपनी की वेबसाइट अंग्रेजी और हिंदी दोनों में उपलब्ध है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(q) के साथ कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(5)(viii) के अंतर्गत सूचना

कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली परिचालन दक्षता, संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण, वित्तीय रिपोर्टिंग में सटीकता और तत्परता तथा कानूनों और विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन की गई है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कंपनी के आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता और प्रभावकारिता की समीक्षा करने के लिए एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रक्रिया द्वारा समर्थित है, जिसमें इसकी प्रणाली और प्रक्रियाएं और विनियमों और प्रक्रियाओं का अनुपालन शामिल है। आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर प्रबंधन के साथ चर्चा की जाती है।

निदेशकों द्वारा वैधानिक प्रकटीकरण:

आपकी कंपनी का कोई भी निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के प्रावधानों के अनुसार अयोग्य नहीं है। आपके निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 के विभिन्न प्रावधानों के तहत आवश्यक प्रकटीकरण किया है।

औद्योगिक संबंध

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्रबंधन और कर्मचारियों/स्टाफ के बीच संबंध अत्यंत सौहार्दपूर्ण रहे। कंपनी के कर्मचारियों के विकास के लिए कौशल उन्नयन, प्रशिक्षण और उत्पादकता सुधार जैसी मानव संसाधन पहलों पर मुख्य ध्यान दिया गया।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरण

कंपनी एक स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस प्रकार किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करती है। किसी भी रूप में किसी भी तरह का भेदभाव और/या उत्पीड़न। कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुरूप एक यौन उत्पीड़न विरोधी नीति अपनाई है। यौन उत्पीड़न के संबंध में प्राप्त शिकायतों के निवारण के लिए आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है। सभी महिला कर्मचारी (स्थायी, संविदा, अस्थायी, प्रशिक्षु) इस नीति के अंतर्गत आती हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान:

1. वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त यौन उत्पीड़न शिकायतों की संख्या- 03
2. 31 मार्च 2024 तक निपटाए गए मामलों की संख्या - 01
3. 31 मार्च 2024 तक लंबित मामलों की संख्या - 02

आपके निदेशकगण ने आगे बताया कि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत तीन मामले दर्ज किए गए।

धारा 143(12) के अंतर्गत लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी के संबंध में विवरण, जो केंद्र सरकार को रिपोर्ट करने योग्य नहीं हैं

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के अंतर्गत वैधानिक लेखा परीक्षकों, समवर्ती लेखा परीक्षकों और सचिवीय लेखा परीक्षकों द्वारा धोखाधड़ी का कोई मामला रिपोर्ट नहीं किया गया।



इंडिया पोस्ट
पेमेंट्स बैंक

IndiaPost
Payments Bank

सचिवीय मानक

निदेशकों ने बताया कि कंपनी पर लागू सचिवीय मानकों का कंपनी द्वारा विधिवत पालन किया गया है।

लागत लेखापरीक्षा के बारे में प्रकटीकरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 और कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 14 के तहत दिए गए प्रावधान वर्ष के दौरान कंपनी पर लागू नहीं होंगे।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय/ व्यय

अनुलग्नक-ए

पावती

निदेशक मंडल भारत सरकार, विशेष रूप से संचार मंत्रालय (डाक विभाग), वित्तीय संस्थानों, बैंकों, ग्राहकों और अन्य सभी हितधारकों से प्राप्त सहयोग के लिए गहरी कृतज्ञता के साथ आभार व्यक्त करता है। निदेशक मंडल भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और सांविधिक लेखा परीक्षकों और सचिवीय लेखा परीक्षकों से प्राप्त मूल्यवान सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता है। निदेशक इस अवसर पर प्रत्येक कर्मचारी के बहुमूल्य योगदान, कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए अपना आभार व्यक्त करते हैं। बोर्ड को विश्वास है कि कर्मचारियों के निरंतर और समर्पित प्रयासों से आपकी कंपनी नई चुनौतियों का सामना करने और बेहतर प्रदर्शन हासिल करने में सक्षम होगी।

निदेशक मंडल की ओर से

ह०/-
वंदिता कौल
अध्यक्ष
डीआईएन- 07854527
जी 501, सीजीआरसी,
डीडीयू मार्ग, नई दिल्ली

ह०/-
आर. विश्वेश्वरन
एमडी एवं सीईओ
डीआईएन -10514859
एम-6, द्वितीय तल,
ग्रीन पार्क एक्सटेंशन,
नई दिल्ली

स्थान: दिल्ली
तारीख: 24.10.24

अनुलग्नक-क

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप-धारा 3 के खंड (एम) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(3) के अनुसार

(क) ऊर्जा संरक्षण:

ऊर्जा संरक्षण के लिए उठाए गए कदम	कंपनी की नीति है कि कार्यालय समय के बाद उन क्षेत्रों में बिजली बंद कर दी जाए , जहां कर्मचारी दिन के लिए चले गए हैं। कंपनी ऊर्जा संरक्षण के लिए एयर कंडीशनिंग के तापमान को भी बनाए रखती है। कंपनी लगातार अपने ऊर्जा उपयोग और दक्षता को अनुकूलित करने का प्रयास करती है
वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग के लिए उठाए गए कदम	कंपनी के पास ऊर्जा का कोई वैकल्पिक स्रोत नहीं है
ऊर्जा पर पूंजी निवेश पर बातचीत	ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए , जब भी आवश्यक समझा जाता है , समय-समय पर निवेश पर विचार किया जाता है

(ख) प्रौद्योगिकी अवशोषण:

- (i) प्रौद्योगिकी समावेश की दिशा में किए गए प्रयास: शून्य
- (ii) उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास या आयात प्रतिस्थापन जैसे लाभ: शून्य
- (iii) आयातित प्रौद्योगिकी के मामले में (वित्तीय वर्ष के आरंभ से गणना करते हुए पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित): लागू नहीं
 - (क) आयातित प्रौद्योगिकी का ब्यौरा क्या है?
 - (ख) आयात का वर्ष
 - (ग) क्या प्रौद्योगिकी पूरी तरह से आत्मसात कर ली गई है
 - (घ) यदि पूर्णतया समाहित नहीं हुआ है, तो ऐसे क्षेत्र जहां समाहित नहीं हुआ है, तथा इसके कारण क्या हैं; और
- (iv) अनुसंधान एवं विकास पर किया गया व्यय: शून्य

(ग) विदेशी मुद्रा आय और व्यय:

प्रयुक्त विदेशी मुद्रा : शून्य
अर्जित विदेशी मुद्रा : शून्य



स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के सदस्यों के लिए
वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

1. अभिमत

हमने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ("बैंक") की संलग्न एकल वित्तीय विवरणियों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2023 के अनुसार तुलन पत्र, लाभ और हानि का विवरण और तत्संबंधी समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण, तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार और अन्य विवेचनात्मक सूचना सहित एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां शामिल हैं।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त एकल वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के साथ-साथ कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के तहत बैंकिंग कंपनियों के लिए यथापेक्षित स्वरूप में 31 मार्च, 2013 को बैंक के मामलों की स्थिति, और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण तथा उसके नकदी प्रवाह को लेकर अपेक्षित जानकारी प्रदान करते हैं और ये कंपनी (लेखा) नियम, 2014 (यथा संशोधित) के नियम 7 के साथ पठित, अधिनियम की धारा 133 के अधीन निर्धारित लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं।

2. अभिमत का आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार अपना लेखापरीक्षण किया। उन मानकों के तहत हमारी ज़िम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षण के लिए लेखापरीक्षक की ज़िम्मेदारियों के अनुभाग में आगे वर्णित किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार बैंक से स्वतंत्र हैं, साथ ही अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत नियमों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षण के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक ज़िम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

3. मुख्य लेखापरीक्षा मामले

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर अलग से कोई राय नहीं देते हैं।

हमने नीचे वर्णित मामलों को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है। नीचे प्रत्येक मामले के लिए, हमारे लेखापरीक्षा ने मामले को कैसे संबोधित किया, इसका विवरण उस संदर्भ दिया गया है:

	मुख्य लेखापरीक्षा मामला	लेखा परीक्षक का जवाब
1.	सिस्टम और वित्तीय रिपोर्टिंग पर आईटी नियंत्रण	
	आईटी नियंत्रण फ्रेमवर्क को एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में पहचाना जाता है क्योंकि बैंक का व्यवसाय आईटी वातावरण पर अत्यधिक निर्भर है क्योंकि बैंक की वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग प्रक्रियाएँ बैंकिंग, ट्रेजरी और अन्य सहायक सॉफ्टवेयर नियंत्रणों पर अत्यधिक निर्भर हैं, जिससे यह जोखिम बना रहता है कि आईटी नियंत्रण वातावरण में अंतराल के परिणामस्वरूप वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग रिकॉर्ड में गलत विवरण हो सकता है।	बैंक की आईटी सिस्टम और वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए संबंधित नियंत्रणों की समीक्षा के लिए हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के एक भाग के रूप में: हमने बैंक की मौजूदा आईटी सिस्टम को ध्यान में रखते हुए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं और नमूना जांचों की योजना बनाई, डिजाइन की और उन्हें अंजाम दिया। हमने बैंक के आईटी वातावरण की समझ हासिल की, जिसमें विभिन्न सिस्टम का एकीकरण शामिल है, ताकि उनकी औचित्य का मूल्यांकन किया जा सके। इसमें यह परीक्षण शामिल था कि सिस्टम तक पहुंच के अनुरोधों की समीक्षा की गई और उन्हें अधिकृत किया गया। हमने अनुमोदन और प्राधिकरण के लिए सिस्टम में बदलाव के अनुरोधों का निरीक्षण किया।
	बैंक अपनी समग्र वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए कई सिस्टम का उपयोग करता है और प्रतिदिन कई स्थानों पर बड़ी मात्रा में लेन-देन दर्ज किए जाते हैं। इसके अलावा, बैंक की सिस्टम और डेटा की अखंडता की रक्षा करने की चुनौतियाँ बढ़ रही हैं क्योंकि हाल के समय में साइबर सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण जोखिम बन गई है।	इसके अलावा, हमने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान एक बाहरी एजेंसी द्वारा किए गए सूचना सुरक्षा लेखा परीक्षा की रिपोर्टों पर भी भरोसा

इसलिए, आईटी वातावरण की व्यापक प्रकृति और जटिलता के साथ-साथ सटीक और समय पर वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में इसके महत्व के कारण, हमने इस क्षेत्र को एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में पहचाना है। (संलग्न वित्तीय विवरण के अनुसूची 18 के नोट संख्या 35 और 34 देखें)।	किया, जिसकी अंतिम रिपोर्ट 15.06.2023 को प्रस्तुत की गई। इसके अलावा, हमने कुछ स्वचालित नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया, जिन्हें वित्तीय रिपोर्टिंग पर प्रमुख आंतरिक नियंत्रण माना जाता था। जहाँ कमियाँ पाई गई, हमने क्षतिपूर्ति नियंत्रणों के बारे में स्पष्टीकरण मांगा या वैकल्पिक लेखा परीक्षा प्रक्रियाएँ की।
2. बैंक की बैंकिंग व्यवसायिक गतिविधियाँ बैंक की ओर से डाक विभाग (डीओपी) द्वारा व्यवसाय पत्राचार (बीसी) के रूप में संचालित की जा रही हैं। इसके अलावा, बैंक के बैंकिंग व्यवसायिक लेन-देन से संबंधित सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों को लागू करने, संचालित करने और रखरखाव के लिए तीसरे पक्ष को आउटसोर्स किया गया है।	
हमने इस मामले को अपने ऑडिट में सबसे महत्वपूर्ण माना क्योंकि इसमें शामिल लेनदेन की भौतिकता और मात्रा, वित्तीय विवरणों में संतुलन और इसमें शामिल जोखिम शामिल हैं। बैंकिंग व्यवसाय अर्थात संबंधित ग्राहकों के लिए ग्राहक बचत/ चालू बैंक खाते खोलना, नकद जमा, नकद भुगतान/ स्थानांतरण आदि बैंक की ओर से डाक विभाग द्वारा किया जा रहा है। बैंकिंग व्यवसाय सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग को कार्यान्वित, संचालित और रखरखाव के लिए भी आउटसोर्स किया गया है। (संलग्न वित्तीय विवरण की अनुसूची 18 की टिप्पणी संख्या 34.1 देखें)।	हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, दोनों संस्थाओं की सामान्य सेवाएं डीओपी (जीडीएस/ बीसी) के मानवशक्ति के एक ही सेट के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं, हालांकि, दोनों संस्थाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर लाइसेंस अलग-अलग हैं, हमने बैंकिंग व्यवसाय से संबंधित लेनदेन और सीबीएस में किए गए लेखांकन प्रविष्टियों के संबंध में दैनिक/ आवधिक निपटान के लिए बैंक के केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) द्वारा तैयार उत्पादवार रिपोर्ट/ रिकॉर्ड पर हमारे द्वारा किए गए नमूना जांच के आधार पर भरोसा किया है।
3. संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली एकीकरण और उसके रखरखाव के लिए दिए गए अनुबंध की समाप्ति:	
हमने ग्राहकों से संबंधित डेटा की सुरक्षा, गोपनीयता और अखंडता के कारण हमारे ऑडिट में इस मामले को सबसे महत्वपूर्ण माना। बैंकिंग परिचालन के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर (एसआई) के माध्यम से "समर्पित और अनुकूलित प्रौद्योगिकी मंच" के कार्यान्वयन के लिए अनुबंध अनुबंध के पूरा होने से पहले समाप्त कर दिया गया था क्योंकि वेंडर और बैंक के बीच हस्ताक्षरित अनुबंध/ एमएसए के खंडों के अनुसार सेवाओं के प्रदर्शन में देरी और/ या गैर-प्रदर्शन के कारण। (संलग्न वित्तीय विवरण की अनुसूची 18 की टिप्पणी संख्या 35 देखें)।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार बैंक ने पिछले एसआई/ ठेकेदारों की सेवा समाप्ति पर सेवाओं की निरंतरता के लिए सॉफ्टवेयर/ हार्डवेयर के ओईएम की सेवाएँ ली थीं। हमने बैंकिंग लेनदेन के संबंध में दैनिक/आवधिक निपटान/ समाधान के लिए बैंक द्वारा तैयार उत्पादवार रिपोर्ट/ रिकॉर्ड पर हमारे द्वारा किए गए परीक्षण जांच के आधार पर भरोसा किया है। हमने कुछ स्वचालित नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया जिन्हें वित्तीय रिपोर्टिंग पर प्रमुख आंतरिक नियंत्रण माना जाता था। हमने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए समवर्ती लेखा परीक्षक द्वारा जारी की गई रिपोर्ट, प्रबंधन द्वारा किए गए जोखिम-आधारित लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट और एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा किए गए सिस्टम सुरक्षा लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट पर भी भरोसा किया है।

4. ध्यानाकृष्ट मामले

हम इस ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:

- बैंक की स्थापना के बाद से अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन न करने के लिए संलग्न वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 की नोट संख्या 32.2 तथा प्रबंधन ने अब उक्त प्रक्रिया के लिए प्रक्रिया आरंभ कर दी है।
- वास्तविक उपयोगी/ लाइसेंस प्राप्त जीवन के बजाय अनुमानित जीवन पर विचार करते हुए सॉफ्टवेयर के मूल्यहास की नीति के संबंध में संलग्न वित्तीय विवरणों की अनुसूची 17 की नोट संख्या 6.3 के अनुसार।

- iii. बैंक द्वारा भुगतान किए गए प्रतिफल के विरुद्ध इंफोसिस द्वारा बैंक को स्वामित्व हस्तांतरित करने के आधार पर 999 एटीएम के पूंजीकरण के संबंध में संलग्न वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 की नोट संख्या 34.4 के अनुसार तथापि, ऐसे एटीएम से होने वाली आय का बैंक द्वारा लेखा-जोखा नहीं किया जा रहा है।
- iv. बैंक द्वारा डीओपी की ओर से किए गए व्यय के विरुद्ध भुगतान के संबंध में डीओपी से वसूली योग्य बकाया के संबंध में संलग्न वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 की नोट संख्या 34.3, जिसमें से वर्ष के दौरान 26.89 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- v. बैंक और डीओपी के बीच किए गए लेन-देन का खुलासा न करने के संबंध में संलग्न वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 की नोट संख्या 34, आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 18 के पैरा 9 के अनुसार ऐसे प्रकटीकरण के लिए छूट के संदर्भ में संबंधित पक्ष लेनदेन के रूप में है, क्योंकि दोनों संस्थाएं भारत सरकार के एक ही प्रशासनिक मंत्रालय के अधीन हैं।
- vi. 4 नवंबर, 2022 को डीओपी और बैंक के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के पैरा 3.13 में कहा गया है कि "आरबीआई लाइसेंस शर्तों के अनुसार डेटा को मिलाए बिना, डीओपी और आईपीपीबी के बीच निर्बाध संचालन के लिए पर्याप्त रिंगफेंसिंग और फायरवॉल के साथ हर समय एक दूरी बनाए रखें"। हालांकि, बैंक द्वारा डीओपी के साथ कुछ लेन-देन निःशुल्क आधार पर किए जा रहे हैं, यानी अग्रिम/वसूली योग्य ऐसे अग्रिम/वसूली योग्य की बकाया अवधि के बावजूद ब्याज मुक्त हैं और बैंक द्वारा डीओपी को कुछ अन्य सेवाएं भी निःशुल्क आधार पर प्रदान की जाती हैं। बैंक और डीओपी का प्रबंधन मुद्दों को हल करने के लिए समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।
- vii. 163.47 करोड़ रुपये की विवादित देनदारियों के संबंध में संलग्न वित्तीय विवरणों की अनुसूची संख्या 18 में नोट संख्या 35, जिसमें से 101.20 करोड़ रुपये को देनदारी के रूप में और 62.27 करोड़ रुपये (यानी दंड कटौती की सीमा तक) के रूप में हिसाब में लिया गया है। आकस्मिक देयता के रूप में दिखाया गया है। ठेकेदार द्वारा दी गई 68.93 करोड़ रुपये की प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी) को भी लागू किया गया है और अन्य देनदारियों और प्रावधानों के तहत दिखाया गया है। एसआई/ठेकेदार दिल्ली उच्च न्यायालय में गया था और अदालत ने 9 फरवरी 2024 के अपने निर्देश के तहत मामले को मध्यस्थता के लिए भेज दिया। मामला अभी भी लंबित है।
- viii. विस्तारित वारंटी के लिए अग्रिम भुगतान के संबंध में संलग्न वित्तीय विवरणों की अनुसूची संख्या 10 का फुट नोट, हालांकि ऐसी विस्तारित वारंटी के खिलाफ सेवाओं का लाभ बैंक द्वारा एक वर्ष की सामान्य वारंटी अवधि पूरी होने के बाद ही क्रमिक रूप से लिया जाएगा। ऐसी विस्तारित वारंटी को भी पूंजीकृत किया गया है।
- ix. रुपये के तदर्थ प्रावधान के संबंध में संलग्न वित्तीय विवरणों की अनुसूची संख्या 18 में नोट संख्या 30 भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के 12वें द्विपक्षीय समझौते के आधार पर वेतन संशोधन के विरुद्ध 69.87 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है, जिसे दिनांक 26.04.2022 के कैबिनेट नोट के पैरा 4.2.3 के तथ्य पर विचार करते हुए किया गया है।
- x. डाकघर बचत खाता (पीओएसए) नहीं रखने वाले ग्राहकों के संबंधित बचत/चालू खातों से 2 लाख रुपये की सीमा से अधिक राशि के विनियोग और इसे लंबी अवधि के लिए अन्य देनदारियों के तहत पार्क करने के संबंध में संलग्न वित्तीय विवरणों की अनुसूची संख्या 18 में नोट संख्या, क्योंकि शेष राशि 2 लाख रुपये से कम होने पर संबंधित ग्राहक खातों में स्वीप-इन की कोई स्वचालित सुविधा नहीं है। हालांकि, ग्राहकों के खाते में मूल्य तिथि के आधार पर ब्याज जमा किया जा रहा है।
- xi. विक्रेता-वार विवरणों की ट्रैकिंग के लिए विक्रेता प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन के संबंध में संलग्न वित्तीय विवरणों की अनुसूची संख्या 18 में नोट संख्या 39 प्रक्रिया में है।
- xii. खरीद के संबंध में संलग्न वित्तीय विवरणों की अनुसूची संख्या 18 में नोट संख्या 40 नामांकन के आधार पर बनाई जा रही है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

5. अन्य सूचना

बैंक के निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार हैं। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षार की रिपोर्ट शामिल नहीं है। वार्षिक रिपोर्ट इस लेखा परीक्षार की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और हम इस पर कोई भी रूप या आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करेंगे।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारा दायित्व है कि हम ऊपर बताई गई अन्य जानकारी को उपलब्ध होने पर पढ़ें, तथा ऐसा करते समय इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी से भौतिक रूप से असंगत है या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

जब हम वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते हैं, यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इसमें कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें इस मामले को शासन के प्रभारी लोगों को बताना होगा।

6. वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और शासन के प्रभारी व्यक्तियों की जिम्मेदारियां

- i. बैंक का निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, जिसमें कंपनी (लेखा) नियम, 2014 (संशोधित) के नियम 7 और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों और भारतीय रिजर्व बैंक ('आरबीआई') द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के साथ अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित लेखांकन मानक शामिल हैं। इस जिम्मेदारी में बैंक की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे, वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक थे जो एक सच्चा और निष्पक्ष दृश्य देते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक गलत बयान से मुक्त हैं।
- ii. वित्तीय विवरण तैयार करते समय, प्रबंधन बैंक की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, जहां लागू हो, चालू व्यवसाय से संबंधित मामलों का खुलासा करने तथा लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार होता है, जब तक कि प्रबंधन बैंक को समाप्त करने या परिचालन बंद करने का इरादा न रखता हो, या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प न हो।
- iii. निदेशक मंडल बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

7. वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियां।

- i. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से वित्तीय विवरण भौतिक गलतबयानी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन आश्वासन का एक उच्च स्तर है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार आयोजित एक लेखा परीक्षा हमेशा एक भौतिक गलतबयानी का पता लगाएगा जब वह मौजूद हो। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें भौतिक माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, वे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।
 - ii. लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:
 - वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत विवरण के जोखिमों की पहचान करें और उनका आकलन करें, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन करें और निष्पादित करें, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप भौतिक गलत विवरण का पता न लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
 - लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें ताकि ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं तैयार की जा सकें जो परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हों। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस बारे में अपनी राय स्पष्ट करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या बैंक के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।
 - प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों एवं संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।
 - लेखांकन के लिए चालू व्यवसाय के आधार पर प्रबंधन द्वारा उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो बैंक की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण बैंक चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहना बंद कर सकता है।
- प्रकटीकरणों सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय-वस्तु का मूल्यांकन करें, तथा यह भी देखें कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि उनका निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण हो सके।
- iv. हम अन्य मामलों के साथ-साथ, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में, जिनमें लेखापरीक्षा के दौरान पहचानी गई आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमी भी शामिल है, शासन के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ संवाद करते हैं।
 - v. हम शासन के लिए जिम्मेदार लोगों को यह कथन भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, तथा उनसे उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद करते हैं, जो यथोचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने वाले माने जा सकते हैं, तथा जहां लागू हो, वहां संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में भी बताते हैं।
 - vi. शासन के प्रभारी लोगों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों का वर्णन अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में तब तक करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम ऐसे संचार के सार्वजनिक हित लाभों से अधिक होने की उम्मीद है।

8. अन्य मामले:

- बैंक के निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार हैं। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षार की रिपोर्ट शामिल नहीं है। वार्षिक रिपोर्ट इस लेखा परीक्षार की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।
- 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों में 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों के आधार पर डेटा / प्रारंभिक डेटा शामिल थे, जिनका पीके चोपड़ा एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा उनकी 23.06.2023 की असंशोधित रिपोर्ट के माध्यम से लेखा परीक्षा किया गया था, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है और जिन पर हमने इन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य से भरोसा किया है।

उपरोक्त मामले के संबंध में वित्तीय विवरण और हमारी रिपोर्ट पर हमारा निष्कर्ष संशोधित नहीं किया गया है।

9. अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

- तुलनपत्र और लाभ-हानि लेखा को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के प्रावधानों के साथ कंपनी (नियम), 2014 (संशोधित) के नियम 7 के अनुसार तैयार किया गया है।
- बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 30 की उपधारा (3) के अनुसार, उपरोक्त पैराग्राफों में उल्लिखित लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि:
 - हमने सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषप्रद पाया है;
 - बैंक के जो लेन-देन हमारे संज्ञान में आए हैं, वे बैंक की शक्तियों के अंतर्गत हैं;
 - चूंकि बैंक के प्रमुख परिचालन स्वचालित हैं तथा प्रमुख अनुप्रयोग कोर बैंकिंग प्रणाली से एकीकृत हैं, इसलिए लेखापरीक्षा केंद्रीय स्तर पर की जाती है, क्योंकि लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक रिकॉर्ड और आंकड़े इसमें उपलब्ध हैं।
- अधिनियम की धारा 197(16) के तहत लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले मामले के संबंध में, हम रिपोर्ट करते हैं कि चूंकि बैंक एक बैंकिंग कंपनी है, जैसा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत परिभाषित किया गया है; बैंक द्वारा भुगतान किया गया पारिश्रमिक अधिनियम की धारा 197 के प्रावधानों के अनुसार है या नहीं और क्या पूर्वोक्त धारा के अनुसार कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक का भुगतान किया गया है, इस संबंध में धारा 197(16) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार, हमने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देश और उप-निर्देशों पर विचार किया है। हम अपनी रिपोर्ट संलग्न "अनुलग्नक क" में दे रहे हैं।
- इसके अलावा, अधिनियम की धारा 143 (3) के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम लागू सीमा तक रिपोर्ट करते हैं कि:
 - हमने सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे;
 - हमारी राय में, बैंक द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकें रखी गई हैं, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच से पता चलता है;
 - इस रिपोर्ट में शामिल वित्तीय विवरण लेखा पुस्तकों से मेल खाते हैं।
 - हमारी राय में, उपर्युक्त वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 (संशोधित) के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, इस सीमा तक कि वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं;
 - निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन और निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड पर लिए गए आधार पर, 31 मार्च 2024 तक अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार किसी भी निदेशक को निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से अयोग्य नहीं ठहराया गया है;
 - हमने 31 मार्च, 2024 तक बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है, जो उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा और "अनुलग्नक बी" के रूप में संलग्न हमारी रिपोर्ट के साथ है।
 - कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 (संशोधित) के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:
 - बैंक ने 31 मार्च, 2024 तक अपनी वित्तीय स्थिति पर वित्तीय विवरणों की अनुसूची 12 के तहत लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है
 - बैंक ने 31 मार्च, 2024 तक, लागू कानून या लेखांकन मानकों के तहत आवश्यक, व्युत्पन्न अनुबंधों सहित दीर्घकालिक अनुबंधों पर भौतिक पूर्वानुमानित नुकसान, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान किया है और
 - 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में स्थानांतरित की जाने वाली आवश्यक राशि को स्थानांतरित करने में कोई विलंब नहीं हुआ है।
 - (ए) प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, अनुसूची 18 के नोट संख्या 34.3 में प्रकट किए गए के अलावा, बैंक द्वारा किसी अन्य व्यक्ति(यों) या संस्था(यों) को, जिसमें विदेशी संस्थाएं ("मध्यस्थ") शामिल हैं, कोई भी निधि अग्रिम, ऋण या निवेश (चाहे उधार ली गई निधियों से या शेयर प्रीमियम से या किसी अन्य स्रोत या निधियों के प्रकार से) नहीं दी गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं ("अंतिम लाभार्थी") को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई चीज प्रदान करेगा।

(बी) प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, बैंक द्वारा किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) से, जिसमें विदेशी संस्थाएं ("निधि देने वाली पार्टियां") शामिल हैं, कोई निधि प्राप्त नहीं की गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि बैंक, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, निधि देने वाली पार्टी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई सुविधा प्रदान करेगा और ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जिन्हें परिस्थितियों में हमारे द्वारा उचित और उपयुक्त माना गया था, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो कि उप-खंड (ए) और (बी) के तहत अभ्यावेदन में कोई भी भौतिक गलत बयानी है।

- i. बैंक ने वर्ष के दौरान लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया है, तदनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 का अनुपालन लेखापरीक्षा वर्ष के लिए बैंक पर लागू नहीं है।
- ii. बैंक ने अपने खाता बही को बनाए रखने के लिए ऐसे लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें लेखा परीक्षा ट्रेल (संपादन लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है और सॉफ्टवेयर में दर्ज लेनदेन के लिए इसे पूरे वर्ष संचालित किया गया है और लेखा परीक्षा ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है और कंपनी द्वारा रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार लेखा परीक्षा ट्रेल को संरक्षित किया गया है।

ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन.: 000038 एन

ह०/-
(सीए सी.एस कार्की)
पार्टनर
मो.नं. : 089896

यूडीआईएन : 24089896BKEQUY8321

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 26.06.2024



इंडिया पोस्ट
पेमेंट्स बैंक

IndiaPost
Payments Bank

अनुलग्नक "ए"

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत निर्देशों के अनुसरण में वर्ष 2023-2024 के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड की लेखा परीक्षा रिपोर्ट

1. क्या कंपनी के पास आईटी सिस्टम के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है? यदि हाँ, तो आईटी सिस्टम के बाहर लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने से खातों की अखंडता पर पड़ने वाले प्रभावों के साथ-साथ वित्तीय प्रभावों, यदि कोई हो, का उल्लेख किया जाना चाहिए।

बैंक द्वारा अपनी विभिन्न बैंकिंग एवं संबंधित गतिविधियों तथा लेनदेन की रिकॉर्डिंग के लिए कुछ सॉफ्टवेयर/ एप्लीकेशन/ पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है, जो बैंकिंग समाधान (सीबीएस) के साथ एकीकृत/ इंटरफेस नहीं हैं तथा ऐसे सॉफ्टवेयर/ एप्लीकेशन/ पोर्टल का आउटपुट सीबीएस में मैन्युअल रूप से दर्ज किया जा रहा है, जिसमें दैनिक डीडीबी के आधार पर सीआरआर/ एसएलआर की दैनिक गणना भी शामिल है, इसलिए मानवीय भूल की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

2. क्या कंपनी के मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन किया गया है या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋणों/ ऋणों/ ब्याज आदि को माफ/ बट्टे खाते में डालने का मामला है? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जाए। क्या ऐसे मामलों का उचित तरीके से लेखा-जोखा रखा जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू है)।

हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी भी ऋणदाता द्वारा कंपनी के किसी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन या ऋण/ ऋण/ ब्याज आदि को माफ करने/ बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं है।

इसके अलावा, यह एक भुगतान बैंक है, इसलिए इसे कोई ऋण/ अग्रिम देने की अनुमति नहीं है और इसलिए किसी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन या ऋण/ उधार/ ब्याज आदि की माफी/ बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं है।

3. क्या केन्द्र/ राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/ प्राप्त होने वाली निधियों (अनुदान/ सब्सिडी आदि) का उचित रूप से लेखा-जोखा रखा गया/ उसका उपयोग उसकी शर्तों के अनुसार किया गया? विचलन के मामलों की सूची बनाइए।

वर्ष के दौरान कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए केन्द्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त होने योग्य धनराशि का उसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया या नहीं, यह प्रश्न लागू नहीं होता है।

ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर एंड कंपनी के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट

एफआरएन.: 000038 एन

ह/-

(सीए सी.एस कार्की)

पार्टनर

मो.नं. : 089896

यूडीआईएन : 24089896BKEQUY8321

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 26.06.2024

अनुलग्नक "ख"

अनुलग्नक में 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के सदस्यों को स्वतंत्र लेखा परीक्षक की आज की रिपोर्ट का संदर्भ दिया गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

1. 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ('बैंक') के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संयोजन में, हमने उस तिथि तक बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण ('आईएफसीओएफआर') की लेखापरीक्षा की है।

2. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन और प्रशासन का प्रभार संभालने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारियां:

बैंक का निदेशक मंडल, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिज़ाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो बैंक के व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, जिसमें बैंक की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता, और अधिनियम के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी शामिल है।

3. आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी:

हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने लेखा परीक्षा के आधार पर बैंक के आईएफसीओएफआर पर राय व्यक्त करें। हमने अपना लेखा परीक्षा भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी किए गए ऑडिटिंग मानकों के अनुसार किया, जो अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित किए गए हैं, आईएफसीओएफआर के लेखा परीक्षा के लिए लागू सीमा तक, और आईसीएआई द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट ('मार्गदर्शन नोट')। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के अनुसार हमें नैतिक आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनानी चाहिए और उसे निष्पादित करना चाहिए कि क्या पर्याप्त आईएफसीओएफआर स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी रूप से संचालित हुए थे।

हमारे लेखा परीक्षा में आईएफसीओएफआर की पर्याप्तता और उनके परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। आईएफसीओएफआर के हमारे लेखा परीक्षा में आईएफसीओएफआर की समझ प्राप्त करना, किसी भी भौतिक कमज़ोरी के मौजूद होने के जोखिम का आकलन करना और आंके गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिज़ाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य बैंक के आईएफसीओएफआर पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

4. वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ:

बैंक का आईएफसीओएफआर एक ऐसी प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए तैयार की गई है। बैंक के आईएफसीओएफआर में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, बैंक की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से प्रतिबिंबित करते हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से रिकॉर्ड किया जाता है, और बैंक की प्राप्ति और व्यय केवल बैंक के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) बैंक की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं जो वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव डाल सकते हैं।

5. वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ:

आईएफसीओएफआर की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत बयान हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए आईएफसीओएफआर के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि स्थितियों में बदलाव के कारण आईएफसीओएफआर अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री खराब हो सकती है।



इंडिया पोस्ट
पेमेंट्स बैंक

IndiaPost
Payments Bank

6. राय:

हमारी राय में, बैंक के पास सभी भौतिक मामलों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, जो कि भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित थे।

ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन.: 000038 एन

ह०/-
(सीए सी.एस कार्की)
पार्टनर
मो.नं.: 089896

यूडीआईएन : 24089896BKEQUY8321

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 26.06.2024

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड 31 मार्च 2024 तक तुलनपत्र

(रु. 000 में)

पूंजी और देयताएं	अनुसूची	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
पूंजी	1	21050000	16550000
शेयर आवेदन राशि		-	2000000
आरक्षित एवं अधिशेष	2	-9277856	-9620234
जमा	3	115521920	62923585
उधार	4	-	-
अन्य देयताएं और प्रावधान	5	9333564	4353854
कुल		136627628	76207205
आस्तियां			
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और शेष	6	7265033	6262034
मांग और अल्प सूचना पर बैंकों के पास शेष राशि	7	29949675	19009366
निवेश	8	88394493	45991846
अग्रिम	9	-	98
अचल संपत्तियां	10	3692152	596447
अन्य परिसंपत्तियां	11	7326275	4347414
कुल		136627628	76207205
आकस्मिक देयताएं	12	642974	3136
वसूली के लिए प्राप्त बिल		-	-
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	17		
वित्तीय विवरण के लिए नोट्स	18		

(अनुसूची 1 से 18 इस वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग हैं)

ह०/-
(प्रियंका भटनागर)
कंपनी सचिव

ह०/-
(अनूप ई.एस.)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह०/-
(पवन कुमार सिंह)
निदेशक
(डीआईएन 09434830)

ह०/-
(नवनीत कक्कड़)
एसीबी अध्यक्ष
(डीआईएन 03475842)

ह०/-
(आर. विश्वेश्वरन)
एमडी एवं सीईओ
(डीआईएन 10514859)

ह०/-
(वंदिता कौल)
अध्यक्ष
(डीआईएन 07854527)

हमारी सम तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
मेसर्स ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स - FRN 000038N

ह०/-
(सी.एस. कार्की)

पार्टनर (सदस्यता संख्या 089896)

दिनांक: 26.06.2024
स्थान: नई दिल्ली



इंडिया पोस्ट
पेमेंट्स बैंक

IndiaPost
Payments Bank

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा

(रु. 000 में)

	अनुसूची	वर्ष समाप्त 31.03.2024	वर्ष समाप्त 31.03.2023
I. आय			
अर्जित ब्याज	13	6075759	2790522
अन्य आय	14	6577150	4870980
	कुल	12652909	7661502
II. व्यय			
व्ययित ब्याज	15	1697360	940216
परिचालन व्यय	16	10036823	6461410
प्रावधानित और आकस्मिकताएँ		576348	58267
	कुल	12310531	7459893
वर्ष के लिए शुद्ध लाभ / शुद्ध हानि		342378	201609
लाभ एवं हानि खाते में शेष राशि (अग्रेषित)		-9699673	-9827397
विनियोजन हेतु उपलब्ध लाभ		-9357295	-9625788
विनियोग			
आरक्षित निधि में स्थानांतरण (शुद्ध) :			
वैधानिक रिज़र्व		85595	50402
अनुदान खाता - पूंजी रिज़र्व		-	-
निवेश उतार-चढ़ाव रिज़र्व		14559	23483
अन्य रिज़र्व		-	-
विशेष रिज़र्व		-	-
शेष राशि को तुलनपत्र में स्थानांतरित किया गया		-9457449	-9699673
	कुल	-9357295	-9625788
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	17		
वित्तीय विवरण के लिए नोट्स	18		

(अनुसूची 1 से 18 इस वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग हैं)

ह०/-
(प्रियंका भटनागर)
कंपनी सचिव

ह०/-
(पवन कुमार सिंह)
निदेशक
(डीआईएन 09434830)

ह०/-
(नवनीत कक्कड़)
एसीबी अध्यक्ष
(डीआईएन 03475842)

ह०/-
(अनूप ई.एस.)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह०/-
(आर. विश्वेश्वरन)
एमडी एवं सीईओ
(डीआईएन 10514859)

ह०/-
(वंदिता कौल)
अध्यक्ष
(डीआईएन 07854527)

हमारी सम तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
मेसर्स ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स - FRN 000038N

ह०/-
(सी.एस. कार्की)
पार्टनर (सदस्यता संख्या 089896)

दिनांक: 26.06.2024
स्थान: नई दिल्ली

नकदी प्रवाह विवरण

राशि (रु. 000 में)

विवरण		(2023-24)	(2022-23)
क. परिचालन से नकदी प्रवाह			
i) कर के बाद निवल लाभ		342378	201609
जोड़ें: कर के लिए प्रावधान (स्थगित कर सहित)		576348	58267
कर देने से पूर्व लाभ	i)	918726	259876
ii) समायोजन:			
अचल संपत्तियों पर मूल्यहास		914672	274665
निगमन व्यय बढ़े खाते में डाला गया		-	-
पूर्व अवधि मद को बढ़े खाते में डाल दिया गया		-	-
घटाएँ: अनुदान से उपयोग की गई निवल राशि		-	2466
कुल समायोजन	ii)	914672	272199
परिचालन परिसंपत्तियों एवं देताओं में परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ	(i)+(ii)	1833398	532075
iii) परिचालन परिसंपत्तियों एवं देताओं में निवल परिवर्तन के लिए समायोजन निवेश (निवल) में कमी/(वृद्धि)		-42402647	-16982983
अन्य परिसंपत्तियों (निवल) में कमी/(वृद्धि)		-3555209	-1602766
अग्रिम राशि में कमी/(वृद्धि)		98	15522
जमा (निवल) में (कमी)/वृद्धि		52598335	26006367
उधार (निवल) में (कमी)/वृद्धि		-	-
अन्य देयताओं (निवल) में (कमी)/वृद्धि		4979710	982125
परिचालन परिसंपत्तियों एवं देताओं में निवल परिवर्तन के लिए कुल समायोजन	(iii)	11620287	8418265
परिचालन से प्रयुक्त नकदी प्रवाह (i)+(ii)+(iii)		13453685	8950340
भुगतान किया गया कर		-	-
परिचालन से प्रयुक्त निवल नकदी प्रवाह	क	13453685	8950340
ख. निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त नकदी प्रवाह			
अचल परिसंपत्तियों की खरीद		-4010377	-82400
निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी प्रवाह	ख	-4010377	-82400
ग. वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न नकदी प्रवाह			
शेयर पूंजी जारी करना		2500000	2000000
शेयर आवेदन राशि की प्राप्ति			2000000
वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न निवल नकदी	ग	2500000	4000000
नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल परिवर्तन (क)+(ख)+(ग)	घ	11943308	12867940



इंडिया पोस्ट
पेमेंट्स बैंक

IndiaPost
PaymentsBank

वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समतुल्य आरबीआई के पास नकदी और शेष बैंकों के पास शेष और कॉल और अल्प सूचना पर धन राशि	6262034		2672807	
	19009366	25271400	9730653	12403460
वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य आरबीआई के पास नकदी और शेष बैंकों के पास शेष और कॉल और अल्प सूचना पर धन राशि	7265033		6262034	
	29949675	37214708	19009366	25271400
		11943308		12867940

(अनुसूची 1 से 18 इस वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग हैं)

ह०/-
(प्रियंका भटनागर)
कंपनी सचिव

ह०/-
(अनूप ई.एस.)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह०/-
(पवन कुमार सिंह)
निदेशक
(डीआईएन 09434830)

ह०/-
(नवनीत कक्कड़)
एसीबी अध्यक्ष
(डीआईएन 03475842)

ह०/-
(आर. विश्वेश्वरन)
एमडी एवं सीईओ
(डीआईएन 10514859)

ह०/-
(वंदिता कौल)
अध्यक्ष
(डीआईएन 07854527)

हमारी सम तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
मेसर्स ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स - FRN 000038N

ह०/-
(सी.एस. कार्की)
पार्टनर (सदस्यता संख्या 089896)

दिनांक: 26.06.2024
स्थान: नई दिल्ली

खातों की अनुसूचियां (इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड)

अनुसूची 1 - पूंजी

(रु. 000 में)

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
अधिकृत पूंजी		
10 रुपये प्रति इक्विटी शेयर मूल्य के 235,50,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 10 रुपये प्रति मूल्य वाले इक्विटी शेयर मूल्य के 185,50,00,000 इक्विटी शेयर)	23550000	18550000
निर्गत एवं अभिदत्त		
10 रुपये प्रति शेयर मूल्य के 210,50,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 10 रुपये प्रति मूल्य वाले 165,50,00,000 इक्विटी शेयर)	21050000	16550000
प्रदत्त पूंजी		
10 रुपये प्रति शेयर मूल्य के 210,50,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 10 रुपये प्रति मूल्य वाले 165,50,00,000 इक्विटी शेयर)	21050000	16550000
कुल	21050000	16550000

अनुसूची 2 - आरक्षित एवं अधिशेष

(रु. 000 में)

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
I. सांविधिक आरक्षित		
अधिशेष	55956	5554
वर्ष के दौरान अतिरिक्त	85595	50402
वर्ष के दौरान कटौती	-	-
	141551	55956
II. पूंजी आरक्षित		
क. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित		
अधिशेष	-	-
वर्ष के दौरान अतिरिक्त	-	-
वर्ष के दौरान कटौती	-	-
	-	-
ख. अन्य (अनुदान खाता)		
अधिशेष	-	2466
वर्ष के दौरान अतिरिक्त	-	-
वर्ष के दौरान कटौती (उपयोग)	-	2466
	-	-
III. राजस्व और अन्य आरक्षित		
क. निवेश अस्थिरता आरक्षित		
अधिशेष	23483	-
वर्ष के दौरान अतिरिक्त	14559	23483
घटाएं : लाभ और हानि खाते में स्थानांतरण	-	-
	38042	23483



इंडिया पोस्ट
पेमेंट्स बैंक

IndiaPost
PaymentsBank

ख. अन्य आरक्षित				
अथशेष	-		-	
वर्ष के दौरान अतिरिक्त	-		-	
		-		-
ग. विदेशी मुद्र उतार-चढ़ाव आरक्षित				
अथशेष	-		-	
जमा : वर्ष के दौरान अतिरिक्त (शुद्ध)	-		-	
घटाएं : वर्ष के दौरान निकाला गया (शुद्ध)	-		-	
		-		-
IV. शेयर प्रीमियम				
अथशेष	-		-	
वर्ष के दौरान अतिरिक्त	-		-	
		-		-
V. विशेष आरक्षित				
अथशेष	-		-	
वर्ष के दौरान अतिरिक्त	-		-	
वर्ष के दौरान कटौती	-		-	
VI. लाभ एवं हानि खाते में शेष		-9457449		-9699673
I से VI का कुल		-9277856		-9620234

अनुसूची 3 - जमा राशियां

(रु. 000 में)

	31.03.2024 तक		31.03.2023 तक	
क. I. मांग जमा				
(i) बैंकों से	-		-	
(ii) अन्यो से	208495		209974	
		208495		209974
II. बचत बैंक जमा		115313425		62713611
III. सावधि जमा				
(i) बैंकों से	-		-	
(ii) अन्यो से	-		-	
I, II, III का कुल		115521920		62923585
ख. (i) भारत में शाखाओं की जमाराशि		115521920		62923585
(ii) भारत से बाहर की शाखाओं की जमाराशि		-		-
i, ii का कुल		115521920		62923585

अनुसूची 4 - उधार

(रु. 000 में)

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
I. भारत में उधार		
(i) भारतीय आरक्षित बैंक	-	-
(ii) अन्य बैंक	-	-
(iii) अन्य संस्थान और एजेंसियां	-	-
II. भारत के बाहर उधार	-	-
I, II का कुल	-	-
उपरोक्त I और II में शामिल सुरक्षित उधार	-	-

अनुसूची 5 - अन्य देयताएं और प्रावधान

(रु. 000 में)

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
I. देय बिल	-	-
II. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	-	-
III. उपार्जित ब्याज	-	-
IV. अन्य (प्रावधानों सहित)	9333564	4353854
I से IV तक का कुल	9333564	4353854

अनुसूची 6 - भारतीय आरक्षित बैंक के पास नकदी और शेष

(रु. 000 में)

	31.03.2024 तक		31.03.2023 तक	
I. हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट सहित)		-		-
II. भारतीय आरक्षित बैंक के पास शेष राशि				
(i) चालू खाते में	6505033		2972034	
(ii) अन्य खातों में	760000		3290000	
I, II का कुल		7265033		6262034
		7265033		6262034

अनुसूची 9 - अग्रिम

(रु. 000 में)

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
क. i) खरीदे गए और भुनाए गए बिल	-	-
ii) कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और मांग पर चुकाए जाने वाले ऋण	-	-
iii) सावधि ऋण (कर्मचारी)	-	98
कुल	-	98
ख. i) मूर्त आस्तियों द्वारा सुरक्षित (बही ऋणों के विरुद्ध अग्रिम सहित)	-	-
ii) बैंक/सरकारी गारंटी द्वारा कवर किया गया	-	-
iii) असुरक्षित	-	98
कुल	-	98
ग. (I) भारत में अग्रिम		
i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	-	-
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	-	-
iii) बैंक	-	-
iv) अन्य	-	98
कुल	-	98
ग. (II). भारत के बाहर अग्रिम		
i) बैंकों से देय	-	-
ii) दूसरों से देय	-	-
(क) खरीदे गए और भुनाए गए बिल	-	-
(ख) सावधि ऋण	-	-
(ग) अन्य	-	-
कुल	-	-
ग (I) और ग (II) का कुल योग	-	98

अनुसूची 10 - अचल आस्तियां

(रु. 000 में)

	31.03.2024 तक		31.03.2023 तक	
I. परिसर (भूमि सहित)				
-पिछले वर्ष के 31 मार्च की लागत पर	-		-	
-वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		-	
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौती	-		-	
घटाएं : तिथि तक मूल्यह्रास	-		-	
		-		-
II. अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर और जूड़नार सहित)				
-पिछले वर्ष के 31 मार्च की लागत पर	1481382		1440292	
-वर्ष के दौरान परिवर्धन	3344895		76107	
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौती	4575		35017	
घटाएं : तिथि तक मूल्यह्रास	1743573		921780	
		3078129		559602
III. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर				
-पिछले वर्ष के 31 मार्च की लागत पर	1785099		1778781	
-वर्ष के दौरान परिवर्धन	669358		6318	
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौती	-		-	
घटाएं : तिथि तक मूल्यह्रास	1840434		1748254	
		614023		36845
<i>* उपकरणों पर विस्तारित वारंटी सहित</i>				
I, II और III का कुल योग		3692152		596447

अनुसूची 11 - अन्य आस्तियां

(रु. 000 में)

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
I. अंतर-कार्यालय समायोजन (शुद्ध)	-	-
II. उपार्जित ब्याज	1157752	341840
III. अग्रिम भुगतान किया गया कर/कर कटौती स्रोत पर (प्रावधानों का शुद्ध)	174693	41180
IV. स्टेशनरी और टिकटें	-	-
V. गैर बैंकिंग आस्तियों का दावों की संतुष्टि के लिए अधिग्रहण किया गया	-	-
VI. आस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)	1524345	1808332
VII. प्रतिभूति जमाराशियां	104493	52466
VIII. डाक विभाग की पूंजी प्रतिबद्धता	39327	39133
IX. आईटी 2.0 के तहत डाक विभाग से देय	952221	1081290
X. विक्रेताओं और एनपीसीआई से देय	2815	6001
XI. अन्य	3370629	977172
I से XI तक का कुल	7326275	4347414

अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएं

(रु. 000 में)

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें देनदारी के रूप में नहीं माना गया	623291	636
II. आंशिक प्रदत्त निवेशों के लिए देयता	-	-
III. बकाया फॉरवर्ड एक्सचेंज अनुबंधों के कारण देयता	-	-
IV. घटकों की ओर से दी गई गारंटी		
(क) भारत में	-	-
(ख) भारत के बाहर	-	-
V. स्वीकृतियां, परांकन और अन्य दायित्व	-	-
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक देयता है		
i) विवादग्रस्त कर देयताएं	17183	-
ii) अन्य	2500	2500
I से VI तक का कुल	642974	3136
<i>(अनुसूची 18 के बिन्दु संख्या 28 का संदर्भ लें)</i>		

अनुसूची 13 - उपार्जित ब्याज और लाभांश

(रु. 000 में)

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
I. अग्रिम/बिल पर ब्याज/छूट	3	454
II. निवेश पर आय	4418319	2063269
III. भारतीय आरक्षित बैंक के पास शेष राशि पर ब्याज भारत एवं अन्य अंतर-बैंक निधियाँ	1657437	726356
IV. अन्य	-	443
I से IV तक का कुल	6075759	2790522

अनुसूची 14 - अन्य आय

(रु. 000 में)

	31.03.2024 तक		31.03.2023 तक	
I. कमीशन, एक्सचेंज और ब्रोकरेज		6535713		4788673
II. निवेश की बिक्री पर लाभ	19286		23525	
घटाएँ: निवेश की बिक्री पर हानि	4727		42	
III. निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ	-		-	
घटाएँ: निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर हानि	-		-	
IV. भूमि की बिक्री पर लाभ,	447		8399	
भवन और अन्य आस्तियां				
घटाएं : भूमि की बिक्री पर हानि ,	403		3	
भवन और अन्य आस्तियां		44		8396
V. विनिमय लेनदेन पर लाभ	-		-	
घटाएं : एक्सचेंज लेनदेन पर हानि	-		-	
VI. विदेश में/भारत में सहायक कंपनियों / कंपनियों और/या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के माध्यम से उपार्जित आय		-		-
VII. भर्ती संबंधित आय		8059		3944
VIII. पृथक्करण पर कर्मचारियों से वसूली		863		3867
IX. विविध आय		17912		42617
I से IX तक का कुल		6577150		4870980

अनुसूची 15 - ब्याज व्यय

(रु. 000 में)

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
I. जमा राशियों पर ब्याज	1561327	934406
II. भारतीय रिज़र्व बैंक पर ब्याज / अंतर-बैंक उधार	136033	5810
III. अन्य	-	-
I, II, III का योग	1697360	940216

अनुसूची 16 - परिचालन व्यय

(रु. 000 में)

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	3727573	2728429
II. किराया, कर और बिजली	9217	6588
III. मुद्रण और स्टेशनरी	81179	31761
IV. विज्ञापन एवं प्रचार	12972	32183
V. अचल आस्तियों पर मूल्यहास	914672	274665
VI. निदेशक शुल्क, भत्ते और व्यय	13193	3842
VII. लेखा परीक्षकों का शुल्क और व्यय	1164	1266
VIII. विधि प्रभार	496	115
IX. डाक, टेलीग्राम, टेलीफोन, इत्यादि	649922	520660
X. मरम्मत एवं रखरखाव	62120	26516
XI. बीमा	126209	90538
XII. व्यवसायिक शुल्क	27828	34021
XIII. जीएसटी व्यय	212633	130303
XIV. एसआई लागत	791015	363740
XV. भर्ती व्यय	22354	4257
XVI. प्रशिक्षण व्यय	25275	9313
XVII. आउटसोर्सिंग व्यय	157011	116167
XVIII. यात्रा और वाहन	95132	75516
XIX. डाक विभाग का प्रदत्त एवं डाक विभाग के स्टाफ को प्रात्याहन राशि	1471008	1157394
XX. लेन-देन संबंधी शुल्क का भुगतान किया गया	1559719	804226
XXI. अन्य व्यय	76131	49910
I से XXI तक का कुल कुल	10036823	6461410

अनुसूची 17

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. पृष्ठभूमि और संचालन की प्रकृति

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) की स्थापना भारत सरकार के स्वामित्व में 100 प्रतिशत की इक्विटी के साथ डाक विभाग, संचार मंत्रालय के तहत की गई थी। आईपीपीबी का मौलिक अधिदेश भारत में आम आदमी के लिए सबसे सुलभ, किफायती और भरोसेमंद बैंक बनना है जो बैंक की सुविधा ना पाने वाले लोगों की बाधाओं को दूर करता है तथा कम बैंकिंग सुविधा वाले लोगों के लिए अवसर लागत को कम करता है और ऐसा करते हुए मुख्य रूप से नकद अर्थव्यवस्था में कैशलेस लेनदेन करने को बढ़ावा देता है।

बैंक का गठन कंपनी अधिनियम 2013 के तहत 17 अगस्त 2016 को किया गया था। बैंक ने 20 जनवरी, 2017 को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (1) के तहत यथापेक्षित भुगतान बैंक लाइसेंस प्राप्त किया। आईपीपीबी का शुभारंभ 30 जनवरी 2017 को रांची (झारखंड) और रायपुर (छत्तीसगढ़) में एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में किया गया था। आईपीपीबी ने 1 शाखा और 649 बैंकिंग आउटलेट के नेटवर्क के माध्यम से डाकघरों को कवर करते हुए पूरे भारत में अपनी उपस्थिति का विस्तार किया है।

बैंक ग्रामीण, गरीब और वंचित वर्ग को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने में लगा हुआ है। बैंक चालू और बचत खाते, धन प्रेषण, व्यवसाय संवाददाता, डोर स्टेप बैंकिंग, नागरिक केंद्रित सेवाएँ, मोबाइल बैंकिंग, आईपीएस, बिल भुगतान और तृतीय पक्ष उत्पाद वितरण जैसी सेवाएँ प्रदान करता है।

चूंकि पेमेंट्स बैंक अपने कर्मचारियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को ऋण नहीं दे सकता, तदनुसार अग्रिमों से संबंधित सभी प्रकटीकरण नहीं दिये गए हैं।

बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में अधिसूचना डीबीआर एनबीडी (पीबी-आईपीपीबी) संख्या 9980/16.13.215/2018-19 दिनांक 27 मई, 2019 द्वारा शामिल किया गया है और भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) दिनांक 22 जून- 28 जून, 2019 में प्रकाशित किया गया है।

वित्तीय विवरण भारतीय रुपयों में हज़ारों में ('रु.000' में) और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है।

2. तैयारी का आधार:

वित्तीय विवरण कार्यशील संस्थाओं की अवधारणा का अनुसरण करते हुए ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप हैं, जिनमें बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के अधीन लागू वैधानिक प्रावधानों, वैधानिक अपेक्षा, समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा अनुशासित नियामकीय दिशानिर्देशों, कंपनी (लेखांकन) नियमावली, 2014 के पैराग्राफ 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत जारी अधिसूचित लेखा मानकों (एएस) और भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित व यथा लागू और वर्तमान प्रथाओं को शामिल किया गया है। वित्तीय विवरणों को तैयार करने में अपनाई गई लेखांकन नीतियां पिछले वर्ष में अपनाई गई नीतियों के अनुरूप हैं, जब तक कि अन्यथा इसका उल्लेख नहीं किया गया हो।

3. इस्टीमेट का उपयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को वित्तीय विवरणों की तारीख के अनुसार आस्तियों और देनदारियों (आकस्मिक देनदारियों सहित) की रिपोर्ट की गई मात्रा और रिपोर्टिंग अवधि के लिए रिपोर्ट की गई आय और व्यय में आकलन और अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन मानता है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में उपयोग किए गए अनुमान विवेकपूर्ण और उचित हैं। भविष्य के परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं।

लेखांकन अनुमानों में किसी भी संशोधन को भावी दृष्टि से मान्यता दी जाती है।

4. राजस्व निर्धारण

राजस्व की निर्धारण तब की जाती है जब वसूली का उचित अधिकार स्थापित हो जाता है और जब विचार की प्राप्ति के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद नहीं होती है।

4.1 ब्याज आय की उपचय आधार पर पहचाना जाता है। रियायती उपकरण पर ब्याज आय को उपकरण की अवधि के हिसाब से निर्धारित की जाती है।

4.2 सेवाओं के प्रावधान के पूरा होने पर कमीशन आय और सेवा शुल्क को मान्यता दी जाती है।

4.3 अन्य सभी आय का लेखा-जोखा वसूली के आधार पर किया जाता है

4.4 ब्याज और परिचालन खर्चों का हिसाब उपचय के आधार पर किया जाता है।

5. निवेश

5.1 वर्गीकरण

निवेश वर्गीकरण और मूल्यांकन पर आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी निवेशों को इसकी खरीद के समय "हेल्ड फॉर ट्रेडिंग" ('एचएफटी'), "बिक्री के लिए उपलब्ध" ('एफएएस') और हेल्ड टू मैच्योरिटी ("एचटीएम") के रूप में वर्गीकृत किया गया है। निवेश को आगे छह समूहों के तहत वर्गीकृत किया जाता है (क) सरकारी प्रतिभूतियां (ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां (ग) शेयर (घ) डिबेंचर और बॉन्ड, (च) सहायक संयुक्त उद्यमों में निवेश (छ) तुलनपत्र में प्रकटीकरण के प्रयोजनों के लिए अन्य निवेश।

5.2 वर्गीकरण का आधार

जो प्रतिभूतियां मुख्य रूप से खरीद की तिथि से 90 दिनों के भीतर पुनर्विक्रय के लिए होती हैं, उन्हें एचटीएफ श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया जाता है, बैंक जिस निवेश को परिपक्वता तक रखने का इरादा रखता है, उन्हें एचटीएम श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया जाता है, जिन निवेशों को उपरोक्त श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किया गया है, उन्हें एएफएस श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया जाता है।

बैंक प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय लेनदेन को रिकॉर्ड करने के लिए 'निपटान तिथि' लेखांकन का पालन करता है, सिवाय इक्विटी शेयरों के मामले में जहां 'व्यापार तिथि' लेखांकन का पालन किया जाता है

5.3 अधिग्रहण की लागत

क. प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के संबंध में भुगतान किए गए ब्रोकरेज, कमीशन, प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) आदि को राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है और उन्हें लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है तथा लागत से बाहर रखा जाता है।

ख. विक्रेता को भुगतान किया गया खंडित अवधि ब्याज, लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत नहीं किया गया है तथा सरकारी प्रतिभूतियों और अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश के संबंध में लाभ और हानि खाते के अंतर्गत व्यय की एक मद के रूप में माना गया है।

ग. सभी प्रकार के निवेशों के लिए लागत का निर्धारण भारित औसत लागत पद्धति पर किया जाता है।

5.4 मूल्यांकन

एएफएस तथा एचएफटी श्रेणियों के तहत वर्गीकृत निवेश आरबीआई/ एफबीआईएल दिशानिर्देशों के अनुसार बाजार के हिसाब से हैं।

ट्रेजरी बिल रियायती लिखत होने के कारण वहन लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेश को उनकी अधिग्रहण लागत पर रखा जाता है और उन्हें बाजार मूल्य पर नहीं अंकित किया जाता है। यदि अधिग्रहण लागत अंकित मूल्य से अधिक है, तो अंकित मूल्य और अधिग्रहण लागत के बीच अंतर से उत्पन्न प्रीमियम को परिपक्वता तक शेष अवधि में परिशोधित किया जाएगा। (क) परिशोधित राशि 'अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज: मद II - निवेश पर आय' में कटौती के रूप में दर्शाई जाएगी। (ख) सुरक्षा के बही मूल्य को प्रासंगिक लेखा अवधि के दौरान परिशोधित राशि की सीमा तक कम किया जाना जारी रहेगा।

इक्विटी शेयर बाजार मूल्य पर, यदि उद्धृत किया जाता है, अन्यथा उपलब्ध नवीनतम तुलन पत्र के अनुसार शेयरों के ब्रेक अप मूल्य पर मूल्यांकित किए जाते हैं।

तुलन पत्र वर्गीकरण के अनुसार छह समूहों में यदि कोई शुद्ध मूल्यहास होता है, तो उसे बही मूल्य की तुलना में लाभ और हानि खाते में दर्ज किया जाता है। यदि कोई शुद्ध मूल्यवृद्धि होती है, तो उसे अनदेखा कर दिया जाता है।

रेपो और रिवर्स रेपो लेनदेन

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, सरकारी प्रतिभूतियों में रेपो और रिवर्स रेपो लेनदेन क्रमशः उधार और उधारी लेनदेन के रूप में दर्शाए जाते हैं। रेपो लेनदेन पर ऋण लेने की लागत को ब्याज व्यय के रूप में लेखांकन किया जाता है तथा रिवर्स रेपो लेनदेन पर राजस्व को ब्याज आय के रूप में लेखांकन किया जाता है।

5.5 निवेश का निपटान

किसी भी श्रेणी में निवेश की बिक्री पर लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में लिया जाता है, लेकिन “परिपक्वता तक धारित” श्रेणी में निवेश की बिक्री पर लाभ के मामले में, एक समतुल्य राशि (करों और सांविधिक रिजर्व में स्थानांतरित की जाने वाली राशि को घटाकर) “पूंजी रिजर्व खाते” में विनियोजित की जाती है।

6. अचल परिसंपत्तियां

लागत में खरीद की लागत और पूंजीकरण के समय तक संपत्ति पर किए गए साइट की तैयारी, स्थापना लागत और पेशेवर शुल्क जैसे सभी व्यय शामिल हैं। परिसंपत्तियों पर किए गए बाद के व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है जब यह ऐसी परिसंपत्तियों या उनकी कार्य क्षमता से भविष्य के लाभों को बढ़ाता है।

6.1 अचल परिसंपत्तियों को ऐतिहासिक लागत में से संचित मूल्यहास/परिशोधन घटाकर, जहां भी लागू हो, दर्शाया गया है।

6.2 सॉफ्टवेयर को पूंजीकृत किया जाता है तथा अचल संपत्ति अनुसूची में अमूर्त संपत्ति (कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर) के अंतर्गत शामिल किया जाता है।

6.3 मूल्यहास

मूल्यहास परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन (जैसा कि तालिका में उल्लेख किया गया है) पर सीधी रेखा के आधार पर लगाया जा रहा है, जिससे अवशिष्ट मूल्य 1 रुपए रह जाता है।

क. चूंकि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 द्वारा अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यहास की कोई दर निर्धारित नहीं की गई है, इसलिए आईपीपीबी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के प्रावधानों का पालन किया जाता है।

परिसंपत्ति	कंपनी अधिनियम , 2013 की अनुसूची II के अंतर्गत निर्दिष्ट अनुमानित उपयोगी जीवन
स्वामित्व वाला परिसर	60 वर्ष
कंप्यूटर (मोबाइल फोन, बायोमेट्रिक डिवाइस और सॉफ्टवेयर	3 वर्ष
सर्वर, राउटर, नेटवर्क और संबंधित आईटी उपकरण	6 वर्ष
स्वचालित टेलर मशीनें ('एटीएम')	15 वर्ष
विद्युत उपकरण	10 वर्ष
कार्यालय उपकरण	5 वर्ष
फर्नीचर और फीटिंग्स	10 वर्ष
मोटर वाहन	8 वर्ष

* सॉफ्टवेयर का मूल्यहास लाइसेंस की अवधि के बजाय उपरोक्त अनुमानित जीवन के अनुसार किया जा रहा है

ख. परिसंपत्तियों के अधिग्रहण या निपटान के मामले में, मूल्यहास, वर्ष के दौरान परिसंपत्ति के उपयोग किए गए दिनों की संख्या के आधार पर आनुपातिक रूप से लगाया जाता है।

ग. मोबाइल फोन और बायोमेट्रिक डिवाइस जैसे बीसी द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को छोड़कर, खरीद के वर्ष में 5,000/- रुपये तक की संपत्ति का पूर्ण मूल्यहास किया जाता है।

घ. सरकारी अनुदान से खरीदी गई अचल परिसंपत्तियों का अधिग्रहण के वर्ष में पूर्ण मूल्यहास कर दिया जाता है, जिससे शेष मूल्य 1 रुपया रह जाता है।

ड. पुनर्मूल्यांकित/क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के मामले में, संशोधित परिसंपत्ति मूल्यों के संदर्भ में परिसंपत्तियों के शेष उपयोगी जीवन पर मूल्यहास प्रदान किया जाता है।

7. कर्मचारी लाभ

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) में विभिन्न स्केल के अधिकारियों के लिए वेतन संरचना बैंक के सेवा नियमों द्वारा शासित होती है। पारिश्रमिक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा अपनाई जाने वाली वेतन संरचना के अनुरूप है।

आईपीपीबी में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारी बैंक की प्रतिनियुक्ति नीति और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दिशा-निर्देशों के अधीन होते हैं। प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के पास अपने मूल संगठन में वेतन और आईपीपीबी वेतन के बीच चयन करने का विकल्प होता है। एमडी और सीईओ को दिया जाने वाला पारिश्रमिक, जिसे भौतिक जोखिम लेने वाला माना जाता है, में 7 वें सीपीसी के अनुरूप निश्चित वेतन और बोर्ड द्वारा अनुमोदित परिवर्तनीय वेतन शामिल हैं। वेतन कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दिशानिर्देशों का पालन करता है और आरबीआई द्वारा अनुमोदित है।

नियमित कर्मचारियों को ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस, ग्रुप टर्म इंश्योरेंस और ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम में कवर किया जाता है।

टर्मिनल लाभ

- भविष्य निधि: सभी पात्र कर्मचारी जो 30.09.2018 को शामिल हुए हैं, कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत आते हैं। भविष्य निधि एक परिभाषित अंशदान योजना है जिसमें कर्मचारी और बैंक दोनों ही पूर्व-निर्धारित दर पर मासिक अंशदान करते हैं। भविष्य निधि में अंशदान को व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है। ये अंशदान ईपीएफओ को भेजे जाते हैं।
- नई पेंशन योजना (एनपीएस): सभी पात्र कर्मचारी जो 01.10.2018 को शामिल हुए हैं, परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (डीसीपीएस) के अंतर्गत आते हैं। ऐसे कर्मचारियों के संबंध में बैंक मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% योगदान देता है जिसे 11.11.2020 से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। इसका व्यय लाभ और हानि खाते में डाला जाता है और बैंक के पास इस खाते में निधि में योगदान के अलावा कोई और देयता नहीं है।
- ग्रेच्युटी: बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रेच्युटी प्रदान करता है। यह लाभ निहित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति, नौकरी के दौरान मृत्यु, त्यागपत्र या नौकरी छोड़ने पर एकमुश्त भुगतान के रूप में दिया जाता है, जो सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए देय 15 दिनों के मूल वेतन के बराबर राशि होती है, जो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अनुसार निर्धारित अधिकतम सीमा के अधीन है। पांच वर्ष की सेवा पूरी होने पर निहितीकरण होता है।
- विशेषाधिकार अवकाश पर अनुपस्थिति के लिए मुआवज़ा: बैंक के कर्मचारी छुट्टी के नियमों के अनुसार विशेषाधिकार अवकाश के कारण मुआवज़ा पाने के हकदार हैं। बैंक बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर बैलेंस शीट की तारीख पर संचित अप्रयुक्त पात्रता के परिणामस्वरूप मुआवज़ा अनुपस्थिति की दीर्घकालिक अपेक्षित लागत को मापता है।

8. आय पर कर

आयकर व्यय बैंक द्वारा वहन किए गए वर्तमान कर और आस्थगित कर व्यय की कुल राशि है। चालू कर व्यय और आस्थगित कर व्यय का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों और लेखा मानक 22 - आय पर करों के लिए लेखांकन के अनुसार किया जाता है।

आस्थगित कर समायोजन में वर्ष के दौरान आस्थगित कर परिसंपत्तियों या देनदारियों में परिवर्तन शामिल होते हैं। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को चालू वर्ष के लिए कर योग्य आय और लेखा आय के बीच समय के अंतर के प्रभाव और आगे ले जाने वाले नुकसानों पर विचार करके पहचाना जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को कर दरों और कर कानूनों का उपयोग करके मापा जाता है जिन्हें बैलेंस शीट की तिथि पर अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित किया गया है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों में परिवर्तन के प्रभाव को लाभ और हानि खाते में पहचाना जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर पहचाना और पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, जो प्रबंधन के निर्णय पर आधारित होता है कि क्या उनकी प्राप्ति उचित/वस्तुतः निश्चित मानी जाती है।

9. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी एएस 29, "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्तियां" के अनुरूप, बैंक केवल तभी प्रावधानों को मान्यता देता है जब किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप उसके पास वर्तमान दायित्व होता है, और इसके परिणामस्वरूप आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का संभावित बहिर्वाह होता है, दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक होगा, और जब दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जाती है।

10. सरकारी अनुदानों का लेखा-जोखा

शासनादेश के अनुसार, एटीएम/माइक्रो-एटीएम/ पीओएस के प्रावधान के माध्यम से इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड द्वारा वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने और नकदी निकासी की सुविधा प्रदान करने, ग्रामीण डाकघरों की क्षमता निर्माण, ग्रामीण डाकघरों में नकदी प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने और वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित करने के लिए उभरती प्रौद्योगिकी समाधान के लिए सरकार द्वारा अनुदान स्वीकृत किया गया है। बोर्ड ने 17 जुलाई, 2017 के संकल्प के अनुसार अनुदान के उपयोग के लिए व्यापक दिशा-निर्देशों और पैटर्न को मंजूरी दी। तदनुसार, प्राप्त अनुदान को शेयरधारकों के फंड के रूप में माना गया है और पूंजी भंडार में जमा किया गया है। इस प्रकार, बैंक सरकारी अनुदान पर एएस-12 के अनुसार पूंजी दृष्टिकोण पद्धति को अपना रहा है। अनुदान का उपयोग बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार किया जाता है।

11. संपत्ति की अनुपस्थिति

जब भी घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन से संकेत मिलता है कि वहन राशि वसूली योग्य नहीं हो सकती है या जब किसी परिसंपत्ति के लिए वार्षिक क्षति परीक्षण की आवश्यकता होती है, तो परिसंपत्तियों की वहन राशि की हानि के लिए समीक्षा की जाती है। जब भी किसी परिसंपत्ति की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, तो हानि कानिर्धारण किया जाता है।

हानि के बाद, परिसंपत्ति के शेष उपयोगी जीवन पर संशोधित वहन राशि पर मूल्यहास प्रदान किया जाता है। हानि की प्रतिपूर्ति केवल उस सीमा तक की जाती है, जब परिसंपत्ति की वहन राशि उस वहन राशि से अधिक न हो, जो तब निर्धारित की जाती, जब पहले कोई हानि नहीं पहचानी गई होती।

12. परिचालन लीज़

ऐसे पट्टे जहां पट्टादाता पट्टे की अवधि के दौरान स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों को प्रभावी रूप से बरकरार रखता है, उन्हें परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। परिचालन पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों के लिए पट्टा भुगतान को पट्टे की शर्तों के अनुसार लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।



अनुसूची 18 लेखों पर टिप्पणियां

1. विनियामक पूंजी

क. नियामक पूंजी की संरचना

(रुपये 000 में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2024	31.03.2023
i.	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी*	9595734	5061106
ii.	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी/अन्य टियर 1 पूंजी	-	-
iii.	टियर 1 पूंजी (i + ii)	9595734	5061106
iv.	टियर 2 पूंजी	38042	23483
v.	कुल पूंजी (टियर 1+टियर 2)	9633776	5084589
vi.	कुल जोखिम भारित आस्तियां (आरडब्ल्यूए)	17561850	8926679
vii.	सीईटी 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में सीईटी 1 / आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में प्रदत्त शेयर पूंजी एवं रिजर्व	54.64	56.7
viii.	टियर 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 1 पूंजी)	54.64	56.7
ix.	टियर 2 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 2 पूंजी)	0.22	0.26
x.	पूंजी से जोखिम भारित आस्तियों का अनुपात (सीआरएआर) (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी)	54.86	56.96
xi.	उपलब्ध साधन का अनुपात	13.01	13.29
xii.	बैंक में भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	100.00%	100.00%
xiii.	वर्ष के दौरान जुटाई गई इक्विटी पूंजी की राशि	4500000	2000000
xiv.	जुटाई गई अतिरिक्त टियर 1 पूंजी की राशि जिसमें से स्थायी गैर -संचयी अधिमान शेयर (पीएनसीपीएस) स्थायी ऋण लिखतें (पीडीआई)	शून्य शून्य	शून्य शून्य
xv.	जुटाई गई अतिरिक्त टियर 2 पूंजी की राशि जिसमें से: ऋण पूंजी इंस्ट्रूमेंट: अधिमान शेयर पूंजी इंस्ट्रूमेंट: (स्थायी गैर-संचयी अधिमान शेयर (पीसीपीएस)/ प्रतिदेय गैर-संचयी अधिमान शेयर (आरएनसीपीएस)/प्रतिदेय संचयी अधिमान शेयर (आरएनसीपीएस)	शून्य शून्य	शून्य शून्य

* अनुदान, आस्थगित कर आस्तियों और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की कटौती के बाद।

नोट: आरबीआई के दिशानिर्देश नोट डीओआर ओआरजी आरईसी 21/14.10.001/2024-25 दिनांक 30.04.2024 के अनुसार "परिचालन जोखिम प्रबंधन और परिचालन लचीलापन पर दिशानिर्देश नोट" पर, पेमेंट्स बैंक को वर्तमान में परिचालन जोखिम के लिए एक अलग नियामक पूंजी बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, बैंक की पूंजी पर्याप्तता स्थिति की गणना विनियामक रिपोर्टिंग प्रारूप के अनुसार की जाएगी अर्थात् बेसल 1 मानदंडों (आरसीए 1) के अनुसार पूंजी पर्याप्तता पर वापसी जिसमें ट्रेडिंग बुक - बाजार जोखिम और बैंकिंग बुक - क्रेडिट जोखिम के लिए पूंजी प्रभार शामिल है। इस प्रकार, ऊपर सूचित जोखिम भारित परिसम्पत्तियों और सीआरएआर बासेल-I दिशानिर्देशों के अनुसार हैं।

ख. आरक्षित निधि से निकासी

वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान रिज़र्व से कोई राशि नहीं निकाली गई।

ग. आरक्षित निधियों का विनियोजन

- सांविधिक आरक्षित निधि - बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अनुसार, भारत में निगमित सभी बैंकिंग कंपनियों को लाभ और हानि खाते में बताए गए प्रत्येक वर्ष के लाभ के शेष से तथा किसी भी लाभांश की घोषणा से पहले एक रिज़र्व फंड बनाना होगा तथा ऐसे लाभ के कम से कम 25% के बराबर राशि हस्तांतरित करनी होगी। तदनुसार, बैंक ने चालू वर्ष के निवल लाभ (पिछले वर्ष: 5.04 करोड़ रुपये) से 8.56 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की है।
- निवेश में उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि (आईएफआर) - भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने परिपत्र डीबीआर के तहत 2009-10 के अपने परिपत्र के तहत बैंक को सूचित किया है 2 अप्रैल 2018 के परिपत्र सं.बीपी.बीसी.102/21.04.048/2017-18 ने बैंकों को वित्त वर्ष 2018-19 से निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि (आईएफआर) सृजित करने की सलाह दी थी। तदनुसार, वर्ष के दौरान निवेश की बिक्री पर शुद्ध लाभ से कम राशि या वर्ष के लिए शुद्ध लाभ कम अनिवार्य विनियोगों को आईएफआर में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा, जब तक कि आईएफआर की राशि एचएफटी और एएफएस पोर्टफोलियो का कम से कम 2 प्रतिशत न हो, निरंतर आधार पर। 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान, बैंक ने आईएफआर (पिछले वर्ष: ₹2.35 करोड़) में ₹1.46 करोड़ की राशि हस्तांतरित की है। 31 मार्च, 2024 को आईएफआर एएफएस और एचएफटी श्रेणी के तहत निवेश के समापन शेष का 0.04% (पिछला वर्ष: 0.05%) बनता है।

2. निवेश

क. निवेश पोर्टफोलियो की संरचना

31 मार्च 2024 तक

(रुपये 000 में)

विवरण	भारत में निवेश						भारत के बाहर निवेश				
	सरकारी प्रतिभूतियां	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	शेयर	डिबेंचर और बांड	सहायक और/ या संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत में कुल निवेश	सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	सहायक कंपनियां और/या संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत के बाहर कुल निवेश
परिवर्तता तक धारित											
कुल	100983	0	0	0	0	0	100983	0	0	0	100983
घटाएँ: गैर-निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधान (एनपीआई)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
निवल	100983	0	0	0	0	0	100983	0	0	0	100983
बिक्री के लिए उपलब्ध											
कुल	87793815	0	0	0	0	0	87793815	0	0	0	87793815
घटाएँ: मूल्यहास और एनपीआई के लिए प्रावधान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
निवल	87793815	0	0	0	0	0	87793815	0	0	0	87793815
व्यापार हेतु धारित											
कुल	499695	0	0	0	0	0	499695	0	0	0	499695
घटाएँ: मूल्यहास और एनपीआई के लिए प्रावधान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
निवल	499695	0	0	0	0	0	499695	0	0	0	499695
कुल निवेश	88394493	0	0	0	0	0	88394493	0	0	0	88394493
घटाएँ: गैर-निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
घटाएँ: मूल्यहास और एनपीआई के लिए प्रावधान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
निवल	88394493	0	0	0	0	0	88394493	0	0	0	88394493

31 मार्च 2023 तक

(रुपये 000 में)

विवरण	भारत में निवेश						भारत के बाहर निवेश						
	सरकारी प्रतिभूतियाँ	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	शेयरों	डिबेंचर और बांड	सहायक और/या संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत में कुल निवेश	सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	सहायक और/या संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत के बाहर कुल निवेश		
परिपक्वता तक धारित													
कुल	101950	0	0	0	0	0	101950	0	0	0	0	101950	
घटाएँ: गैर-निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधान (एनपीआई)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
निवल	101950	0	0	0	0	0	101950	0	0	0	0	101950	
बिक्री के लिए उपलब्ध													
कुल	45889896	0	0	0	0	0	45889896	0	0	0	0	45889896	
घटाएँ: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
निवल	45889896	0	0	0	0	0	45889896	0	0	0	0	45889896	
व्यापार हेतु धारित													
कुल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
घटाएँ: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
निवल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
कुल निवेश													
घटाएँ: गैर-निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
घटाएँ: मूल्यह्रास और एनपीआई के लिए प्रावधान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
निवल	45991846	0	0	0	0	0	45991846	0	0	0	0	45991846	

(रुपये 000 में)

क्रमांक	विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
i)	निवेशों पर मूल्यह्रास हेतु रखे गए प्रावधानों का संचलन		
क.	अथशेष	-	
ख.	जोड़ें: वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	-	-
ग.	घटाएँ: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते में डालना / वापस लिखना	-	-
घ.	अंतिमशेष	-	-
ii)	निवेश उतार-चढ़ाव रिजर्व की गतिविधि		
क.	अथशेष	23483	-
ख.	जोड़ें: वर्ष के दौरान स्थानांतरित राशि	14559	23483
ग.	घटाएँ: आहरण द्वारा गिरावट	-	-
घ.	अंतिमशेष	38042	23483
iii)	एएफएस और एचएफटी/ चालू श्रेणी में निवेश के अथशेष के प्रतिशत के रूप में आईएफआर में अथशेष	0.04%	0.05%

ग. एचटीएम श्रेणी से/में बिक्री और स्थानांतरण

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान, एचटीएम श्रेणी में/से निवेश का कोई हस्तांतरण नहीं हुआ और एचटीएम श्रेणी से निवेश की कोई बिक्री नहीं हुई।
(31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान एचटीएम श्रेणी में/से निवेश का कोई हस्तांतरण नहीं हुआ और एचटीएम श्रेणी से निवेश की कोई बिक्री नहीं हुई)।

घ. गैर-एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो

i. गैर-निष्पादित गैर-एसएलआर निवेश

बैंक के पास 31 मार्च 2024 तक कोई गैर-निष्पादित गैर-एसएलआर निवेश नहीं है और इस प्रकार, इस खंड के अंतर्गत कुछ भी रिपोर्ट नहीं किया जाना है।
(बैंक के पास 31 मार्च 2023 तक कोई गैर-निष्पादित गैर-एसएलआर निवेश नहीं है)।

ii) गैर एसएलआर निवेशों की जारीकर्ता संरचना

(रुपये 000 में)

क्रमांक	जारीकर्ता	राशि	निजी प्लेसमेंट की सीमा	'निवेश ग्रेड से नीचे' प्रतिभूतियों की सीमा	'अनरेटेड' प्रतिभूतियों की सीमा	'असूचीबद्ध' प्रतिभूतियों की सीमा
1	2	3	4	5	6	7
i.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वित्तीय संस्थाओं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	बैंकों	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निजी कॉर्पोरेट्स	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
v.	सहायक / संयुक्त उद्यम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
vii.	मूल्यहास के लिए प्रावधान	शून्य				
	कुल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

ड. रेपो लेनदेन (अंकित मूल्य के संदर्भ में)

वित्त वर्ष 2023-24

(रुपये 000 में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	31 मार्च 2024 तक बकाया
रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियाँ				
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	-	8401531	2061144	-
ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-
iii. कोई अन्य प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-
रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ				
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	-	12683745	400168	-
ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-
iii. कोई अन्य प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-



वित्त वर्ष 2022-23

(रुपये 000 में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	31 मार्च 2023 तक बकाया
रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियाँ				
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	-	2620845	109421	-
ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-
iii. कोई अन्य प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-
रिवर्स रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ				
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	-	4256217	491544	2651550
ii. कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-
iii. कोई अन्य प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-

3. डेरिवेटिव

- क. अग्रिम दर समझौता/ ब्याज दर स्वैप
- ख. एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरिवेटिव
- ग. डेरिवेटिव में जोखिम एक्सपोजर पर प्रकटीकरण
- घ. उधार न्यूनता विनिमय

बैंक ने डेरिवेटिव्स में कोई लेनदेन नहीं किया है और इसलिए इस खंड में कुछ भी रिपोर्ट नहीं किया जाना है। पिछले वर्ष भी इस खंड के तहत कोई लेनदेन नहीं हुआ है।

4. परिसंपत्ति की गुणवत्ता

- क. अग्रिमों और धारित प्रावधानों का वर्गीकरण।
- ख. क्षेत्रवार अग्रिम और सकल एनपीए
- ग. विदेशी आस्तियां, एनपीए और राजस्व
- घ. समाधान योजना और पुनर्गठन का विवरण
- ड. परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन
- च. ऋण जोखिमों के हस्तांतरण का प्रकटीकरण
- छ. धोखाधड़ी वाले खाते
- ज. कोविड-19 से संबंधित तनाव के लिए समाधान ढांचे के अंतर्गत प्रकटीकरण

बैंक "पेमेंट्स बैंक" की श्रेणी में आता है और उसे ऋण देने की अनुमति नहीं है। इस प्रकार, गैर-निष्पादित अग्रिम, पुनर्गठन, विचलन और धोखाधड़ी खातों सहित संपत्ति की गुणवत्ता की आवश्यकता वाले प्रकटीकरण बैंक पर लागू नहीं होते हैं।

5. एक्सपोजर

एक्सपोजर प्रकटीकरण के अंतर्गत निम्नलिखित विवरण आवश्यक हैं

- क. रियल एस्टेट क्षेत्र में एक्सपोजर
- ख. पूंजी बाजार में एक्सपोजर
- ग. जोखिम श्रेणी-वार देश एक्सपोजर
- घ. असुरक्षित अग्रिम
- ड. फैक्ट्रिंग एक्सपोजर
- च. अंतर-समूह एक्सपोजर
- छ. असुरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर

बैंक "पेमेंट्स बैंक" की श्रेणी में आता है और उसे ऋण देने की अनुमति नहीं है। इस प्रकार, एक्सपोजर से संबंधित प्रकटीकरण लागू नहीं होता है

6. आरबीआई द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण:

आरबीआई ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक पर कोई जुर्माना नहीं लगाया है। (आरबीआई ने 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक पर कोई जुर्माना नहीं लगाया था)।

7. अचल संपत्तियों पर मूल्यहास:

आस्तियों के प्रत्येक वर्ग के लिए कुल मूल्यहास का विवरण

(रुपये 000 में)

आस्तियों का वर्ग	31.03.2024	31.03.2023
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	92180	53459
अन्य अचल संपत्तियां	822492	221206
कुल	914672	274665

8. परिसंपत्ति देयता प्रबंधन

क. आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता का स्वरूप

(रुपये 000 में)

परिपक्वता स्वरूप	जमा	अग्रिम	निवेश	ऋण	विदेशी मुद्रा आस्तियां	विदेशी मुद्रा देयताएं
अगले दिन	1706743	शून्य	शून्य	शून्य	8346	8346
	913757				4110	4110
2 से 7 दिन	4832321	शून्य	3725892	शून्य	शून्य	शून्य
	2558134		शून्य			
8 से 14 दिन	5519401	शून्य	748657	शून्य	शून्य	शून्य
	2840073		1547079			
15 से 30 दिन	6457552	शून्य	3469751	शून्य	शून्य	शून्य
	3154732		1095596			
31 दिन से 2 माह तक	4958477	शून्य	7629030	शून्य	शून्य	शून्य
	603065		3822346			
2 माह से 3 माह तक	5050728	शून्य	4761219	शून्य	शून्य	शून्य
	709763		8695600			
3 माह से 6 माह तक	शून्य	शून्य	38023317	शून्य	शून्य	शून्य
	4115		13098223			
6 महीने से 1 वर्ष तक	शून्य	शून्य	29411493	शून्य	शून्य	शून्य
			17631052			
1 वर्ष से 3 वर्ष तक	86996698	शून्य	621411	शून्य	शून्य	शून्य
	52139946		101950			
3 वर्ष से अधिक से 5 वर्ष तक	शून्य	शून्य	3723	शून्य	शून्य	शून्य
			शून्य			
5 वर्ष से अधिक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
			शून्य			
कुल	115521920	शून्य	88394493	शून्य	8346	8346
	62923585		45991846		4110	4110

नीचे दिये गये आंकड़े पिछले वित्तीय वर्ष के हैं।

टिप्पणी:

- जमा: परिसंपत्ति देयता प्रबंधन पर आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप, 31 मार्च 2024 तक चालू/बचत जमा के निकासी के स्वरूप को बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यवहार अध्ययन के आधार पर उपयुक्त श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।
- निवेश / अग्रिम / ऋण : इन्हें संबंधित अवशिष्ट परिपक्वता स्वरूप के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है।

ख. लिक्विडिटी कवरेज रेशियो (एलसीआर)

लिव्क्विडिटी मानकों पर बेसल III फ्रेमवर्क पर आरबीआई परिपत्र के अनुसार पेमेंट्स बैंक के लिए लिव्क्विडिटी कवरेज अनुपात के बारे में प्रकटीकरण लागू नहीं है - लिव्क्विडिटी कवरेज अनुपात (एलसीआर) आरबीआई / 2019-20/217/डीओआर.बीपी.बीसी.सं.65/21.04.098/2019-20 दिनांक 17 अप्रैल 2020 को जारी किया गया।

ग. निवल स्थिर वित्तपोषण अनुपात (एनएसएफआर)

लिक्विडिटी मानकों पर बेसल III फ्रेमवर्क पर आरबीआई परिपत्र के अनुसार पेमेंट्स बैंक के लिए निवल स्थिर वित्तपोषण अनुपात के संदर्भ में प्रकटीकरण लागू नहीं है - शुद्ध स्थिर वित्तपोषण अनुपात (एनएसएफआर) आरबीआई/2020-21/95/डीओआर.सं.एलआरजी.बीसी.40/21.04.098/2020-21 दिनांक 5 फरवरी 2021 को जारी किया गया।

9. विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव - लेखांकन मानक 11

बैंक ने मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम (एमटीएसएस) के तहत मेसर्स कॉन्टिनेंटल एक्सचेंज सॉल्यूशंस (रिया फाइनेंशियल सर्विसेज) और मेसर्स वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज यूएसए के साथ समझौता किया है। इस संबंध में, बैंक को विदेशी मुद्रा में एक संपार्श्विक जमा प्राप्त हुआ था। यह राशि भारतीय स्टेट बैंक के पास रखी गई है और इसे "बैंकों के साथ चालू जमा" के तहत दिखाया गया है। संबंधित देयता को "अन्य देयताएं - अन्य" के तहत दिखाया गया है। भारतीय रुपये में परिवर्तन एफआईएमएमडीए के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है।

संबंधित भारतीय रूपये में मूल्य निम्नानुसार है:

(रुपये 000 में)

विवरण	31.03.2024	31.03.2023
एमटीएसएस के अंतर्गत संपार्श्विक जमा	8346	4110

10. सरकारी अनुदान उपयोग - लेखांकन मानक 12

बैंक को वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कोई अनुदान सहायता प्राप्त नहीं हुई है। 31.03.2024 और 31.03.2023 तक अनुदान सहायता की कोई अप्रयुक्त राशि नहीं थी।

11. कर्मचारी लाभ - लेखांकन मानक 15

क. ग्रेच्युटी:

दिसंबर 2023 तक बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर भारतीय जीवन बीमा निगम से 6.79 करोड़ रुपये की वार्षिकियां खरीदी हैं (वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 4.60 करोड़ रुपये)। बैंक ने 31 मार्च 2024 तक बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर ग्रेच्युटी के लिए 10.67 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान लाभ और हानि खाते में 17.46 करोड़ रुपये की कुल राशि चार्ज की गई है (वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 4.60 करोड़ रुपये)

ख. अवकाश नक्दीकरण:

वर्ष के दौरान, बैंक ने बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर कर्मचारियों द्वारा विशेषाधिकार अवकाश नकदीकरण हेतु 18.81 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह राशि (वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 18.94 करोड़ रुपये) वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान लाभ और हानि खाते में जमा की जाती है।

वित्त पोषित स्थिति के साथ लाभ और हानि खाते और तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त विभिन्न परिभाषित लाभों की सारांशित स्थिति इस प्रकार है:

i. दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(रुपये 000 में)

विवरण	ग्रेच्युटी		अवकाश नकदीकरण	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
वर्ष के आरंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	400090	-	470736	338130
देयता स्थानांतरण इन/आउट	-	-	-	-
ब्याज लागत	30087	-	35399	24886
पिछली सेवा लागत	-	360182	-	-
वर्तमान सेवा लागत	34479	39908	105854	94838
कटौती लागत / (क्रेडिट)	-	-	-	-
निपटान लागत / (क्रेडिट)	-	-	-	-
भुगतान किये गये लाभ	-9692	-	-64238	-56823
दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/ हानि	74288	-	46854	69705
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	529252	400090	594605	470736

ii. योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन:

(रुपये 000 में)

विवरण	ग्रेच्युटी		अवकाश नकदीकरण	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
वर्ष के आरंभ में योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	413160	लागू नहीं	-	-
परिसंपत्ति स्थानांतरण इन/(आउट)	-	-	-	-
योजनागत परिसंपत्ति पर संभावित लाभ	28012	लागू नहीं	-	-
नियोक्ता का योगदान	64993	लागू नहीं	64238	56824
लाभ का भुगतान	-9692	लागू नहीं	-64238	-56824
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	4139	लागू नहीं	-	-
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	500612	413160	-	-

iii. लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त व्यय

(रुपये 000 में)

विवरण	ग्रेच्युटी		अवकाश नकदीकरण	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
वर्तमान सेवा लागत	34479	39908	105854	94838
पिछली सेवा लागत	-	360182	-	-
ब्याज लागत	30087	-	35399	24886
योजनागत परिसंपत्ति पर संभावित लाभ	-28012	-	-	-
कटौती लागत / (क्रेडिट)	-	-	-	-
निपटान लागत / (क्रेडिट)	-	-	-	-
वर्ष में मान्यता प्राप्त शुद्ध बीमांकिक (लाभ)/हानि	70149	-	46855	69705
लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	106703	400090	188108	189429

iv. लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त व्यय

(रुपये 000 में)

विवरण	ग्रेच्युटी		अवकाश नकदीकरण	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	529252	400090	594605	470736
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	500612	413160	-	-
वित्त पोषित स्थिति	(28640)	13070	(594605)	(470736)
अपरिचित बीमांकिक (लाभ) / हानि	-	-	-	-
तुलनपत्र में मान्यता प्राप्त निवल परिसंपत्ति / (देयता)	(28640)	13070	(594605)	(470736)

v. बीमांकिक मान्यताएं

बीमांकिक मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त प्रमुख मान्यताएं हैं:

विवरण	ग्रेज्युटी		अवकाश नकदीकरण	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
छूट की दर	7.23%	7.52%	7.23%	7.52%
मुआवज़ा स्तर में वृद्धि की दर	10%	10%	10%	10%
योजना आस्तियों पर प्रतिफल की दर	6.78%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
औसत भावी सेवा (वर्षों में)	24.1	25.11	24.1	25.11

12. संबंधित पक्ष प्रकटीकरण - लेखांकन मानक 18

प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक

(रुपये 000 में)

विवरण	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
निदेशकों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक	5505	1070
एमडी एवं सीईओ को दिया जाने वाला पारिश्रमिक	7921	7083
सीएफओ को दिया जाने वाला पारिश्रमिक	3760	3258
कंपनी सचिव को दिया जाने वाला पारिश्रमिक	2064	1928

आईसीएआई द्वारा जारी एस-18 के पैरा 10.13 के साथ पठित पैरा 9 के अनुसार, अन्य राज्य-नियंत्रित उद्यमों के साथ संबंधित पार्टी संबंधों और ऐसे उद्यमों के साथ लेनदेन के संबंध में राज्य-नियंत्रित उद्यमों के वित्तीय विवरणों में कोई प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है, इसलिए डीओपी के साथ आईपीपीबी के बीच किए गए लेनदेन का प्रकटीकरण करने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि, डीओपी के साथ लेनदेन के प्रमुख लेनदेन/प्रकृति का प्रकटीकरण नीचे पैरा 35 के तहत किया गया है।

13. सेगमेंट रिपोर्टिंग - लेखांकन मानक 17

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी एस-17 (सेगमेंट रिपोर्टिंग) और आरबीआई परिपत्र संदर्भ डीबीओडी.सं . बीपी.बीसी.81/21.04.018/2006-07 दिनांक 18 अप्रैल 2007 को डीबीआर.बीपी.बीसी सं.23/21.04.018/2015-16 दिनांक 01 जुलाई 2015 और उसके संशोधनों के साथ पठित, व्यावसायिक खंड, जो प्राथमिक खंड है, में शामिल हैं:

- राजकोषीय परिचालन
- खुदरा बैंकिंग परिचालन

आय, व्यय, आस्तियां और देनदारियों को या तो विशेष रूप से अलग-अलग खंडों में चिह्नित किया गया है या उचित आधार पर खंडों को आवंटित किया गया है या उन्हें गैर-आवंटित के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

भौगोलिक खंडों को द्वितीयक खंड के रूप में मान्यता दी गई है। बैंक का कारोबार भारत से बाहर नहीं फैला है और भारत के बाहर इसकी कोई संपत्ति या भारत के बाहर से होने वाली आय नहीं है। तदनुसार, बैंक ने किसी भी भौगोलिक खंड की रिपोर्ट नहीं की है

भाग ए: व्यवसाय खंड

(रुपये 000 में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2024 को वर्ष समाप्त	31.03.2023 को वर्ष समाप्त
i)	क्षेत्र राजस्व		
	क) राजकोष	1090203	897750
	ख) कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग	शून्य	शून्य
	ग) खुदरा बैंकिंग	11562706	6763752
	घ) अन्य बैंकिंग परिचालन	शून्य	शून्य
	कुल	12652909	7661502
ii)	क्षेत्र परिणाम		
	क) राजकोष	81086	30849
	ख) कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग	शून्य	शून्य
	ग) खुदरा बैंकिंग	837640	229027
	घ) अन्य बैंकिंग परिचालन	शून्य	शून्य
	कुल	918726	259876
iii	असंबद्ध व्यय	शून्य	शून्य
iv	परिचालन लाभ	918726	259876
v	प्रावधान	576348	58267
vi	असाधारण मद (पूर्व अवधि व्यय)	शून्य	शून्य
vii	निवल लाभ	342378	201609
अन्य सूचना:			
viii	खंड परिसंपत्तियाँ		
	क) राजकोष	16821705	14250256
	ख) कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग	शून्य	शून्य
	ग) खुदरा बैंकिंग	119805923	61956949
	घ) अन्य बैंकिंग परिचालन	शून्य	शून्य
	उपयोग	136627628	76207205
	च) असंबद्ध आस्तियां	शून्य	शून्य
	कुल आस्तियां	136627628	76207205
ix.	खंड देयताएं		
	क) राजकोष	11772144	8929766
	बी) कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग	शून्य	शून्य
	ग) खुदरा बैंकिंग	124855484	67277439
	घ) अन्य बैंकिंग परिचालन	शून्य	शून्य
	उपयोग	136627628	76207205
	ई) असंबद्ध देयताएं	शून्य	शून्य
	कुल देनदारियों	136627628	76207205

भाग बी - भौगोलिक खंड

चूंकि बैंक केवल भारत में ही परिचालन कर रहा है, इसलिए भौगोलिक खंड की रिपोर्ट देना आवश्यक नहीं है।

14. पट्टों के लिए लेखांकन – लेखांकन मानक 19

वित्तीय वर्ष के लिए बैंक द्वारा रद्द करने योग्य परिचालन पट्टे के तहत भुगतान की गई कुल राशि 0.15 करोड़ रुपये है (पिछले वर्ष: 0.22 करोड़ रुपये)। बैंक ने चालू वर्ष और पिछले वर्ष में कोई भी गैर-रद्द करने योग्य परिचालन पट्टा और वित्तीय पट्टा व्यवस्था नहीं की है।

(रुपये 000 में)

विवरण	31.03.2024	31.03.2023
निम्नलिखित अवधियों में से प्रत्येक के लिए गैर -रद्द करने योग्य परिचालन पट्टों के अंतर्गत भविष्य के न्यूनतम पट्टा भुगतानों का योग		
क) एक वर्ष से अधिक नहीं	1977	1474
ख) एक वर्ष से अधिक किन्तु पांच वर्ष से अधिक नहीं	4323	-
ग) पांच वर्ष से बाद में	-	-
कुल अपेक्षित भावी पट्टा भुगतान	6300	1474
अवधि के लिए लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त पट्टा भुगतान	1474	2220

15. प्रति शेयर आय – लेखांकन मानक 20

क्र. सं.	विवरण	31.03.2024	31.03.2023
क.	ईपीएस – बेसिक/डाइल्यूटेड (रु. में)	0.18	0.13
ख.	अंश के रूप में प्रयुक्त राशि लाभ/(हानि) (कर के बाद) (रु. 000 में)	342378	201609
ग.	शेयर का नाममात्र मूल्य	10 रुपये प्रत्येक	10 रुपये प्रत्येक
घ.	हर के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	1932671233	1590890411

16. आयकर पर करों का लेखा-जोखा – लेखांकन मानक 22

बैंक ने लेखांकन नीति के अनुसार आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं को मान्यता दी है।

वित्त वर्ष 2018-19 और वित्त वर्ष 2019-20 में मान्यता प्राप्त संचित घाटे पर आस्थगित कर परिसंपत्ति की समीक्षा की गई और वर्ष के लिए लाभ को समायोजित करने के बाद इसे बनाए रखने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया गया है। तदनुसार, 31.03.2024 तक नीचे दिखाए गए आस्थगित कर आस्तियों और देनदारियों का 'कैरी फॉरवर्ड लॉस' घटक वित्त वर्ष 2018-19 और वित्त वर्ष 2019-20 में मान्यता प्राप्त आस्थगित कर आस्तियों को दर्शाता है, जिसे वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए लाभ से घटाया गया है।

आस्थगित कर आस्तियों के प्रमुख घटक नीचे दिए गए हैं:

(रुपये 000 में)

विवरण	31.03.2024	31.03.2023
आस्थगित कर आस्तियां		
अग्रसारित हानि	1240120	1568877
अवकाश नकदीकरण का प्रावधान	171718	136149
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	112507	103306
कुल	1524345	1808332
विलंबित कर उत्तरदायित्व	-	-
आस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)	1524345	1808332

17. समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसिएट्स में निवेश के लिए लेखांकन – लेखांकन मानक 23

बैंक के पास कोई सहायक/सहयोगी कंपनी नहीं है, इसलिए इस खंड के अंतर्गत कोई प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है।

18. आस्तियों की क्षति – लेखांकन मानक 28

बैंक के प्रबंधन की राय में, 31 मार्च 2024 तक आस्तियों की हानि का कोई संकेत नहीं है, जिस पर लेखांकन मानक 28 "आस्तियों की हानि" लागू होती है।

19. बैंकिंग लोकपाल की शिकायतों और लागू न किए गए निर्णयों की स्थिति का प्रकटीकरण

क्रम सं.		विवरण	मौजूदा	पहले का
			वर्ष	वर्ष
बैंक को अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें				
1		वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	822	271
2		वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	37825	16780
3		वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	37354	16229
	3.1	इसमें से, बैंक द्वारा अस्वीकृत शिकायतों की संख्या	3329	422
4		वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	1293	822
बैंक को ओबीओ से प्राप्त विचारणीय शिकायतें				
5		बैंक को ओबीओ से प्राप्त सुनवाई योग्य शिकायतों की संख्या		205
			303	
	5.1	बॉस द्वारा बैंक के पक्ष में निपटाई गई शिकायतों की संख्या 5,		200
			274	
	5.2	बी.ओ. द्वारा जारी सुलह/मध्यस्थता/सलाह के माध्यम से हल की गई शिकायतों की संख्या		5
			29	
	5.3	बैंक के खिलाफ बीओ द्वारा पुरस्कार पारित करने के बाद निपटाई गई शिकायतों की संख्या 5 है।		शून्य
			शून्य	
6		के भीतर क्रियान्वित न किए गए पुरस्कारों की संख्या		शून्य
		(अपील किए गए पुरस्कारों को छोड़कर)	शून्य	

बैंक को ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों के मुख्य आधार

शिकायत का आधार , (अर्थात् संबंधित शिकायतें)	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्त शिकायतों की संख्या में % वृद्धि/कमी	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	30 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों की संख्या 5 है।
1	2	3	4	5	6
चालू वर्ष (2023-24)					
इंटरनेट/ मोबाइल बैंकिंग/ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	224	30548	196.76%	440	0
टैरिफ अनुसूची और सेवा शुल्क	7	5216	496.11%	784	0
अन्य	591	2061	-63.27%	69	0
कुल	822	37825	125.42%	1293	0
पिछला वर्ष (2022-23)					
इंटरनेट/ मोबाइल बैंकिंग/ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	200	10294	-33.41%	224	0
टैरिफ अनुसूची और सेवा शुल्क	9	875	-18.22%	7	0
अन्य	62	5611	54.11%	591	0
कुल	271	16780	-16.81%	822	0

20. “प्रावधानों और आकस्मिकताओं” का ब्यौरा

(रुपये 000 में)

विवरण	31.03.2024	31.03.2023
एनपीए के लिए प्रावधान (निवल)	शून्य	शून्य
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	शून्य	शून्य
आयकर के लिए प्रावधान	शून्य	शून्य
आस्थगित कर के लिए प्रावधान	283987	58267
धोखाधड़ी के प्रति प्रावधान	23500	शून्य
डीओपी आईटी 2.0 के लिए प्रावधान	268861	शून्य
अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	शून्य	शून्य
कुल	576348	58267

21. जमा, अग्रिम, ऋण और एनपीए का संकेन्द्रण:

क. जमा का संकेन्द्रण:		(रुपये 000 में)
विवरण	31.03.2024	31.03.2023
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशि	9232	6241
बैंक की कुल जमाराशि में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशि का प्रतिशत	0.0080%	0.0099%

ख. अग्रिम राशि का संकेन्द्रण	बैंक "पेमेंट्स बैंक" की श्रेणी में आता है और उसे ऋण देने की अनुमति नहीं है। इस प्रकार, अग्रिम/ एक्सपोज़र/ एनपीए और प्रावधान कवरेज अनुपात के संकेन्द्रण से संबंधित प्रकटीकरण लागू नहीं है।
ग. जोखिम की संकेन्द्रण	
घ. एनपीए का संकेन्द्रण	

22. जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता कोष (डीईएएफ) में स्थानांतरण

ऐसी कोई जमाराशि नहीं है जिसका दावा न किया गया हो, जो 10 वर्ष से अधिक समय से परिपक्व और बकाया हो। इस प्रकार, वित्तीय वर्ष के दौरान जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष (डीईएएफ) में कोई राशि हस्तांतरित करने के योग्य नहीं थी।

23. पारिश्रमिक पर प्रकटीकरण

क. गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक की नामांकन पारिश्रमिक समिति का गठन 28 जून, 2017 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार किया गया था। समिति में पांच सदस्य हैं, जिनमें स्वतंत्र निदेशक सुश्री जयश्री ब्रजलाल दोशी अध्यक्ष हैं। नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का मुख्य कार्य अंशकालिक अध्यक्ष, एमडी एवं सीईओ की नियुक्ति करना तथा उनकी नियुक्ति की शर्तों एवं पारिश्रमिक की सिफारिश करना है। प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी एवं सीईओ) को बैंक का महत्वपूर्ण जोखिम लेने वाला व्यक्ति माना जाता है।

वर्तमान में दिया जाने वाला पारिश्रमिक एक प्रतिस्पर्धी पैकेज है और इसे आवश्यक और गुणवत्तापूर्ण प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) में विभिन्न स्केल के अधिकारियों के लिए वेतन संरचना बैंक के सेवा नियमों द्वारा शासित है। पारिश्रमिक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा अपनाई जाने वाली वेतन संरचना के अनुरूप है।

आईपीपीबी में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारी बैंक की प्रतिनियुक्ति नीति और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दिशा-निर्देशों के अधीन होते हैं। प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के पास अपने मूल संगठन में वेतन और आईपीपीबी वेतन के बीच चयन करने का विकल्प होता है। वें सीपीसी के अनुरूप निश्चित वेतन और बोर्ड द्वारा अनुमोदित परिवर्तनीय वेतन शामिल है। वेतन कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दिशा-निर्देशों का पालन करता है और आरबीआई द्वारा अनुमोदित है।

ख. मात्रात्मक प्रकटीकरण

प्रकटीकरण का प्रकार		सूचना	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
मात्रात्मक प्रकटीकरण (पूर्णकालिक निदेशकों/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ महत्वपूर्ण जोखिम लेने वालों को कवर करते हुए)	क.	वित्तीय वर्ष के दौरान नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या तथा इसके सदस्यों को दिया गया पारिश्रमिक।	5 (बैठक शुल्क 2.20 लाख रूपये)	1 (बैठक शुल्क 0.30 लाख रूपये)
	ख.	(i) वित्तीय वर्ष के दौरान परिवर्तनीय पारिश्रमिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की संख्या।	शून्य	शून्य
		(ii) वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए साइन-ऑन/ज्वाइनिंग बोनस की संख्या और कुल राशि।	शून्य	शून्य
		(iii) उपार्जित लाभों के अतिरिक्त, यदि कोई हो, विच्छेद वेतन का विवरण।	शून्य	शून्य
	ग.	(i) बकाया आस्थगित पारिश्रमिक की कुल राशि, नकद, शेयर और शेयर लिक्विड उपकरणों और अन्य रूपों में विभाजित।	शून्य	शून्य
		(ii) वित्तीय वर्ष में भुगतान किये गये आस्थगित पारिश्रमिक की कुल राशि।	शून्य	शून्य
	घ.	वित्तीय वर्ष के लिए पारिश्रमिक पुरस्कार की राशि का विभाजन, जिसमें निश्चित और परिवर्तनीय, आस्थगित और गैर-आस्थगित दर्शाया गया है।	79.21 लाख (तय)	70.83 लाख (तय)
	ङ.	(i) बकाया आस्थगित पारिश्रमिक और प्रतिधारित पारिश्रमिक की कुल राशि जो पूर्वोक्त स्पष्ट और/या अंतर्निहित समायोजनों के अधीन है।	शून्य	शून्य
		(ii) वित्तीय वर्ष के दौरान पूर्व स्पष्ट समायोजन के कारण कटौतियों की कुल राशि।	शून्य	शून्य
(iii) वित्तीय वर्ष के दौरान पूर्वोक्त अंतर्निहित समायोजनों के कारण कटौतियों की कुल राशि		शून्य	शून्य	
च.	पहचाने गए एमआरटी की संख्या.	एक	एक	
		(i) ऐसे मामलों की संख्या जहां मालस का प्रयोग किया गया है।	शून्य	शून्य
		(ii) ऐसे मामलों की संख्या जहां क्लॉबैक का प्रयोग किया गया है।	शून्य	शून्य
		(iii) ऐसे मामलों की संख्या जहां मैलस और क्लॉबैक दोनों का प्रयोग किया गया है।	शून्य	शून्य
सामान्य मात्रात्मक प्रकटीकरण	छ.	समग्र बैंक के लिए औसत वेतन (उप-कर्मचारियों को छोड़कर) तथा उसके प्रत्येक डब्ल्यूटीडी के वेतन का औसत वेतन से विचलन।	रु.1.32 लाख	रु.1.24 लाख

ड. आईएफआरएस एकीकृत भारत लेखा मानकों (इंड एस) का कार्यान्वयन

आरबीआई के परिपत्र आरबीआई/2015-16/315 डीबीआर.बीपी.बीसी के अनुसार भारतीय लेखा मानकों (इंड एस) के कार्यान्वयन के संबंध में बैंकों को सूचित किया गया था कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) इस संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किसी दिशानिर्देश या निदेश के अधीन कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015 के अंतर्गत यथा अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों का पालन करेंगे। भारत में बैंक वर्तमान में आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों, अधिनियम की धारा 133 के तहत अधिसूचित लेखा मानकों और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी) के अनुसार अपने वित्तीय विवरण तैयार करते हैं। जनवरी 2016 में, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने नए भारतीय लेखा मानकों (इंड एस) के कार्यान्वयन के लिए रोडमैप जारी किया, जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, बीमा कंपनियों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) के साथ अभिसरण पर आधारित थे।

आरबीआई ने अधिसूचना संख्या डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.29/21.07.001/2018-19 दिनांक 22/03/2019 के माध्यम से अगले नोटिस तक इंड एस के कार्यान्वयन को स्थगित कर दिया। दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक अर्धवार्षिक आधार पर आरबीआई को इंड एस प्रोफॉर्म प्रस्तुत कर रहा है। भुगतान बैंक होने के नाते और वर्तमान व्यवसाय मॉडल पर आधारित होने के कारण, आईपीबी को इंड एस के कार्यान्वयन में किसी बड़ी चुनौती की उम्मीद नहीं है।

च. क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट

बैंक ने कोई क्रेडिट कार्ड जारी नहीं किया है और इसके वर्चुअल डेबिट कार्ड पर कोई रिवॉर्ड पॉइंट स्ट्रक्चर नहीं है। इस प्रकार, डेबिट/ क्रेडिट कार्ड के बारे में प्रकटीकरण लागू नहीं होता है।

छ. डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान

(रुपये 000 में)

क्रमांक	विवरण	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
क.	डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान	82548	50499
ख.	डीआईसीजीसी प्रीमियम भुगतान में बकाया	-	-

ज. बैंकों के कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन में वृद्धि के कारण व्यय के परिशोधन पर प्रकटीकरण।

अपनाई गई वेतन संरचना के अनुसार, बैंक की पारिवारिक पेंशन के प्रति कोई देयता नहीं है। इस प्रकार, यह प्रकटीकरण लागू नहीं होता है।

झ. लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को देय राशि

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को भुगतान में देरी से संबंधित कुछ प्रकटीकरण किए जाने आवश्यक हैं। सूक्ष्म या लघु उद्यम को भुगतान में कोई देरी नहीं होती है। इस प्रकार, कोई ब्याज देयता नहीं है।

26. वित्तीय विवरणों में प्रमुख शीर्षों का विवरण

दिसंबर 2022 के आधार पर, प्रमुख मदों का विवरण नीचे दिया गया है

क. कमीशन, विनिमय और ब्रोकरेज (अनुसूची 14)

“अनुसूची 14 - अन्य आय” में उपशीर्षक “कमीशन, विनिमय और ब्रोकरेज” के अंतर्गत शामिल प्रमुख मदें, जो कुल आय के एक प्रतिशत से अधिक हैं, निम्नानुसार हैं

(रुपये 000 में)

आय से	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
खाता प्रबंधन सेवाएँ	3987151	2422592
ईपीएस से आय	701212	344205
नागरिक सेवा	680001	1184088
धन प्रेषण आय	506801	267915
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण	301211	189861
तृतीय पक्ष वितरण	277783	278939

ख. विविध आय (अनुसूची 14)

“अनुसूची 14 – अन्य आय” शीर्षक के अंतर्गत उपशीर्षक “विविध आय” के अंतर्गत कोई भी ऐसा मद नहीं है जो कुल आय के एक प्रतिशत से अधिक हो। इसलिए, यह प्रकटीकरण लागू नहीं है।

ग. अन्य व्यय (अनुसूची 16)

बैंक पहले से ही अनुसूची 16 के अंतर्गत अलग लाइन मद के रूप में प्रमुख व्यय का प्रकटीकरण कर रहा है। इस प्रकार, “अनुसूची 16 - परिचालन व्यय” के अंतर्गत उपशीर्षक “अन्य व्यय” के अंतर्गत कोई भी मद ऐसा नहीं है जो कुल व्यय के एक प्रतिशत से अधिक हो। इसलिए, यह प्रकटीकरण लागू नहीं होता।

घ. अन्य देयताएं और प्रावधान – “अन्य (प्रावधानों सहित)”

उपशीर्षक “अन्य ” के अंतर्गत शामिल प्रमुख मदें कुल आस्तियों के एक प्रतिशत से अधिक हैं, जो निम्नानुसार हैं

(रुपये 000 में)

विवरण	31.03.2024	31.03.2023
व्यय हेतु प्रावधान/ विक्रेताओं को देय	4182588	2311307

ड. अन्य परिसंपत्तियाँ – “अन्य”

“अनुसूची 11 – अन्य आस्तियां” के अंतर्गत उपशीर्ष “अन्य” के अंतर्गत प्रमुख मदें, जो कुल आस्तियों के एक प्रतिशत से अधिक हैं, निम्नानुसार हैं।

(रुपये 000 में)

विवरण	31.03.2024	31.03.2023
एनईएफटी/आरटीजीएस निपटान	2246539	8488

27. एसपीवी तुलनपत्रोतर (जिन्हें लेखांकन मानदंडों के अनुसार समेकित किया जाना अपेक्षित है) ।

यह प्रकटीकरण पेमेंट्स बैंकों के लिए लागू नहीं है, अतः इस खंड के अंतर्गत कुछ भी रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है।

अन्य नोट:

28. आकस्मिक देयताओं का विवरण (अनुसूची 12)

- बैंक के विरुद्ध दावे, जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता, सामान्य व्यवसाय के दौरान कुछ कर्मचारियों और विक्रेताओं द्वारा दायर किए गए दावों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- विवादित कर देयताएं जीएसटी के संबंध में उठाई गई मांग को दर्शाती हैं, जहां बैंक ने अपील दायर की है।
- पक्ष में जारी बैंक गारंटी की राशि को दर्शाता है, जो नवंबर 2027 तक वैध है तथा सावधि जमा के माध्यम से 100% सुरक्षित है।

29. शेयर पूंजी

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, बैंक ने भारत के राष्ट्रपति को इक्विटी शेयरों के राइट्स इश्यू के माध्यम से 450 करोड़ रुपये की इक्विटी शेयर पूंजी जुटाई है, जिसमें से 200 करोड़ रुपये वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान प्राप्त हुए, जो शेयरों के आवंटन के लिए लंबित थे और तुलनपत्र में "शेयर आवेदन धन लंबित आवंटन" के तहत दिखाया गया है (वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 200 करोड़ रुपये जुटाए गए)

30.12 वें द्विपक्षीय समझौते के अनुसार वेतन संशोधन

बैंक भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा तय किए गए वेतन ढांचे का पालन करता है। 17 मई 2024 को आयोजित बैठक में बोर्ड के निर्णय के अनुसार, बैंक ने 12वें द्विपक्षीय निपटान के खिलाफ प्रावधान किया, जो नवंबर 2022 से देय था। बैंक ने 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान नवंबर 2022 से मार्च 2024 तक की अवधि को कवर करते हुए 69.87 करोड़ रुपये का तदर्थ प्रावधान किया है। उपरोक्त प्रावधान में 1 नवंबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक की अवधि से संबंधित 19.83 करोड़ रुपये की राशि शामिल है।

31. स्टाफ को अल्पावधि ब्याज सहित अग्रिम

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के आधार पर बैंक के स्वयं के फंड से अपने कर्मचारियों को अल्पकालिक ब्याज वाली अग्रिम सुविधा प्रदान की थी। यह 6 अक्टूबर 2016 को जारी "पेमेंट्स बैंकों के लिए परिचालन दिशानिर्देश" के अनुसार आरबीआई के नियमों के अनुरूप है।

32. अचल परिसंपत्ति

32.1 वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान सहायता से खरीदी गई अचल संपत्तियों को पहचान के लिए 1 रुपये का नाममात्र मूल्य रखते हुए अचल परिसंपत्ति रजिस्टर में रखा गया है।

31 मार्च 2024 तक अचल परिसंपत्ति का भौतिक सत्यापन प्रगति पर है

33. धोखाधड़ी के लिए प्रावधान

बैंक ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष में धोखाधड़ी के 3 मामले रिपोर्ट किए हैं। बैंक ने धोखाधड़ी से होने वाली अपेक्षित हानि के लिए प्रावधान किया है और उसके पास कोई अशोध्य प्रावधान नहीं है।

धोखाधड़ी और उसके लिए प्रावधान का विवरण निम्नलिखित है;

(रुपये 000 में)

	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की संख्या	3	5
धोखाधड़ी में शामिल राशि	23824	36236
ऐसी धोखाधड़ी के लिए प्रावधान की गई राशि	23500	Nil
वर्ष के अंत तक 'अन्य रिजर्व' से डेबिट की गई अशोध्य प्रावधान की राशि	शून्य	शून्य

डाक विभाग (डीओपी) द्वारा दुर्विनियोजन के कुछ मामलों की पहचान की गई थी। बैंक और डीओपी के बीच समझौता ज्ञापन के अनुसार , दोनों संगठन ऐसे मामलों की जांच करने के लिए सूचनाओं का आदान-प्रदान करते हैं। दुर्विनियोजन की इन सभी घटनाओं में, जब भी पूछा गया , डीओपी को जानकारी प्रदान की गई और डीओपी ने अपनी नीतियों और प्रक्रियाओं के आधार पर जांच और रिपोर्टिंग की। इन मामलों में, बैंक के कर्मचारियों की कोई संलिप्तता नहीं थी और बैंक या उसके ग्राहकों को कोई वित्तीय नुकसान नहीं हुआ।

34.1 डाक विभाग का व्यवसाय संवाददाता के रूप में कार्य करना:

डाक विभाग की उपरोक्त सेवाओं के लिए , आईपीपीबी डाक विभाग के माध्यम से आईपीपीबी द्वारा अर्जित राजस्व और डाक विभाग के कर्मचारियों सहित अंतिम मील एजेंटों द्वारा अर्जित राजस्व से जुड़ा कमीशन का भुगतान करेगा। एमओयू के अनुसार , कमीशन की दर प्रचलित बाजार दरों और प्रथाओं के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित डीओपी/ जीडीएस (प्रावधानों सहित) को भुगतान किए गए कमीशन का ब्यौरा निम्नानुसार है।

(रुपये 000 में)

विवरण	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
डीओपी को कमीशन	258295	210526
जीडीएस को प्रोत्साहन	1099629	767095

आईपीबी ने वित्तीय वर्ष 2017-18 में डाक विभाग (डीओपी) के 23 सर्कलों को आईपीबी शाखाओं (16.81 करोड़ रुपये) और सभी आईपीबी शाखाओं/डीओपी एक्सेस पॉइंट्स अर्थात प्रधान कार्यालय, उप कार्यालय और शाखा कार्यालय (49.47 करोड़ रुपये) में ब्रांडिंग के लिए 66.28 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की थी।

31.03.2024 तक डीओपी से 0.17 करोड़ रुपये के बिल/रिफंड अभी भी प्राप्त होने बाकी हैं और इसे डीओपी (पूँजी प्रतिबद्धता) के तहत प्राप्य के रूप में दिखाया गया है। चूंकि यह राशि 3 वर्षों से अधिक समय से बकाया है, इसलिए बैंक ने खातों की पुस्तकों में समान राशि का प्रावधान किया है। बैंक ऊपर उल्लिखित शेष बिल/रिफंड प्राप्त करने के लिए डीओपी के साथ नियमित रूप से संपर्क कर रहा है।

डाक विभाग को 3.76 करोड़ रुपये की राशि भेजी है। बैंक ने 1 वर्ष से अधिक समय से बकाया राशि के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 3.71 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

34.3 आईटी 2.0 परियोजना के लिए डीओपी को बैंक की सेवाएं :

23 नवंबर 2021 को आयोजित सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) और व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की बैठक ने बैंकिंग, बीमा और अन्य वित्तीय जरूरतों के लिए पीओएसबी सेवाओं को आईपीपीबी और एकल आईपीपीबी संरचना में धीरे-धीरे स्थानांतरित करने की सिफारिश की है। इसके अलावा, यह भी सिफारिश की गई थी कि आईपीपीबी, डीओपी को आईटी 2.0 से संबंधित सेवाएं प्रदान करेगा और डीओपी, डेटा सेंटर, डेटा रिकवरी सेंटर, नेटवर्क, नेटवर्क (सेवाएं), डाक जीवन बीमा आदि से संबंधित लागत के लिए आईटी 2.0 में से वास्तविक आधार पर आईपीपीबी को डीओपी संचालन से संबंधित आईटी लागत

की प्रतिपूर्ति करेगा। यह दोनों संगठनों द्वारा आईटी अधिसंरचना लागत में दोहराव से बचने के उद्देश्य से किया गया था। इसका उद्देश्य ग्राहकों को अधिक एकीकृत, समावेशी वित्तीय और अन्य सेवाएं प्रदान करना भी है।

उपरोक्त प्रस्ताव को फरवरी 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था।

उपरोक्त निर्णय को सक्षम करने के लिए, आईपीपीबी ने डीओपी आईटी 2.0 के तहत सेवा के साथ-साथ नए विकास कार्य के लिए विक्रेताओं के साथ समझौते किए हैं। विक्रेता अपनी सेवाओं के लिए आईपीपीबी पर चालान उठाते हैं। आईपीपीबी ने इन विक्रेताओं को अपने स्वयं के धन से भुगतान किया। पीआईबी अधिदेश के अनुसार, डाक विभाग आईपीपीबी द्वारा वास्तविक आधार पर भुगतान की गई राशि की प्रतिपूर्ति कर रहा है।

डाक विभाग की ओर से आईपीपीबी द्वारा भुगतान की गई राशि, डाक विभाग द्वारा प्रतिपूर्ति की गई राशि और डाक विभाग से प्रतिपूर्ति के लिए बकाया राशि निम्नानुसार है (जीएसटी को छोड़कर);

(रुपये 000 में)

विवरण	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
डीओपी से प्राप्त होने वाली प्रारंभिक शेष राशि	1081290	शून्य
जोड़ें: डीओपी के तहत भुगतान की गई कुल राशि	1470209	2154046
घटाएँ: डी.ओ.पी. द्वारा प्रतिपूर्ति की गई राशि	1599278	1072756
डी.ओ.पी. से प्राप्त अंतिम शेष राशि	952221	1081290

* जीएसटी को छोड़कर प्राप्य शेष राशि 95.22 करोड़ रुपये को मद IX "आईटी 2.0 के तहत डीओपी से प्राप्य" के अंतर्गत दिखाया गया है।

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 1 वर्ष से अधिक समय से बकाया राशि के विरुद्ध "प्रावधान और आकस्मिकता" के अंतर्गत विवेकपूर्ण आधार पर 26.89 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

सभी मुद्दों के समाधान के लिए बैंक और डीओपी का प्रबंधन समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।

34.4 एटीएम

बैंक को वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान मेसर्स इंडोसिस से 1 रुपये प्रति एटीएम के नाममात्र मूल्य पर 999 एटीएम का स्वामित्व प्राप्त हुआ है, जो पहले मेसर्स इंडोसिस और डाक विभाग के बीच पट्टे पर थे। बैंक डाक विभाग के एटीएम को यथावत आधार पर प्रबंधित कर रहा है। बैंक ने खुले आरएफपी के माध्यम से मेसर्स एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को एक प्रबंधित सेवा विक्रेता के रूप में शामिल किया और इन एटीएम से प्राप्त सभी आय का लेखा केवल डाक विभाग की पुस्तकों में किया जाता है। एटीएम लेनदेन और समाधान के लिए डाक विभाग के खातों/जीएल का उपयोग किया जाता है। आईपीपीबी एसएलए, बीमा दावा, विवाद प्रबंधन और विक्रेता बीजक प्रसंस्करण का प्रबंधन कर रहा है।

35. सिस्टम इंटीग्रेटर (एसआई) लागत:

आईपीपीबी ने मेसर्स ईआईटी सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को एक अनुबंध प्रदान किया और 801 करोड़ रुपये (जीएसटी सहित) की राशि के लिए "डेडिकेटेड कस्टमाइज्ड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म" के कार्यान्वयन के लिए मास्टर सर्विस एग्रीमेंट (एमएसए) और सर्विस लेवल एग्रीमेंट (एसएलए) में प्रवेश किया। अनुबंध की अवधि 12 जुलाई, 2018 से 11.07.2023 को पूरा होने के साथ 5 वर्ष प्रभावी है।

समझौते के अनुसार, अनुबंध की शर्तों और नियमों के अनुसार वितरित/पूरी की गई उपलब्धियों के आधार पर 5 वर्ष की अनुबंध अवधि के भीतर राशि देय/देय थी। इसलिए, विक्रेता भी आईपीपीबी को अपने बीजकों को उसी के अनुसार जारी करता है, अर्थात् जब भी उपलब्धि पूरी होने पर भुगतान देय/देय हो जाता है।

31 मार्च 2019 तक आपूर्ति/वितरित और उपयोग में लाए गए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की लागत/मूल्य को क्रमशः 106.32 करोड़ रुपये और 240.46 करोड़ रुपये के रूप में पूंजीकृत किया था।

चूंकि, विक्रेता ने करार के अंतर्गत दी गई समय-सीमा का अनुपालन नहीं किया और दोष मुक्त सेवाएं भी प्रदान नहीं कीं। परिणामस्वरूप, ऐसे विलंब और दोष मुक्त निष्पादन की कमी के लिए ठेकेदार से जुर्माना/चलनिधि क्षति वसूली/वसूल किया गया था। इसलिए, बैंक ने दिनांक 10.07.2023 को समाप्ति नोटिस के माध्यम से अनुबंध समाप्त कर दिया था और ठेकेदार द्वारा लगभग 163.47 करोड़ रुपये के लिए उठाए गए बिलों को विवादित और बैंक द्वारा रोक दिया गया है। बैंक ने विक्रेता से 62.27 करोड़ रुपये का जुर्माना लिया और 31 मार्च 2023 तक 101.20 करोड़ रुपये (दंड का शुद्ध) का प्रावधान किया है। इसके अलावा, विक्रेता द्वारा जमा की गई 68.93 करोड़ रुपये की प्रदर्शन बैंक गारंटी (पीबीजी) भी बैंक द्वारा सितंबर 2023 में लागू की गई है। इस राशि को मुकदमे के परिणाम आने तक 'विविध खाते' के तहत हिसाब में रखा गया है।



इंडिया पोस्ट
पेमेंट्स बैंक

IndiaPost
Payments Bank

विक्रेता ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और न्यायालय ने 9 फरवरी 2024 के अपने निर्देश के तहत मामले को मध्यस्थ न्यायाधिकरण के माध्यम से मध्यस्थता के लिए भेज दिया। मामला मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पास लंबित है।

ठेकेदार ने अनुबंध/ अनुबंध की शर्तों और नियमों का पालन करने में कई चूक/ गैर-अनुपालन किए हैं। बैंक चूक/ गैर-अनुपालन/ अनुबंध की समाप्ति के कारण अपेक्षित परिचालन और वित्तीय नुकसान की समीक्षा कर रहा है और यदि आवश्यक हुआ तो ठेकेदार के खिलाफ वसूली का मुकदमा दायर किया जाएगा।

36. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार, बैंक को चालू वित्त वर्ष में सीएसआर पर खर्च करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पिछले तीन वर्षों का औसत लाभ नकारात्मक है।

37. निदेशक मंडल ने बैठक शुल्क में वृद्धि के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी और इस संबंध में प्रशासनिक मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया। फरवरी और मार्च 2024 के लिए संशोधित दर के आधार पर लेखा पुस्तकों में प्रावधान किया गया है।

38. अनुसूची 5 "अन्य देयताएं और प्रावधान" की मद संख्या (IV) में "विविध स्वीप आउट विफल पूल खाता" के अंतर्गत 1.21 करोड़ रुपये की राशि शामिल है, जिसमें 2 लाख रुपये की सीमा से अधिक ग्राहक शेष राशि शामिल है। बैंक की नीति के अनुसार, ग्राहक को मूल्य तिथि के आधार पर ब्याज जमा किया जा रहा है।

39. बैंक विक्रेता-वार विवरण पर निगरानी रखने के लिए विक्रेता प्रबंधन प्रणाली को लागू करने की प्रक्रिया में है, जिसे वर्तमान में संबंधित विभागों द्वारा मैनुअल रूप से संभाला जाता है।

40. वर्ष के दौरान, बैंक ने नामांकन के आधार पर कुछ खरीददारी की है (जिसमें डीओपी आईटी 2.0 भी शामिल है। इन मामलों में, बैंक/ डीओपी के पास पहले से ही लाइसेंस थे और वे उन हार्डवेयर/ सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों का उपयोग कर रहे थे। कारोबारी निरंतरता बनाए रखने और आईपीपीबी और डीओपी दोनों द्वारा निर्बाध सेवाएं प्रदान करने के लिए, बैंक ने सीधे ओईएम (मूल उपकरण निर्माता)/ ओएसडी (मूल समाधान डेवलपर) के साथ काम किया है। नामांकन बैंक की खरीद नीति में उल्लिखित उचित प्रक्रिया का पालन करके किया गया था।

41. पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत किया गया है तथा जहां भी आवश्यक हो, उन्हें चालू वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप बहाल किया गया है।

ह०/-
(प्रियंका भटनागर)
कंपनी सचिव

ह०/-
(अनूप ई.एस.)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह०/-
(पवन कुमार सिंह)
निदेशक
(डीआईएन 09434830)

ह०/-
(नवनीत कक्कड़)
एसीबी अध्यक्ष
(डीआईएन 03475842)

ह०/-
(आर. विश्वेश्वरन)
एमडी एवं सीईओ
(डीआईएन 10514859)

ह०/-
(वंदिता कौल)
अध्यक्ष
(डीआईएन 07854527)

हमारी सम तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
मेसर्स ठाकुर, वैद्यनाथ अय्यर एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स - FRN 000038N

ह०/-
(सी.एस. कार्की)
पार्टनर (सदस्यता संख्या 089896)

दिनांक: 26.06.2024
स्थान: नई दिल्ली



क्रमांक
No.

कार्यालय
दि. वि. लेखांक-394/PPBI/2023-24/JS

महानिदेशक लेखापरीक्षा, वित्त एवं संचार
शामनाथ मार्ग, (समीप पुराना सचिवालय) दिल्ली-110054

OFFICE OF THE
Director General Of Audit, Finance & Communication
SHAMNATH MARG, (NEAR OLD SECRETARIAT), DELHI-110054

दिनांक 9.10.2024
Date

सेवा में,

आजस,
भारतीय पोस्ट पेमेंट बैंक लि.,
नई दिल्ली-110001

विषय: भारतीय पोस्ट पेमेंट बैंक लि.(PPBI) के वर्ष 2023-24 के वार्षिक लेखों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की
धारा 143 (6) (बी) के तहत सीएजी की दिप्यगियां।

महोदय,

I am to forward herewith Comments of the Comptroller & Auditor General of India under
Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 on the annual accounts of PPBI, for the year ended
31st March 2024 for information and further necessary action.

The receipt of this letter may please be acknowledged.

Encl: As above.

साक्षर

भारतीय,

पुष्पेन्द्र तिवारी
महानिदेशक लेखापरीक्षा
(वित्त एवं संचार)

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF INDIA POST PAYMENT BANK FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2024

The preparation of Financial Statements of India Post Payment Bank (IPPB) for the year ended 31 March 2024 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (the Act) is the responsibility of the Management of the Company. The Statutory Auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 139 (5) of the Act is responsible for expressing opinion on the Financial Statements under Section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the Standards on Auditing prescribed under Section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 26.06.2024.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of IPPB for the year ended 31 March 2024 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the Statutory Auditors and is limited primarily to inquiries of the Statutory Auditors and Company Personnel, and a selective examination of some of the accounting records.

Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matters under section 143(6)(b) of the Act which have come to my attention, and which in my view are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related audit report:

1. Balance Sheet-Assets

Other Assets: Rs.732.63 crore (Schedule-11)

The above head is overstated by an amount of Rs. 26.89 crore due to non-adjustment of the provision created for receivables for more than one year. Instead of reducing the receivables from DoP by Rs.26.89 crore, the Bank has created a provision of Rs.26.89 crore in the accounts.

This has also resulted in overstatement of Other Liabilities and Provisions by the same amount.

2. Balance Sheet-Assets

Other Assets: Rs.732.63 crore (Schedule-11)

Deferred Tax assets (net) Rs.152.43 crore

The above head is understated by an amount of Rs. 10.94 crore due to non-inclusion of provisions made on account of gratuity and doubtful debts while calculating deferred tax.

This has also resulted in the understatement of the net profit by the same amount.

3. Income and Expenditure-Income

Other Income: Rs.657.72 crore (Schedule-14)

The above head is overstated by an amount of Rs. 23.62 crore due to charging of SMSs sent to the customers at the rates higher than the rates prescribed by the Reserve Bank of India.

This has also resulted in understatement of the liabilities and provisions by the same amount.

4. Cash Flow Statement

The cash flow statement is deficient to the following extent:

- i. IPPB has not presented the reconciliation statement of the cash and cash equivalent in compliance with Para 42 of Accounting Standard 3.
- ii. IPPB has included accrued interest, which is a non-cash item, in the Cash Flow from Operations. This has resulted in non-compliance with Accounting Standard 3.

5. Contingent Liabilities: Rs.64.30 crore (Schedule-12)

The above head is understated by an amount of Rs. 203.03 crore due to non-disclosure of claim filed by M/s EIT Service India Pvt. Ltd. before the learned sole arbitrator.

Place: Delhi
Date: 09.10.2024

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India


(Purushottam Tiwari)
Director General of Audit
(Finance & Communication)

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के खातों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के तहत टिप्पणियां की हैं और टिप्पणियों पर बैंक के जवाब निम्नानुसार हैं।

संदर्भ	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	प्रबंधन का उत्तर
1	तुलनपत्र – परिसंपत्तियाँ अन्य परिसंपत्तियां: 732.63 करोड़ रुपये (अनुसूची-11) एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए प्राप्य के लिए बनाए गए प्रावधान को समायोजित न करने के कारण उपरोक्त शीर्ष में 26.89 करोड़ रुपए की राशि अधिक दर्शाई गई है। डाक विभाग से प्राप्तियों में 26.89 करोड़ रुपए कम करने के बजाय, बैंक ने खातों में 26.89 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके परिणामस्वरूप अन्य देयताओं और प्रावधान को भी समान राशि से अधिक दर्शाया गया है।	भारत में बैंकों के वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत निर्धारित प्रारूप के अनुसार तैयार किए जाते हैं और समय-समय पर संशोधित/अद्यतन किए गए आरबीआई के वित्तीय विवरण - प्रस्तुति और प्रकटीकरण पर मास्टर निर्देश द्वारा भी निर्देशित होते हैं। उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार, केवल निवेश (अनुसूची-8) और अग्रिम (अनुसूची-9) के विरुद्ध बनाए गए प्रावधान के लिए ही नेट ऑफ की अनुमति है। इस प्रथा का पालन करते हुए, भारत में बैंक हमेशा अनुसूची 10 - अन्य परिसंपत्तियों के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के लिए बनाए गए प्रावधानों को अनुसूची 5 - अन्य देयताएं और प्रावधान के अंतर्गत बैलेंस शीट के देयता पक्ष में दिखाते हैं। डाक विभाग से बकाया राशि के लिए प्रावधान बनाया है और इसे अनुसूची 5 - अन्य देयताएं और प्रावधान के तहत दर्शाया है। इस प्रावधान की व्यवस्था निर्माण बैंक की आंतरिक लेखा नीति के अनुपालन में किया गया है जो 'आंतरिक/कार्यालय खातों के प्रचालन' पर आरबीआई परिपत्र पर आधारित है। इसलिए, बैंक की परिसंपत्तियों एवं देताओं का कोई अतिशयोक्तिपूर्ण विवरण नहीं है।
2	तुलनपत्र – परिसंपत्तियां अन्य परिसंपत्तियां: 732.63 करोड़ रुपये (अनुसूची-11) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध) 152.43 करोड़ रुपये आस्थगित कर की गणना करते समय ग्रेच्युटी और संदिग्ध ऋणों के लिए किए गए प्रावधानों को शामिल न करने के कारण उपरोक्त शीर्ष में 10.94 करोड़ रुपये की राशि कम दर्शाई गई है। इसके परिणामस्वरूप शुद्ध लाभ भी उसी राशि से कम दर्शाया गया है।	"एएस 22 - आय पर करों के लिए लेखांकन" के अनुसार, आस्थगित कर को सभी समय अंतर्गत् के लिए मान्यता दी जानी चाहिए, जो कि आस्थगित कर परिसंपत्तियों के संबंध में विवेक के विचार के अधीन है। व्यवसाय या पेशे के लाभ और प्राप्ति –(पीजीबीपी) शीर्षक के तहत आय की गणना में , धारा 43बी के तहत कुछ खर्चों की अनुमति दी जाती है, यदि यह वास्तव में धारा 139(1) के तहत आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने की नियत तारीख को या उससे पहले करदाता द्वारा भुगतान किया जाता है।

संदर्भ	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	प्रबंधन का उत्तर
		31 मार्च 2024 तक खातों की पुस्तकों में प्रदान की गई 10.67 करोड़ रुपये की ग्रेच्युटी राशि का प्रावधान 31 जुलाई 2024 को चुकाया गया था, जो आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तिथि पर या उससे पहले है। इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बैंक की आयकर गणना में इस प्रावधान राशि के लिए कोई अस्वीकृति नहीं है। तदनुसार, 10.67 करोड़ रुपये की ग्रेच्युटी राशि के प्रावधान के लिए कोई टाइम डिफरेंस लागू नहीं है। डाक विभाग आई टी 2.0 के लिए विवेकपूर्ण आधार पर 26.89 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। अल्प अवधि के भीतर किए गए प्रावधान की प्राप्ति की निश्चितता को ध्यान में रखते हुए बैलेंस शीट की तिथि तक किसी भी आस्थगित कर परिसंपत्ति को मान्यता नहीं दी गई है। इसलिए, आस्थगित कर परिसंपत्तियों में 10.94 करोड़ रुपये की कोई कमी नहीं दर्शाई गई है।
3	आय एवं व्यय- आय-अन्य आय: 657.72 करोड़ रुपये (अनुसूची-14) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दरों से अधिक शुल्क लगाए जाने के कारण उपरोक्त शीर्ष में 23.62 करोड़ रुपये की राशि अधिक दर्शाई गई है। इसके परिणामस्वरूप देताएं और प्रावधानों को भी समान राशि से कम दर्शाया गया है।	बैंक ने बैंकिंग उद्योग में अपनाई जाने वाली प्रथा को ध्यान में रखते हुए ग्राहकों से एसएमएस शुल्क वसूलना शुरू किया। बैंक का यह निर्णय इस तथ्य पर आधारित था कि सभी प्रमुख बैंक ग्राहकों से तय दरों पर एसएमएस शुल्क वसूल रहे थे। उपर्युक्त के आधार पर, आईपीपीबी बैंकिंग उद्योग में अपनाई जाने वाली पद्धति के आधार पर एसएमएस शुल्क लगा रहा था और बैंक के व्यवसाय मॉडल को देखते हुए ये शुल्क तर्कसंगत थे। बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही तक प्रति तिमाही 10 रुपये का एसएमएस शुल्क लगाया था। हालाँकि, आरबीआई से सूचना मिलने पर बैंक ने एसएमएस शुल्क लगाना बंद कर दिया था, जिसमें वास्तविक उपयोग के आधार पर एसएमएस शुल्क लगाने की सलाह दी गई थी। इस प्रकार, आय को बढ़ा-चढ़ाकर नहीं दिखाया जाता है, तथा देताओं को कम नहीं दिखाया जाता है। बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 से वास्तविक उपयोग के आधार पर एसएमएस शुल्क लगाने की व्यवस्था लागू की है।

संदर्भ	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	प्रबंधन का उत्तर
4	नकदी प्रवाह विवरण नकदी प्रवाह विवरण निम्न सीमा तक अपूर्ण है: i. लेखांकन मानक-3 के पैरा 42 के अनुपालन में नकदी एवं नकदी समकक्षों का समाधान विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। ii. आईपीपीबी ने अर्जित ब्याज को परिचालन से नकदी प्रवाह में शामिल किया है, जो एक गैर-नकद मद है। इसके परिणामस्वरूप लेखांकन मानक 3 का अनुपालन नहीं हुआ है।	i. बैंकों के वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत निर्धारित प्रारूप के अनुसार तैयार किए जाते हैं और यह भारतीय रिजर्व बैंक के वित्तीय विवरण - प्रस्तुति और प्रकटीकरण पर मास्टर निर्देश द्वारा भी निर्देशित होते हैं। हालाँकि, बैंकों द्वारा नकदी प्रवाह विवरण तैयार करने के लिए कोई विशिष्ट प्रारूप या विधि नहीं है। इसलिए, बैंक द्वारा नकदी प्रवाह विवरण लेखांकन मानक-3 में निर्दिष्ट निर्धारित विधि के अनुसार तैयार किया जाता है। बैंक ने नकदी और नकदी समकक्षों के घटकों का खुलासा किया है, साथ ही इसके समाधान के साथ, प्रारंभिक और समापन शेष राशि के साथ-साथ शेष राशि में वृद्धि/कमी का उल्लेख किया है। इन शेष राशियों का समाधान किया जाता है और शुद्ध नकदी और नकदी समकक्षों के साथ मिलान किया जाता है, अर्थात समापन शेष और प्रारंभिक शेष के बीच का अंतर। ii . बैंकिंग कंपनी होने के नाते, ब्याज आय बैंक की परिचालन गतिविधियों का एक अभिन्न अंग है और अर्जित ब्याज भी ऐसी परिचालन आय का हिस्सा है जिसे गैर-नकद मद नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसे कम समय में वसूला जाएगा और नकदी और नकदी समकक्ष में परिवर्तित किया जाएगा। अर्जित ब्याज जमा और निवेश पर है जो लंबी अवधि के लिए नहीं है। अतः, लेखांकन मानक-3 के गैर-अनुपालन के संबंध में नकदी और नकदी समतुल्य का कोई अतिकथन नहीं है। नकदी प्रवाह विवरण में उपार्जित ब्याज के उपचार के लिए बैंक वही पद्धति अपना रहा है जो देश के अन्य बैंकों द्वारा अपनाई जाती है।
5	आकस्मिक देयताएं: 64.30 करोड़ रुपये (अनुसूची-12) मेसर्स ईआईटी सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एकमात्र आर्बिट्रेटर के समक्ष दायर दावे का खुलासा न करने के कारण उपरोक्त शीर्ष में 203.03 करोड़ रुपये की राशि कम दर्शाई गई है।	माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने 18 सितंबर 2023 और 9 फरवरी 2024 की याचिकाओं के माध्यम से विक्रेता का कुल दावा 163 करोड़ रुपये बताया है। चूंकि विक्रेता ने उपरोक्त राशि के लिए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में दावा के रूप में यह राशि दर्ज की है, इसलिए बैंक ने 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए इस दावे पर विचार किया है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने 9 फरवरी 2024 के अपने निर्देश के तहत विक्रेता के राशि दावों का संदर्भ देते हुए मामले को आर्बिट्रेटर न्यायाधिकरण के माध्यम से आर्बिट्रेटर के लिए भेज दिया।

संदर्भ	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	प्रबंधन का उत्तर
		मई 2024 को आर्बिटर के समक्ष 424.36 करोड़ रुपये का नया दावा दायर किया था। बैंक ने ईआईटी सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर अतिरिक्त दावे को स्वीकार नहीं किया है क्योंकि प्रबंधन को उम्मीद है कि भविष्य में कोई नकदी प्रवाह नहीं होगा क्योंकि मध्यस्थ के समक्ष अतिरिक्त दावा विक्रेता द्वारा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं किया गया था। यह एक मात्र दावा है और सुनवाई अभी शुरू होनी है, इसलिए प्रबंधन की राय में देयता उत्पन्न होने की संभावना बहुत कम/दूरस्थ है और बैंक का दृढ़ मत है कि विक्रेता का मात्र दावा आर्बिटर में कायम नहीं रहेगा। हालांकि, सुनवाई शुरू होने और विक्रेता के दावे की राशि के संबंध में स्पष्टता आने के बाद बैंक इस मामले में कोई निर्णय लेगा।



इंडिया पोस्ट
पेमेंट्स बैंक

IndiaPost
Payments Bank

31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसार]

सेवा में,
सदस्यगण,
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड,
डाकघर, स्पीड पोस्ट सेंटर भवन मार्केट रोड,
नई दिल्ली - 110001

हमने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (CIN U74999DL2016GOI304561) (जिसे आगे 'कंपनी' कहा जाएगा) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और उत्तम कॉर्पोरेट व्यवहारों के पालन का सचिवीय लेखा परीक्षा किया है। सचिवीय लेखा परीक्षा इस तरह से किया गया था कि हमें कॉर्पोरेट आचरण/वैधानिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया गया।

ए. कंपनी की बहियों, कागजात, कार्यवृत्त, फॉर्म और रिटर्न और कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य अभिलेखों के हमारे सत्यापन और सचिवीय लेखा परीक्षा के संचालन के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम एतद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली लेखा परीक्षा अवधि ('लेखा परीक्षा अवधि') के दौरान नीचे सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास उचित बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र मौजूद हैं, जो कि इस सीमा तक, तरीके से और इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन है:

बी. हमने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा रखी गई बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त, फॉर्म और रिटर्न तथा अन्य अभिलेखों की निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार जांच की है:

- कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा उसके अधीन बनाए गए नियम;
- प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') तथा उसके अधीन बनाए गए नियम;
- डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 तथा उसके अधीन बनाए गए विनियम और उपनियम;
- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा उसके अधीन बनाए गए नियम और विनियम, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तथा बाह्य वाणिज्यिक उधारी की सीमा तक; (कंपनी पर लागू नहीं, क्योंकि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कोई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तथा बाह्य वाणिज्यिक उधारी नहीं थी);
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अधीन निर्धारित विनियम और दिशानिर्देश (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)।
- कंपनी में प्रचलित अनुपालन प्रणाली को ध्यान में रखते हुए, कंपनी के अनुपालन विभाग द्वारा विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रमाण-पत्रों के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने आम तौर पर उन अधिनियमों के प्रावधानों का अनुपालन किया है, जिन्हें प्रबंधन ने पहचाना और पुष्टि की है कि वे कंपनी के लिए विशेष रूप से लागू हैं, जिनमें बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007, जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम अधिनियम, 1961 और इसके तहत बनाए गए नियम और विनियम आदि शामिल हैं, जो कंपनी के लिए उनकी प्रयोज्यता की सीमा तक हैं।

क. हमने निम्नलिखित लागू धाराओं के अनुपालन की भी जांच की है:

- भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी निदेशक मंडल की बैठकों (एसएस-1) और आम बैठकों (एसएस-2) के संबंध में सचिवीय मानक।
- कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए लिस्टिंग समझौते। (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)।

ख. समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है:

- लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या बहुमत में नहीं थी, जैसा कि भुगतान बैंकों के लाइसेंस के लिए दिशानिर्देशों और कंपनी के एसोसिएशन के अंतर्नियमों में निर्धारित किया गया था।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि

- i. कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन किया गया है, जिसमें कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों का उचित संतुलन है, सिवाय स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में पैरा डी में उल्लिखित। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में हुए परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।
- ii. बोर्ड की बैठकों को शेड्यूल करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी जाती है, एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत नोट्स आम तौर पर कम से कम सात दिन पहले भेजे जाते थे, हालांकि, कुछ मामलों में बोर्ड की सहमति से नोटिस और एजेंडा पेपर कम समय के नोटिस के साथ भेजे जाते थे और बैठक से पहले एजेंडा मदों पर आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।
- iii. बोर्ड की बैठकों और समिति की बैठकों में सभी निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं, जैसा कि निदेशक मंडल या बोर्ड की समिति की बैठकों के मिनटों में दर्ज किया जाता है, जैसा भी मामला हो।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि प्राप्त जानकारी और रखे गए अभिलेखों तथा विभिन्न प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा जारी अनुपालन प्रमाणपत्रों के आधार पर कंपनी में कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ हैं, जो लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशा-निर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करती हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, कंपनी में निम्नलिखित घटनाएँ हुईं, जिनका उपर्युक्त कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों आदि के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर असर पड़ा:

- क) लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने डाक विभाग के सचिव के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को अधिकार निर्गम के आधार पर 10/- रुपये मूल्य के 45,00,00,000 इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं।

नोट:

- क) इस रिपोर्ट को हमारे सम संख्या के पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जिसे "अनुलग्नक ए" के रूप में संलग्न किया गया है और यह इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

वीएपी और एसोसिएट्स के लिए

कंपनी सचिव

एफआरएन : P2023UP098500

सहकर्मी समीक्षा संख्या: 1083/2021

ह०/-

पारुल जैन

मैनेजिंग पार्टनर

एम. नं. F8323

सीपी नं. 13901

यूडीआईएन: F008323F001191285

स्थान: गाजियाबाद

दिनांक: 11.09.2024



इंडिया पोस्ट
पेमेंट्स बैंक

IndiaPost
Payments Bank

अनुलग्नक-'ए'

सदस्यगण,
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड

इस पत्र के साथ सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट पढ़ी जानी है।

1. सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी इन सचिवीय अभिलेखों पर हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर राय व्यक्त करना है।
2. सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की सत्यता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हमने लेखा परीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय अभिलेख में सही तथ्य परिलक्षित हों, सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था। हमारा मानना है कि हमने जो प्रक्रिया और अभ्यास अपनाए हैं, वे हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करते हैं।
3. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच परीक्षण जांच के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक ही सीमित थी।
4. हमारी लेखा परीक्षा जांच केवल कंपनी द्वारा किए जाने वाले लागू कानूनों के कानूनी अनुपालन तक ही सीमित है, हमने उससे संबंधित व्यावहारिक पहलुओं की जांच नहीं की है।
5. हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखा पुस्तकों की सत्यता और उपयुक्तता के साथ-साथ कंपनी द्वारा निर्दिष्ट कानूनों के तहत प्रस्तुत किए जाने वाले विभिन्न प्रकटीकरणों और रिटर्न में बताए गए मूल्यों और आंकड़ों की सत्यता को सत्यापित नहीं किया है, हालांकि हमने ऐसे रिटर्न में दी गई जानकारी पर एक निश्चित सीमा तक भरोसा किया है।
6. इस लेखा परीक्षा में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानूनों जैसे लागू वित्तीय कानूनों के कंपनी द्वारा अनुपालन की समीक्षा नहीं की गई है क्योंकि वे वैधानिक लेखा परीक्षकों और अन्य नामित पेशेवरों द्वारा समीक्षा के अधीन हैं और इस रिपोर्ट की सामग्री को कंपनी के संबंध में किसी अन्य लेखा परीक्षक/एजेंसियों/प्राधिकरणों द्वारा प्रस्तुत/ प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट में टिप्पणियों, यदि कोई हो, के साथ संयोजन में पढ़ा जाना चाहिए, न कि अलग से।
7. आंतरिक, वित्तीय और परिचालन नियंत्रण सहित लेखा परीक्षा की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, एक अपरिहार्य जोखिम है कि कुछ गलत बयान या भौतिक गैर अनुपालन का पता नहीं लगाया जा सकता है, भले ही लेखा परीक्षा ठीक से योजनाबद्ध हो और लेखा परीक्षा प्रथाओं के अनुसार किया गया हो।
8. जहाँ भी आवश्यक हुआ, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन तथा घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधन से प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
9. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही यह कि प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के साथ किया है।

वीएपी और एसोसिएट्स के लिए
कंपनी सचिव
एफआरएन : P2023UP098500
सहकर्म समीक्षा संख्या: 1083/2021

ह०/-
पारुल जैन
मैनेजिंग पार्टनर
एम. नं. F8323
सीपी नं. 13901
यूडीआईएन: F008323F001191285

स्थान: गाजियाबाद
दिनांक: 11.09.2024

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षक रिपोर्ट की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर

क्रमांक	टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
01	लेखापरीक्षा अवधि के दौरान बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या बहुमत में नहीं थी, जैसा कि पेमेंट्स बैंकों के लाइसेंस देने के दिशानिर्देशों और कंपनी के अंतर्नियम में उल्लेखित है।	आईपीपीबी में एक और स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति प्रशासनिक मंत्रालय के प्रक्रियाधीन है।





इंडिया पोस्ट
पेमेन्ट्स बैंक

India Post
Payments Bank



— Empowering **Dreams** —
— Enriching **Lives** —